लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28, बुधवार, 20 दिसम्बर, 1967/29 अग्रहायण, 1889 (शक)
No. 28, Wednesday, December 20, 1967/Agrahayana 29, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय / SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
782. राज्यपालों की शक्तियां	Powers of Governors ..	3837—3843
783. पिलानी में बनाये गये ट्रांजिस्टर रेडियो सेट	Transistor Radio sets made in Pillani ..	3843—3844
785. चीनी घुसपैठिये	Chinese Infiltrators ..	3844—3847
786. स्वतन्त्र कार्मिक संघों का अन्तर्राष्ट्रीय संघान	I. C. F. T. U. ..	3847—3850
787. चुनाओं में सी० आई० ए० के धन का उपयोग	Use of C. I. A. Funds in Elections ..	3850—3851

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
781. चीन और पाकिस्तान के जासूसों की जासूसी की कार्यवाहियां	Espionage activities of China and Pakistan Spies ..	3852
784. दिल्ली में अग्निकांड ग्रस्त हुए लोगों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for victims of Delhi fire Accident ..	3852
788. पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोही नागाओं को युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण	Training of Naga Hostiles to Warfare in East Pakistan ..	3852
789. साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद	Communalism and Linguism ..	3853
790. जम्मू तथा काश्मीर राज्य में चीन तथा पाकिस्तान के जासूस	Chinese and Pakistani spies in J&K State ..	3853

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
791 हैलीकाप्टरों द्वारा मिजो विद्रोहियों को रोकना	Intercepting Mizos through Helicopter Operations ..	3853
792. एयर इंडिया 'पी' फार्म संबंधी गोलमाल	Air India 'P' form Scandal ..	3854
793. वफादार मिजो लोगों को शस्त्रास्त्रों का दिया जाना	Arming of Loyal Mizos ..	3854
794. राज्यों द्वारा सेना को बुलाया जाना	Requisitioning of Military by States ..	3854—3855
795. राष्ट्रीय ईसाई परिषद्	National Christian Council ..	3855
796. जवाहरलाल नेहरू के निजी कागजात	Private Papers of Jawaharlal Nehru ..	3855—3856
797. दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Delhi Administration	3856
797क-मध्य प्रदेश का बजट छपाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अनुदेश	Instructions to Madhya-Pradesh Govt. for Publishing Madhya Pradesh Budget. ..	3857
798. कारागार सम्बन्धी नियमावलियां	Jail Manual ..	3857
799. प्रतिलिप्याधिकार अभिसमय	Copyright Convention ..	3857—3858
800. अमरीकी विज्ञान प्रतिष्ठान का प्रतिनिधि मंडल	US Science Foundation Delegation	3858
801. राजस्थान में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Rajasthan ..	3859
803. आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak. Infiltration in Assam ..	3859
804. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा विवाद	Border Dispute between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ..	3859—3860
805. दिल्ली के अध्यापकों की मांगें	Delhi Teachers' Demands ..	3860
806. दिल्ली प्रशासन के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds to Delhi Administration ..	3860—3861
807. करीमगंज के निकट राष्ट्र विरोधी दस्तावेजों का पकड़ा जाना	Recovery of anti-national documents near Karimganj ..	3861—3862
808. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर भारत विरोधी दस्तावेजों का पकड़ा जाना	Seizure of anti-Indian Documents on East Pakistan Border ..	3862

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
809. बिहार सरकार के अधिकारी	Officers of Bihar Government ..	3862—3863
810. बिहार में साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी ज्ञापन	Memorandum on Communal Riots in Bihar ..	3863
810-क. शाहदरा (दिल्ली) में विस्फोट	Explosion in Shahdara (Delhi) ..	3863—3864
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4985. संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल	Schools in Union Territories ..	3864
4986. एयर इण्डिया द्वारा विज्ञापन	Advertisements by Air India ..	3864—3865
4987. गुजरात में पर्यटक आकर्षण केन्द्रों में पर्यटकों के लिए परिवहन सम्बन्धी सुविधायें	Tourist Transport Facilities at places of Tourist's interest in Gujarat ..	3865—3866
4988. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47	National Highway No. 47 ..	3866
4989. गुजरात में होटल	Hotels in Gujarat	3867
4990. लड़कियों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Girls' Education ..	3867—3868
4991. भारतीय प्रशासनिक सेवा का दिल्ली हिमाचल प्रदेश संवर्ग	Delhi and Himachal Pradesh Cadre of I. A. S. ..	3868
4992. न्यायाधीशों की संख्या	Strength of Judges ..	3868—3869
4993. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान	Salaries of High Court Judges ..	3869—3870
4994. केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आन्ध्र प्रदेश के अधिकारी	Andhra Pradesh Officer on Deputation at Centre ..	3870
4995. भारतीय नौवहन	Indian Shipping	3870
4997. पाकिस्तानी राइफलमैनों द्वारा आसाम में हमले	Pak. raids in Assam ..	3870—3871
4999. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के तकनीकी कर्मचारी	Technical Staff in Central Hindi Directorate ..	3871
5000. महाराष्ट्र की एक फर्म में एक जर्मन नागरिक की नियुक्ति	Employment of a German National in a Maharashtra firm ..	3871
5001. कैथोलिक चैरिटीज, इण्डिया, नई दिल्ली	Catholic Charities, India, New Delhi ..	3872

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5002. भारत में चीनी और पाकिस्तानी एजेन्टों के कब्जे में भारतीय हथियार	Indian Arms in possession of Chinese and Pakistani Agents in India ..	3872—3873
5003. भुवनेश्वर की दुर्घटना	Bhubneshwar Incident ..	3873
5004. कनाडा की धर्म प्रचारक संस्था के एक सदस्य के विरुद्ध अपहरण की शिकायत	Complaint against a Member of Canadian Missionary Society for Kidnapping ..	3874
5005. 1 अक्तूबर, 1967 को चीनी दूतावास के सामने घटना	Incident in Front of Chinese Embassy on the 1st October, 1967 ..	3874
5006. नेपाली घुसपैठ	Nepali Intrusions ..	3874—3875
5007. राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक	Memorials of National Leaders ..	3875
5008. राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक	Memorials of National Leaders	3875
5009. बलिया (उत्तर प्रदेश) में खेती	Farming in Ballia (U. P.) ..	3875—3876
5010. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	National Academy of Administration, Mussoorie	3876
5011. केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के अधिकारी	State Government Officers on Deputation to Central Government ..	3876
5012. भूतपूर्व नरेशों के शस्त्रों पर कर की छूट	Tax exemption on Arms of ex-Rulers ..	3876—3877
5013. चीन पाकिस्तान की जासूसी की गतिविधियां	Sino Pakistan Spying activity ..	3877
5014. अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण से सम्बन्धित दस्तावेजों का प्रकाशित किया जाना	Release of Documents on Transfer of Power by the British ..	3877—3878
5015. आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam ..	3878
5016. ग्वालापाड़ा जिले में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ	Pakistani Intrusion in Goalpara District ..	3878—3879
5017. कार्मिक संघों के विश्व संधान द्वारा विरोध प्रदर्शन	Protest by World Federation of Trade Unions ..	3879
5018. नागालैंड में विदेशी धर्मप्रचारक	Foreign Missionaries in Nagaland ..	3879

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5019. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार, दिल्ली	Central Government Employees consumers' Co-operative Store, Delhi ..	3879—3880
5020. हरियाना और पंजाब उच्च न्यायालय में रिक्त स्थान	Vacancies in Haryana and Punjab High Court. ..	3880
5021. वास्तुकारों के लिये नौकरियां	Jobs for Architects ..	3880—3881
5022. मनीपुर के विधायक से हथियार तथा गोला बारूद का पकड़ा जाना	Seizure of Arms and Ammunitions from a Manipur MLA ..	3881
5023. कलकत्ता हल्दिया सड़क सम्पर्क	Calcutta Haldia Road Link ..	3881—3882
5024. पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर कार्यालय के निकट बम का पाया जाना	Bomb found near West Bengal Commercial Taxation Office ..	3882
5025. भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां	Privy Purses ..	3882—3883
5026. पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन	Study on Panchyati Raj Institutions	3883
5027. विदेशी पर्यटकों के लिये होटल	Hotels for Foreign Tourist ..	3883
5028. सस्ते दामों पर पाठ्य-पुस्तकें	Text Books at Cheap Rates ..	3883—3884
5029. पुस्तक भण्डार	Book Banks ..	8884
5030. अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी	English as compulsory subject	3884
5031. अमरीकी धर्म प्रचारक की गतिविधियां	Activities of an American Missionary ..	3884—3885
5032. दिल्ली में स्पिरिट का पकड़ा जाना	Recovery of Spirit in Delhi	3885
5033. दिल्ली में मोटरों तथा स्कूटरों के टायरों तथा ट्यूबों की चोरी	Theft of Motor and Scooter Tyres and Tubes in Delhi ..	3885
5034. पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Spy ..	3886

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5035. साप्ताहिक पत्रिका 'रेडियेंस' में राष्ट्र-विरोधी लेख	Anti National Article in Radiance weekly ..	3886—3887
5036. मील के पत्थर	Mile Posts ..	3887
5037. बड़े पत्तनों को नया रूप देना	Remodelling of Major Ports ..	3887—3888
5038. उड़ीसा उच्च न्यायालय	Orissa High Court ..	3888
5039. पर्यटन केन्द्र के रूप में चन्डीपुर का विकास	Development of Chandi pore as a Tourist Centre ..	3888—3889
5040. तलकर्षक उपकरण	Dredging Equipment ..	3889
5041. मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in M. P. ..	3889
5042. मध्य प्रदेश में विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists in M. P. ..	3890
5043. कुमारी मीनाबेन गांधी द्वारा उनके साथ आन्ध्र प्रदेश सरकार के व्यवहार के विरुद्ध की गई शिकायत	Complaint by Miss. Minaben Gandhi against the treatment meted out to her by the A. P. Government ..	3890
5044. मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to M. P. Students ..	3890—3891
5045. सड़क परिवहन सुविधाओं के लिये मध्य प्रदेश को धन का नियतन	Funds to Madhya Pradesh for Road Transport Facilities ..	3891
5046. विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार	Publicity to attract Foreign Tourists ..	3891
5047. काश्मीर के आर्थिक विकास के लिये सम्पर्क निकाय	Liason Body for Kashmir's Economic Development ..	3892
5048. ट्रेवल एजेंट (यात्रा अभिकर्त्ता)	Travel Agents ..	3892—3893
5049. पर्यटक मार्गदर्शक	Tourist Guides ..	3893
5050. नागा मिजो	Nagas/Mizos	3893
5051. विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक	Foreign Christian Missionaries ..	3893—3894
5052. पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pakistani Nationals ..	3894
5053. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों का मुअत्तल किया जाना	Suspension of I. P. S. I. A. S. and I. C. S. Officers in U. P. and M. P. ..	3894

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5054. आसाम में पाकिस्तानी तथा चीनी जासूसी (एजेंट)	Pak. and Chinese Agents in Assam ..	3894—3895
5055. विश्वविद्यालयों के उपकुलपति पद के लिये अर्हतायें	Qualifications for Vice-Chancellorship ..	3895
5056. इंजीनियरिंग संस्थाओं के लिये उपकरण	Equipment for Engineering Institutes ..	3895
5057. नौवहन समवायों द्वारा नये जहाज का खरीदना	Addition of new Vessels by Shipping Companies ..	3896
5058. भारत पाकिस्तान ब्रिटेन कांफ्रेंस की भाड़ा दरें	India Pakistani U. K. Conference Freight rates ..	3896
5059. विमान सेवाएं	Air Links ..	3897
5060. सुजानपुर (हिमाचल प्रदेश) में हवाई पट्टी	Airstrip at Sujanpur (H imachal Pradesh) ..	3897
5061. हिन्दी साहित्य सम्मेलन	Hindi Sahitya Sammelan ..	3897—3898
5062. हिन्दी साहित्य सम्मेलन	Hindi Sahitya Sammelan	3898
5063. हिन्दी साहित्य सम्मेलन	Hindi Sahitya Sammelan ..	3898—3899
5064. राज्यपालों पर खर्च	Expenditure on Governors	3899
5065. शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी में जारी किये गये आफिस आर्डर	Office orders issued in Hindi by Education Ministry ..	3899
5066. चीन के नेताओं के चित्रों का प्रदर्शन	Exhibition of Portraits of Chinese Leaders ..	3899—3900
5068. एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग के क्षेत्र में तटीय जहाजरानी का सर्वेक्षण	Survey of Coastal Shipping in ECAFE Region ..	3900
5069. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	C. S. I. R. ..	3900—3901
5070. चण्डीगढ़ के बारे में उप प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Deputy Prime Minister's Statement regarding Chandigarh ..	3901
5071. मंत्रियों द्वारा आस्तियों की घोषणा	Declaration of Assets by Ministers ..	3901—3902
5072. एयर इंडिया के इंजीनियरों द्वारा हड़ताल	Strike by Air India Engineers	3902

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5073. केन्द्रीय शिक्षा संस्था	Central Educational Institution ..	3903
5074. पर्यटन केन्द्र के रूप में इजूमलाई का विकास	Development of Ezhumalai as a Tourist Centre ..	3903
5075. केरल में नागरिक सम्भरण लोकप्रिय समिति (सिविल सप्लाइज पापुलर कमेटी)	Civil Supplies popular Committee in Kerala ..	3904
5076. प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये निधि	Funds for Development of Regional Languages ..	3904
5077. हवाई अड्डा आप्रेटर	Aerodrome Operators ..	3905
5078. सहायक हवाई अड्डा अधिकारी (असिस्टेंट एरोड्रोम आफिसर)	Assistant Aerodrome Officers ..	3905—3906
5079. असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदार	Chowkidars of Civil Aviation Department ..	3906
5080. केरल में सड़कें	Roads in Kerala ..	3907
5081. नेशनल लायब्रेरी, कलकत्ता के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Employees of National Library, Calcutta ..	3907—3908
5082. पुस्तकाध्यक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Librarianship Courses	3908
5083. नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Librarianship Course in National Library, Calcutta ..	3908—3909
5084. केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध	Financial Relations between Centre and States ..	3909
5085. शिक्षा आयोग	Education Commission	3909
5086. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	Central Reserve Police ..	3910
5087. विदेशों में शिक्षा सम्बन्धी सम्मेलन	Educational Conference Abroad ..	3910
5088. भावनगर में स्थानिक विश्वविद्यालय	Residential University at Bhavnagar	3911
5089. विश्वविद्यालयों के उपकुलपति	Vice-Chancellors of Universities ..	3911

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5090. कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की कार्ड-सूचिका	Card Index of Calcutta University Professors ..	3911
5091. दिल्ली में शान्तिवन के निकट पुल	Bridge Near Shanti Vana, Delhi ..	3912
5092. ग्वालपाड़ा जिले में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pakistani Intrusions in Goalpara District..	3912
5093. नेताजी की तलवार	Netajis Sword ..	3912—3913
5094. मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी शस्त्रास्त्र	Pakistani Arms in Madhya Pradesh ..	3913
5096. राष्ट्रीय चिह्न	National Emblem ..	3913
5097. हवाई अड्डों में प्रवेश के लिये टिकटों से होने वाली आय	Revenue from Airport Entrance Tickets ..	3914
5098. दिल्ली के गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल	Government Higher Secondary Schools, Delhi ..	3914
5099. दिल्ली पुलिस के लिये ऊनी वर्दी	Woollen Uniforms for Delhi Police	3915
5100. सत्याग्रहियों को राजनैतिक बन्दी मानना	Recognition of Satyagrahis as political Prisoners ..	3915
5101. शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah ..	3915
5102. जम्बो जेट विमान	Jumbo Jets ..	3915—3916
5103. माल तथा यात्री जहाज	Corgo and Passenger Ships ..	3916
5104. संघ राज्यक्षेत्रों के लिये संयुक्त प्रशासनिक पदालि	Joint Administrative Cadre for Union Territories ..	3917
5105. मनीपुर राइफल्स	Manipur Rifles ..	3917
5106. नागाओं का सीमा पार करके पाकिस्तान चले जाना	Nagas crossing over to Pakistan ..	3918
5107. अनुवाद के लिये रायल्टी	Royalty for Translation ..	3918
5108. खेती नामक प्रशिक्षण एवं निजी उड़ान वाला विमान	Trainer cum-private Flying Aircraft 'Revati' ..	3918—3919
5109. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत के गलत नक्शे का प्रकाशन	Wrong Map of India published by M.P. Govt. ..	3919

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5110. पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ	Pakistani Intrusions ..	3919—3920
5111. विद्रोही नागाओं द्वारा मारे गये सैनिक	Soldiers killed by Hostile Nagas ..	3920
5112. मनीपुर के कर्मचारियों के वेतन में परिवर्तन	Pay Revision of Manipur Employees ..	3920—3921
5113. भारतीय नौवहन कम्पनियों का लाभ	Profit of Indian Shipping Companies ..	3921
5114. स्कूलों में दण्ड	Punishment in Schools ..	3921
5115. पब्लिक स्कूलों को जमीन की कीमत के मामले में रियायत	Land Price Concessions to Public Schools ..	3922
5116. मनीपुर में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच	C. B. I. Investigations in Manipur ..	3922—3923
5117. प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन	Changes in Administrative set up ..	3923
5118. श्री बीजू पटनायक द्वारा दिल्ली के बिक्री कर विभाग के नाम जारी किये गये चेक	Cheques issued by Shri Biju Pattnaik in favour of Sales Tax Department of Delhi .	3923
5119. राजस्थान में विमान सेवाएं	Air Services in Rajasthan ..	3924
5120. राजस्थान में पर्यटक स्थान	Tourist places in Rajasthan ..	3924
5121. अध्यापकों का आर्थिक उत्थान	Economic Uplift of Teachers ..	3925
5122. स्वेच्छा से सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति होने की योजना	Voluntary Retirement of Government Employees ..	3925—3926
5123. सरकारी कर्मचारी	Government Employees ..	3926
5125. पोरबन्दर ओखा तटवर्ती राजपथ	Porbandar Okha Coastal Highway ..	3926—3927
5127. पोरबन्दर पत्तन	Porbandar Port ..	3927
5128. दिल्ली आसाम राजपथ	Delhi Assam Highway ..	3927—3928
5129. कोचीन और कोजीकोड में नये विश्वविद्यालय	New Universities at Cochin and Kozhikode ..	3928
5130. नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया	National Rifle Association of India ..	3928—3929

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5131. पश्चिम तट की सड़क	West Coast Road ..	3929
5132. पश्चिम तट की सड़क	West Coast Road ..	3929
5133. बैन्नूर में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centre at Venoor ..	3930
5134. दिल्ली प्रशासन में तदर्थ नियुक्तियां	Ad-hoc Appointments in Delhi Administration ..	3930
5135. साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots ..	3930—3931
5136. राजगीर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Rajgir as a Tourist Centre ..	3931
5137. दिल्ली में पर्यटक टैक्सियां	Tourist Taxis in Delhi ..	3931—3932
5138. बिहार में अध्यापकों की समस्यायें	Teacher's Problems in Bihar ..	3932
5139. सेवा की पदावधि प्रणाली	Tenure System of Service ..	3932—3933
5140. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद	National Council of Educational Research and Training ..	3933—3934
5141. दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक	Teachers of Delhi University ..	3934—3935
5142. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारी	N. C. E. R. T. Employees ..	3935
5143. मंत्रियों द्वारा कारों का प्रयोग	Use of Cars by Ministers ..	3935
5144. प्रशिक्षित कुत्ते	Trained Dogs ..	3935—3936
5145. मध्य प्रदेश में राजपथ पर पुलों का निर्माण	Construction of Bridge on National Highway in M. P. ..	3936
5146. द्वारकाधीश मन्दिर की मरम्मत	Repair of Dwarkadhish Temple ..	3936—3937
5147. उड़ान में महिला की मृत्यु	Death of a Woman in Flight ..	3937
5148. स्वेज नहर का बन्द हो जाना	Closure of Suez Canal ..	3937—3938
5149. विघटनकारी प्रवृत्तियां रोकने के लिये सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम	Socio Economic Programme to Curb Disintegrating Tendencies ..	3938
5150. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation for S. C. and S. T. ..	3938—3939

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5151. महाराष्ट्र में छोटी बन्दरगाहें	Minor Ports in Maharashtra ..	3939—3940
5152. माथेरान और लोनावाला पहाड़ी स्थानों का विकास	Development of Matheran and Lonavla Hill Stations ..	3940
5153. सफदरजंग हवाई अड्डा	Safdarjung Airport	3940
5154. विज्ञान प्रतिभाओं का चयन	Science Talent Selections ..	3941
5155. केरल कलामंडलम कथाकली दल	Kerala Kalamandalam Kathakali Troupe ..	3941—3942
5156. अन्दमान में उचित मूल्य वाली दुकानें	Fair Price Shops in Andaman ..	3942
5157. निकोबार द्वीपसमूह में उचित मूल्य वाली दुकानें	Fair Price Shops in Nicobar ..	3942—3943
5158. अन्दमान प्रशासन के विरुद्ध लेख याचिकायें	Writ Petitions against Andaman Administration ..	3943—3944
5159. अंडमान के जहाजों में यात्रा करने वाले यात्रियों से उतरने का शुल्क लिया जाना	Landing Charges on Passengers Travelling in Andaman Vessels ..	3944
5160. लाहौर में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी मेला	International Hockey Festival at Lahore ..	3944—3945
5161. भारतीय वन सेवा	INDIAN Forest Service ..	3945
5162. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मजदूरों को छुट्टी यात्रा रियायत	Leave Travel Concession to Workers in Andaman and Nicobar Islands ..	3945—3946
5163. अन्दमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay ..	3946
5164. हिन्दी अधिकारी	Hindi Officers ..	3946
5165. हिन्दी असिस्टेंट	Hindi Assistants ..	3947
5166. हिन्दी अधिकारियों के पद	Post of Hindi Officers ..	3947
5168. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी	Section Officers of Central Secretariat Service ..	3947—3948
5169. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	National Library, Calcutta ..	3948
5171. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में पकड़ा गया जासूस	H. A. L. Spy ..	3948—3949

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5172. उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन	Memorandum against Orrissa Chief Minister ..	3949
5173. नागाओं द्वारा भूमि पर बलात् कब्जा	Forcible Occupation of Land by Nagas ..	3949
5174. वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ	World Assembly of Youth ..	3949—3950
5175. हल्दिया पत्तन परियोजना में विस्थापित किसानों को नौकरियां	Jobs for displaced Agriculturists at Haldia Port Project ..	3950—3951
5176. पालम हवाई अड्डे के जलपान व्यवस्था के ठेकेदार से देय राशि की वसूली	Recovery of Outstanding Dues from Caterer at Palam Airport ..	3951
5177. डा० सोमरविले का बीजा रद्द किया जाना	Cancellation of the Visa of Dr. Sommerville ..	3952
5178. डाक तथा तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ	National Federation of P. & T.	3952
5179. कालेजों के विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना	C. G. H. Scheme for Students and Staff of Colleges ..	3953
5180. लोक वाहनों पर दोहरा कर	Double Taxation on Public Carriers ..	3953—3954
5181. पिलानी में टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets at Pilani ..	3954—3955
5182. दिल्ली में ऋण देने वाली फर्में	Finance Firms in Delhi ..	3955
5183. आपातकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों में से प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति	Recruitment of Class I Officers from Emergency Commissioned Officers ..	3955—3956
5183-क. औद्योगिक प्रबंधक पूल	Industrial Management Pool ..	3956
5183-ख. पत्तनों के भांडागारों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Warehouses at Ports ..	3956—3958
5183-ग. असैनिक अधिकारियों के लिए सेना बुलाना	Calling of Army to help Civil Authorities ..	3958
5183-घ. इंजीनियर	Engineers ..	3958
5183-ङ. जी०आर०पी० की सियालदह स्थित हवालात में मृत्यु	Death in the Lock up of Scaldah G. R. P...	3958—3959

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5183-च. सेंट्रल इंडियन मैडीसिनल प्लान्ट्स आर्गेनाइजेशन के बारे में समिति	Committee on Central Indians Medicinal Plant Organisation ..	3959
5183-छ. डा० धर्म तेजा	Dr. Dharma Teja ..	3959—3960
5183-ज. नौकार्य संस्थान अन्दमान द्वीप समूह	Afloat Establishment, Andaman Island ..	3960
5183-झ. अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र	Areas inhabited by Scheduled Tribes ..	3960
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
इंडियन एयर लाइन्स के डमडम हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटना के कारण तीन विमानों को पहुंची क्षति	Damage to three I. A. C. Aircraft due to accident at Dum Dum ..	3961—3962
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	3962—3963
राज्य-सभा से संदेश	Messages from the Rajya sabha ..	3964
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha ..	3964
दंड संहिता संशोधन विधेयक, दीवान चमन लाल का	Penal Code (Amendment) Bill by Diwan Chaman Lal ..	3964
हरियाना राज्य विधान सभा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Haryana State Legislature (Delegation of Powers) Bill ..	3964
गैर-सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
अठारहवां प्रतिवेदन	Eighteenth Report ..	3964
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report ..	3964
निदेश 115 के अधीन वक्तव्य	Statement Under Direction 115 ..	3965—3966
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia ..	3965
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Saha ..	3965—3966
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक	Unlawful Activities (Prevention) Bill ..	3966—3989
खंड 5 से 21 और 1	Clauses 5 to 21 and 1 ..	3966—3984

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	..	3984
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	..	3985
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	..	3985
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	..	3985—3986
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	..	3986
श्री विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	..	3986
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	..	3987
श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira	..	3987
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody	..	3987
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham		3987
श्री नाथपाई	Shri Nath Pai	..	3988
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	..	3988
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	3988—3989
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—		
बारहवां प्रतिवेदन	Twelfth Report	..	3989—3990
पारादीप पत्तन प्रन्यास संबंधी नियम के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Paradip Port Trust Rules	..	3990
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	..	3990

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 20 दिसम्बर, 1967/29 अग्रहायण, 1889 (शक)
Wednesday, December 20, 1967/Agrahayana 29, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यपालों की शक्तियां

*782. **श्री रवि राय :**
श्री देवेन्द्र सिंह :
श्री समर गुह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विधान-सभा का सत्र बुलाने के सम्बन्ध में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सरकार ने महान्यायवादी का मत पूछा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). विधान-सभा का सत्र बुलाने के सम्बन्ध में राज्यपाल की शक्तियों के प्रश्न पर महान्यायवादी के साथ सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया गया था, और उनका विचार यह था कि राज्यपाल को इस बारे में मंत्री-परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिये ।

श्री समर गुह : बिहार के राज्यपाल का पद छोड़ते समय श्री अनन्तशयनम आयंगर ने यह अशंका व्यक्त की थी कि :

"यदि दिल्ली के कुछ विभागों में यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैया बना रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा कि समस्त देश में तानाशाही का राज्य हो जायेगा और राजनीति में नौकरशाही आ जायेगी ।

राज्यपाल का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह को सुने और वह लोकतंत्र के तरीके से लाये गये मंत्रिमंडल को समाप्त करने की बजाय अपनी-अपनी राय द्वारा लोकतन्त्रात्मक ढंग से चुने गये मंत्रिमंडल को चुना हुआ माने।" और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल के महान्यायवादी ने यह कहा हैं कि राज्यपाल को विधान-सभा को बुलाने का अधिकार है सरकार को समाप्त करने का नहीं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे संविधान में भी राज्यपाल द्वारा विधान-सभा को बुलाने और मंत्रिमंडल को समाप्त करने के सम्बन्ध में उनके अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संविधान का विवेचन करने के लिये उच्चतम न्यायालय के तीन से पांच न्यायाधीशों का एक आयोग राज्यपाल द्वारा विधान-सभा को बुलाने और समाप्त करने के अधिकारों पर विचार कर रही है और पश्चिमी बंगाल विधान-सभा में पैदा हुई स्थिति के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न क्या है । उन्होंने कुछ दस्तावेजों से पढ़ा है जो प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । उन्होंने श्री आयंगर के विचारों का उल्लेख किया है । मैं भूतपूर्व राज्यपाल के विचारों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता । मेरा उनके विचारों से मतभेद हो सकता है । जहां तक विधान-सभा का सत्र बुलाने का सम्बन्ध है राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह को मानना पड़ेगा । यह स्पष्ट है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ऐसे मामले के सम्बन्ध में जब अध्यक्ष द्वारा विधान-सभा को अनुचित रूप से स्थगित किया गया हो, सभा और संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत या तो अध्यक्ष को हटाने या विधान सभा को विघटित किये बिना निलम्बित किया गया हो और उसके अधिकार संसद को प्राप्त हो गये हों, के सम्बन्ध में महान्यायवादी की सलाह मांगी गई है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विषय पर रोज चर्चा की जा रही है और वे इसके लिये सूचना मांगते हैं ।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे संविधान में राज्यपाल के कार्यों में मंत्रालय को समाप्त करने या संविधान सभा को बुलाने के सम्बन्ध में स्पष्ट अनुदेश हैं । यदि ऐसा है तो राज्यपाल के अधिकारों के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय को विवेचन करने की आवश्यकता क्यों हुई ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उन्होंने मेरी राय जानने के लिये कहा है । वे मेरे से कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । इन सब प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है और इस सम्बन्ध में कितनी ही बार जानकारी दी जा चुकी है । मैं उन्हें बार-बार बताना उचित नहीं समझता ।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या सरकार ने महान्यायवादी से इस सम्बन्ध में राय मांगी है कि क्या संविधान के अन्तर्गत अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा गठित मंत्रिमंडल को वैध या अवैध घोषित करने का अधिकार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रकार की सलाह समय-समय पर ली जाती रही है। इस विशेष बात के सम्बन्ध में सलाह ली गई है अथवा नहीं इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

Shri Prakash Vir Shastri: Different views have been raised by the different decisions given by the Governors of Haryana, Bihar and West Bengal. Some are of the views that they are right and some are of the views that they have gone beyond their powers. I am of the view that perhaps the framers of constitution did not think that such circumstances would arise when the question regarding the authority of the Governor would be raised. Whether the Home Minister will again consider regarding the powers and limits of the Governors. So that the same difficulties may not arise in future and law expert may be consulted ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। यदि हम संशोधनों द्वारा कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी करें तो भी 10 और 20 वर्ष आगे आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में हम सफल नहीं होंगे। अत: संविधान में संशोधन करना उचित नहीं है।

श्री विश्वनाथन : पश्चिमी बंगाल की स्थिति को हल करने के सम्बन्ध में हम रोज यह समाचार सुनते हैं कि स्थिति को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार प्रयास कर रही है। क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलायेंगे कि पश्चिमी बंगाल में गतिरोध को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

दूसरे क्या गृह-मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को यह आदेश दिये हैं कि वह अध्यक्ष के आदेश की अवज्ञा कर विधान सभा का सत्र फिर से बुलाने के आदेश दे।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यहां से राज्यपाल को कोई आदेश दिये जाने का प्रश्न नहीं है।

श्री विश्वनाथन : मेरे पहले प्रश्न कि क्या पश्चिमी बंगाल के गतिरोध को दूर करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में उन्होंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को पहले ही उत्तर दे दिया है।

Shri Sheo Narain: Whether it is a fact that the Governor is the representative of the President and as today there emergency in the country, the Governors of those places where there is disorder have the full powers of President.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे से संविधान के सम्बन्ध में राय मांगी गई है। इस सम्बन्ध मे तदर्थ राय देना मेरे लिये बहुत कठिन है।

श्री स्वैल : पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हाल ही में कई बार दिल्ली का दौरा किया है और हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र का हाथ है। क्या

गृह-कार्य मंत्री ने पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से इस बात का पता लगाया है कि उन्होंने अब पश्चिमी बंगाल विधान सभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इस प्रश्न पर उनसे चर्चा नहीं की है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : महान्यायवादी की इस सलाह को ध्यान में रखते हुए कि राज्यपाल को मंत्रालय की सलाह पर कार्य करना होता है, मैं यह मान सकता हूं कि राज्यपाल द्वारा पश्चिमी बंगाल में विधान-सभा का 18 दिसम्बर को, मंत्रालय की सलाह के अनुसार सत्र बुलाने से इन्कार करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया ? वहां दिसम्बर के बाद अब तक सत्र नहीं बुलाया गया है फिर भी इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल में, जहां संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : स्थिति स्पष्ट है क्योंकि विधान-सभा का सत्र 18 दिसम्बर से पूर्व बुलाया गया था । राज्यपाल ने इसी बात का ध्यान रखा कि सभा को बुलाना आवश्यक है । अत: उन्होंने सत्र बुलाया और हमें पता है कि उस सभा में क्या हुआ । प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री की इच्छा के बिना सत्र बुला सकता है । इसका उत्तर है नहीं । क्या इस विशेष मामले में राज्यपाल ने उन्हें विधान-सभा का सत्र बुलाने की सलाह दी यह भिन्न मामला है । यदि राज्यपाल अजय मुकर्जी की सलाह से असहमत होते तो वह सत्र नहीं बुला सकते थे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमें पहले बताया गया है कि महान्यायपति के विचार के अनुसार राज्यपाल मंत्रालय की सलाहानुसार कार्य करता है । जाने वाले मंत्रिमंडल ने विधान-सभा का सत्र 18 दिसम्बर को बुलाने को कहा था । राज्यपाल ने उसकी सलाह की अवहेलना की और आज वहां जीवन असमान्य है और रहना भी सम्भव नहीं । इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति क्या है । क्या वह मुख्यमंत्री की सलाह के बिना विधान-सभा का सत्र बुला सकता है या इसके लिये उसे मुख्य मंत्री की सलाह लेनी होती है । महान्यायवादी ने इस सम्बन्ध में यह सलाह दी है कि वह विधान-सभा की बैठक केवल मुख्यमंत्री की सलाह से ही बुला सकता है । मैं पश्चिमी बंगाल की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहता ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि भारतीय राज्यपाल ब्रिटिश उपनिवेश प्रणाली और भारतीय कानून के अनुयायी हैं, यद्यपि वह अपने को लोकतन्त्रात्मक अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने वाला कहते हैं फिर भी राज्यपाल और विधान-सभा के सम्बन्धों में असंतुलन है । अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संस्था इस असंतुलन को दूर करने के लिये कोई उपाय कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि राज्यपाल ब्रिटिश गवर्नरों के वंशज हैं । संविधान में राज्य विधान-सभा और राज्यपाल की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।

श्री हेम बरुआ : कविता की भांति उनके अधिकार असीमित हैं। आपने उनकी संविधान में व्याख्या नहीं की है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : विधान-सभा का सत्र बुलाने के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री ने यह बताया था कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है तो क्या यह राय अजय मुकर्जी की सरकार के समाप्त होने से पहले प्राप्त हो गई थी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी, हां।

Shri Sarjoo Pandey : Whether the Home Minister is aware that the fifty lawyers of West Bengal have appealed against the dismissal of West Bengal Assembly. They have also issued a joint statement in this regard. Taking into consideration the unconstitutional act done by the Governor, whether the Government is considering to recall the Governor.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी, नहीं।

श्री रंगा : क्या सरकार को यह याद है कि विधान-सभा में दिये गये सुझाव में कहा गया था कि कुछ अनुदेश तैयार किये जाने चाहिये और उन्हें सब राज्यपालों को सप्लाई किया जाना चाहिये और राज्यपालों को उन्हीं अनुदेशों के अनुसार, गृह-मंत्रालय के समय-समय पर किये जाने वाले हस्तक्षेप के खतरे के बिना कार्य करना होगा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्यपालों को गृह-मंत्रालय से भय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्यपालों की इस मामले में अपनी संवैधानिक स्थिति है।

जहां तक अनुदेशों का सम्बन्ध है जब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था तब भी इस सम्बन्ध में विचार किया गया था और ऐसा करना या न करना संविधान सभा की इच्छा पर छोड़ दिया गया था।

श्री रंगा : इसको समाविष्ट किया जाना चाहिये था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि कोई अनुदेश होते तो वे संविधान के एक भाग हो सकते थे, परन्तु ऐसा संविधान सभा का अभिप्राय नहीं था। मेरे विचार से माननीय सदस्य उस समय स्वयं ही भारतीय विधान-सभा के सदस्य थे। और मेरे विचार से उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारी होगी। हम इस सम्बन्ध में इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे कि क्या हम सरकारों के गठन के बाद राज्यपाल के मार्ग दर्शन के लिये कुछ नियम बना सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने कुछ देश के मुख्य विधि-शास्त्रियों से परामर्श किया है और उनकी राय से कुछ दलों के नेताओं को अवगत कराया है।

Shri George Fernandes : Home Minister has told the House that the advice of the Attorney General was received by the Central Government before dismissing the West Bengal Assembly by the Governor. I want to know whether the Government had tried to convey this advice to the Governor General of West Bengal?

If it has not been done and as a result of it some new circumstances have arisen under which the Governor has dismissed the Assembly without any power to do so. He was not stopped to do so even the Central Government was in the possession of the Attorney General's advice. I want to know the steps Government is proposing to do so to save the constitution?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्यपाल द्वारा मंत्रिमण्डल का समाप्त किया जाना अलग मामला है । पश्चिमी बंगाल में केवल मुख्यमंत्री की सलाह को स्वीकार करने का ही प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या मुख्यमंत्री द्वारा यह सलाह दिये जाने पर कि वह विधान-सभा की बैठक नहीं बुला सकते क्या राज्यपाल सभा की बैठक बुला सकता है ।

परन्तु इस विशेष मामले में राज्यपाल ने इसलिये सभा की बैठक बुलाने की दलील दी है क्योंकि मुख्यमंत्री को सभा में बहुमत प्राप्त नहीं था । जब उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो राज्यपाल ने और कार्यवाही की और मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया । यह बिल्कुल भिन्न तर्क है । यह राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही संवैधानिक स्थिति के प्रतिकूल नहीं है।

श्री हुमायून कबिर : क्या कानूनी सलाह द्वारा उठे इस प्रश्न की सरकार ने जांच की है जिसमें यह कहा गया है कि हालांकि राज्यपाल सभा को बुला नहीं सकता परन्तु सभा को बुलाने से इन्कार करने पर वह सभा को स्थगित कर सकता है । जहां तक सामान्य ज्ञान का सम्बन्ध है यह बहुत असंगत प्रतीत होता है । क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में इसमें कुछ असंगत नहीं है । राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता । पश्चिमी बंगाल में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 18 दिसम्बर को सभा का सत्र बुलाने की सलाह दी थी, परन्तु राज्यपाल इससे पहले सभा का सत्र बुलाना चाहते थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्यों ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह उनका निर्णय था क्योंकि शायद उनके विचार में मुख्यमंत्री अल्पमत में थे ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह उनका विचार था मेरा नहीं । उनका भिन्न विचार हो सकता है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्यपाल भूतपूर्व मंत्रिमंडल की सलाह न मानकर सभा का सत्र पहले बुला सकता है ? इसका उत्तर है "नहीं" ।

श्री स० कुण्डू : भारत में चौथे निर्वाचन के कुछ आवश्यक पहलू यह हैं कि उनके कुछ उपबन्धों की निर्वाचन के पश्चात् परीक्षा की जा रही है । जहां तक राज्यपालों के अधिकारों का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में लोक-सभा में दो बातों पर चर्चा की गई है । प्रथम यह कि क्या राज्यपाल बिना किसी की सलाह के स्वयं ही मंत्रिमंडल को समाप्त कर नया मंत्रिमण्डल नियुक्त कर

सकता है । दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्यों की सलाह क्या है । प्रश्न यह है कि यदि देश में लोकतंत्र को बनाये रखना है तो विवेचन को किसी व्यक्ति या दल विशेष नहीं छोड़ना होगा ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिये कोई संवैधानिक संशोधन किये जा सकते हैं ? ऐसा करने का कोई विचार नहीं है ।

पिलानी में बनाये गए ट्रांजिस्टर रेडियो सेट

*783. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी को एक टेबल माडल ट्रांजिस्टर रेडियो तैयार करने में दो वर्ष से भी अधिक समय लगा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका व्यापारिक आधार पर निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) 'मल्टी-बैन्ड टेबल माडल रिसीवरों' के विकास को लगभग एक वर्ष तक रोके रखना पड़ा क्योंकि लघु उद्योग संस्थाओं के संघ की प्रार्थना पर उस अवधि में 'सिंगल बैण्ड टांजिस्टर रिसीवरों' के विकास को उच्च प्राथमिकता देनी थी । संघ ने सरकार को कम कीमत पर रिसीवर देने की पेशकश की थी ।

(ग) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया है और प्रक्रिया को लाइसेंस देने के विषय में बातचीत चल रही है ।

श्री स० चं० सामन्त : पिलानी इंस्टीट्यूट और दूसरे देशीय स्रोतों से औसतन हमारी कितनी मांग पूरी होती है । किन देशों से पुर्जों का आयात किया जाता है और उन्हें कहां इकट्ठा किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : पिलानी इन्स्टीट्यूट में बनने वाले मॉडल में 189 करोड़ रुपये के देसी पुर्जे और 4.90 करोड़ रुपये की कीमत के आयातित पुर्जों का प्रयोग किया गया है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या भारत में किसी और संस्था को ट्रांजिस्टर बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है ताकि जनता को ये ट्रांजिस्टर कम मूल्य पर उपलब्ध हो सकें ।

डा० त्रिगुण सेन : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि किन और फर्मों को इसके निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं । पिलानी इंस्टीट्यूट देश में ट्रांजिस्टर बनाने के सम्बन्ध में खोज कर रहा है । वह कार्य 1964 में पूरा हो गया था । इसका प्रयोग किया जा रहा है । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि वह किस प्रकार जनता को उपलब्ध हो सके और इसको बढ़ावा दिया जा सके ।

Shri Baswant: Whether a meeting of the manufacturers of small electronic was called? If so, whether it was decided in that meeting to manufacture small transisters at low cost for the public.

डा० त्रिगुण सेन : जी हां, जैसा मैंने कहा नैशनल रिसर्च डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लघु उद्योग संस्थाओं से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहा है। और उन्होंने इसकी लागत का अनुमान लगभग 85 रुपये लगाया है।

श्री सूपकार : अभी हाल ही में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि हांगकांग परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये 15 रुपये प्रति ट्रांजिस्टर के हिसाब से ट्रांजिस्टर सप्लाई करने को तैयार है। इसका क्या कारण है कि देश में बनने वाले ट्रांसिटर इतने मंहगे हैं जबकि हांगकांग ने जो ट्रांजिस्टर सप्लाई करने को कहा है वह इतने सस्ते हैं।

डा० त्रिगुण सेन : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता।

चीनी घुसपैठिये

*785. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में नागालैंड, मिजो पहाड़ी जिला और नेफा में कितने चीनी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में चीन-समर्थक लोगों की सांठ-गांठ के साथ अग्रिम क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित चीनी एजेंट सक्रिय हैं; और

(ग) अग्रिम क्षेत्रों से ऐसे लोगों का सफाया करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्री श्री (यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान नागालैंड मिजो पहाड़ियां जिला और नेफा क्षेत्र में कोई चीनी घुसपैठिया गिरफ्तार नहीं किया गया।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक व्यवस्था की गई है और हमारी सुरक्षा सेनाएं सतर्क रहती हैं।

श्री रणधीर सिंह : क्या चीनी घुसपैठिये और चीनी एजेंट पाकिस्तान और चीन द्वारा स्वतन्त्र नागालैंड को मान्यता दिये जाने के लिये बहुत जोर लगा रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न का सम्बन्ध इन क्षेत्रों में घुसपैठियों से था और मेरा उत्तर था 'नहीं'। राजनीतिक दृष्टि से अलबत्ता यह काफी स्पष्ट है कि चीन नागालैंड में रुचि दिखा रहा है। स्वभावतः वह जागरूक है और हम भी जागरूक हैं।

Shri Randhir Singh : Have Government any scheme to settle the ex-servicemen, especially from Haryana and Punjab, in the border areas to counteract the activities of infiltrators and Chinese agents?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नेफा में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की एक योजना है जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। परन्तु मैं नहीं समझता कि केरल के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से चीन की संभाव्य राजनीतिक गतिविधियों का मुकाबिला किया जा सकता है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या भाग (ख) का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने इस बात को ध्यान में रखा है कि चीनी एजेंट आवश्यक रूप से चीन के लोग नहीं हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने उस पहलू को भी दृष्टिगत रखा है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार को पता है कि चीनी लोग इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि नेफा और नागालैंड से लोगों को चीन ले जाया जाये और वहां उनके विचार बदल कर उन्हें वापस भेजा जाये और यदि हां, तो सरकार इसको रोकने के लिये क्या कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : चूंकि चीन का इस क्षेत्र में राजनीतिक हित है, इसलिये वह लोगों के विचार बदलना चाहता है और हमें इस मामले के प्रति जागरूक रहना है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि कुछ नागा और मिजो चीन जाकर प्रशिक्षण लेते हैं और वहां से वापस लौटकर विद्रोह करते हैं और तोड़-फोड़ की कार्यवाही करते हैं ? क्या यह भी सच है कि सरकार कमजोर नीति अपना रही है और अच्छे आचरण के आश्वासन पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को छोड़ रही है और यदि नहीं, तो मामले में क्या कड़ी कार्यवाही की जाती है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सामान्यतः जब भी जासूस पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ की जाती है और यदि गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत कोई मामले आते हैं तो उन पर मुकदमे भी चलाये जाते हैं। कुछ मामलों में उनको दण्ड भी दिया गया है, परन्तु जब किसी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग लगाना संभव नहीं होता है, तो कुछ और तथ्यों की सहायता से उन पर मुकदमा चलाया जाता है। जहां तक चीन से प्रशिक्षण और हथियार लेने का सम्बन्ध है इस बारे में मैंने कई प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री शशि रंजन : इस प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों में ईसाई शिष्ट मण्डलों का बड़ा प्रभाव है। क्या उनका मुकाबिला करने के लिये सरकार भारत की अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन और सहायता देगी ? दूसरे, क्या सरकार को पता है कि खासी लोग भी आन्दोलन कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि वहां कोई अन्य लोग जाना चाहते हैं तो सरकार निश्चय ही उनकी प्रार्थना पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : कल मुझे एक माननीय सदस्य से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि मैं सदस्यों को बुलाने में पक्षपात करता हूं। आप कल की कार्यवाही को उठा कर देखिये कि मैंने किस सदस्य को दूसरी बार बुलाया है। मैंने किसी भी माननीय सदस्य को दूसरी बार नहीं बुलाया। इसके बावजूद भी मुझ पर यह टिप्पण किया जाता है।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

Shri Maharaj Singh Bharati: Whether it is military offensive or the espionage offensive, we lack initiative, they are always from the other side; we never retaliate or make counter-attack. What the reasons for this?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस प्रश्न के उत्तर में न 'हां' कह सकता हूं न 'न' कह सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा वे इसे कर रहे हैं, हम भी इस संभावना के प्रति जागरूक हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या उस प्रदेश में बढ़ती हुई जासूसी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आसाम सरकार ने केन्द्र को कोई पत्र भेजा है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : केवल आसाम सरकार का ही प्रश्न नहीं है, हम स्वयं इससे अवगत हैं।

Shri Ram Charan: The Hon. Minister stated that in his knowledge there is no Chinese infiltration there. But I would like to tell him that 95 per cent people there are against India and they have Chinese faces. Our Intelligence Bureau is not giving correct information, as most of the people in this Bureau cannot go into the interior areas. So the infiltration is there.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रतीत होता है माननीय सदस्य का अपना गुप्तचर विभाग है। यदि उनके पास कोई विशिष्ट जानकारी है तो वह उसे हमें दे दें यह एक महान् राष्ट्रीय सेवा होगी।

Shri Manibhai J. Patel: How many spies have been arrested during the last few months and what treatment is meted out to the Indians arrested by the Chinese?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कोई चीनी घुसपैठिये नहीं आये हैं। किसी चीनी घुसपैठिये को गिरफ्तार करने का कोई प्रश्न नहीं था। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

Shri O. P. Tyagi: What is the number of Pakistani infiltrators in Assam, how many of them have been considered for giving Indian citizenship by the Government?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री कार्तिक ओराओं : क्या नागालैंड, मिजोलैंड, सिक्किम और नेफा की सरकारों को भारत सरकार ने यह अधिकार दे दिया है कि वे शत्रु देशों के नागरिकों को शरण दें?

श्री यशवन्तराव चह्वण : जी नहीं, ऐसे अधिकार देने का का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Abdul Ghani Dar: My Hon. friend made a reference to Haryana also. He said that the price of a defector is 30-40 thousand rupees. What is the number of such persons operating in Assam?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि मैंने हरियाना के बारे में जो कुछ कहा है उससे इसका कोई सम्बन्ध है ।

Shri Kanwar Lal Gupta: What is the number of spies arrested from that area over the past years and how many of them have been prosecuted and convicted? What activities are being resorted by them to stabilize Chinese influence there and what specific steps do Government propose to take to counteract that?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : गुप्तचरों की निश्चित संख्या मैं नहीं बता सकता हूं । जहां तक घुसपैठियों का सम्बन्ध है कोई घुसपैठिये नहीं थे, परन्तु कुछ जासूसी कार्यवाही देखी गई थी । इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उनकी कार्यवाही का स्वरूप क्या है और सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जासूसी कार्यवाही का अर्थ है सैनिक शक्ति, राजनीतिक स्थिति आदि के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करना जिसको सामान्यतः प्राप्त करना आसान नहीं है । जब कि कुछ मामलों की जांच चल रही है, मैं विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता ।

स्वतन्त्र कार्मिक संघों का अन्तर्राष्ट्रीय संघान

*786. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्वतन्त्र कार्मिक संघों के अन्तर्राष्ट्रीय संघान का अपना एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, जो पहले कलकत्ता में था अब नई दिल्ली में है ;

(ख) क्या यह कार्यालय सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो अनुमति किन शर्तों पर दी गई थी ; और

(घ) क्या एशियाई क्षेत्रीय संगठन तथा स्वतन्त्र कार्मिक संघों के अन्तर्राष्ट्रीय संघान की भारत में गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये कोई सरकारी व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

Shri R. S. Vidyarthi: Is it not the duty of the Intelligence Bureau to bring to the notice of the Hon. Home Minister the anti-national activities of the foreign organisations operating in India? Is it not a fact that this organisation prepared a document "Social Security" in 1966 which was placed before the Hong Kong Labour Conference and the facts enu-

merated in it were contrary to those contained in the document "An outline of Labour Legislation Practice in India" brought out by our investment centre so that the foreigners may be discouraged to invest their capital in India?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह विशिष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है और वास्तव में गुप्तचर विभाग प्रत्येक संस्था की कार्यवाहियों की जांच नहीं करता है। यदि श्रम मंत्रालय से यह प्रश्न पूछा गया होता, तो शायद यह जानकारी मिल जाती।

Shri R. S. Vidyarthi : Sir, I want your protection. I had addressed this question to Labour Ministry and I do not know how it found its way to him. But if he is replying, I must get the complete information.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। अब आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

Shri R. S. Vidyarthi : Is it a fact that a number of senior Government officers are in league with this organisation. About four or five years back some action was initiated against them but the matter was hushed up by the then Deputy Minister. Still some foreigners are coming to this organisation for receiving education in labour law, but this did not yield any foreign exchange to the Government as the accounts are settled in Brussels where they are able to get Indian currency. All this is manoeuvred by the Secretary, Ministry of Home Ministry. Is any enquiry being held into this matter?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : स्वतन्त्र कार्मिक संघों का जो कानफीड्रेशन है उसके साथ कुछ स्थानीय कार्मिक संघों का सम्बन्ध है। वह संस्था रचनात्मक कार्य कर रही है जैसे कि कालिजों का चलाना। इसलिये कुछ मंत्री उसके उत्सवों में उपस्थित होंगे। चूंकि यह एक स्वयंसेवी संगठन है इसलिये इसके लिये सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

Shri R. S. Vidyarthi : My question is that why an organisation constituted by foreigners and working against the country has been permitted to carry on its activities.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे बताया गया है कि इस संस्था में भारतीय कर्मचारी भी हैं। यदि यह पूर्णरूप से विदेशियों की संस्था होती तो निश्चय ही इसकी जांच की आवश्यकता होती। मुझे बताया गया है कि यह एक स्वयंसेवी संगठन है और उसमें अधिकांशतः भारतीय कर्मचारी हैं। इस आधार पर यह कार्य कर रहा है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : भारत में राजनीतिक दलों की भी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कार्मिक संघ संस्थाएं काम कर रही हैं। क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री यह महसूस नहीं करते कि इस मामले में केवल श्रम-मंत्री की ही अपितु स्वयं उनकी भी जिम्मेदारी है और उन्हें उन कार्मिक संघ संगठनों के कार्य पर निगरानी रखनी है जिनके दूसरे देशों और हमारे राजनीतिक दलों से सम्बन्ध हैं?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निश्चय ही गृह-कार्य मंत्रालय की एक जिम्मेदारी है। इस मामले में मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहता। जबकि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हम स्वतः ही कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्वतन्त्र कार्मिक संघों के अन्तर्राष्ट्रीय कनफीड्रेशन से भी सम्बद्ध है ?

एक माननीय सदस्य : इन्डियन नेशनल कांग्रेस ?

श्री स० मो० बनर्जी : इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसके अध्यक्ष श्री पाण्डेय हैं।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : यह सम्बद्ध है।

श्री स० मो० बनर्जी : चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। क्या यह सच है कि इस निकाय के एशियाई प्रादेशिक संगठन के द्वारा इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अमरीका और अमरीका की सेंट्रल इन्टैलिजैंस एजेंसी से धन प्राप्त हो रहा है और यदि हां, तो इन्डियन नेशनल कांग्रेस को और खराब होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सच है कि अमरीकी प्रेस में उल्लिखित संस्थाओं में से यह भी एक संस्था है जिसे सी० आई० ए० से कुछ निधियां प्राप्त हो रही हैं। परन्तु जब तक मेरे पास निश्चित प्रमाण न हों मैं नहीं कह सकता कि इन्डियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस को इससे धन प्राप्त हो रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि निधियां प्राप्त हो रही हैं, तो क्या इसकी जांच की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : संसार में दो कार्मिक संघ संगठन हैं—एक आई० सी० एफ० टी० यू० और दूसरा डब्लू० एफ० टी० यू० जिसके साथ साम्यवादियों का सम्बन्ध है। आई० सी० एफ० टी० यू० लोकतन्त्र में विश्वास करती है। एक संचित निधि है जिसमें 'इनटक' भी अंशदान देती है और निधि के द्वारा लोक-तन्त्रात्मक विचारों को सिखाया जाता है। यह पैसा मजदूरों से आता है न कि मालिकों से। क्योंकि वे साम्यवादी हैं, इसलिये वे आई० एफ० टी० यू० पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री नम्बियार : क्या कालिज चलाने के नाम में इस संस्था से सम्बन्धित लोगों पर भारत में बड़ी-बड़ी रकमें व्यय की गई हैं और आई० एफ० टी० यू० सी० के माध्यम से, एक बड़ी संख्या में लोगों को अमरीका और अन्य सम्बन्धित देशों को भेजा जा रहा है जिससे सी० आई० ए० की कार्यवाही को बढ़ावा मिलता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अलबत्ता कुछ विद्यार्थियों का विनियम होता है और यहां पर कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। परन्तु यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके साथ स्थानीय कार्मिक संघों का सम्बन्ध है। अतः हमें एक संतुलित मत अपनाना चाहिये। माननीय सदस्य एक कार्मिक संघ कार्यकर्त्ता हैं और उनके पास अधिक जानकारी है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय

संगठन को उचित अंशदान देकर उस संगठन से कुछ भाग मिल जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ।

Shri M. A. Khan: 'A guilty conscience always pleads' (Chor ki darhi men tinka) remark is often repeated in this House. Will the Hon. Minister try to detect the guilty persons at the earliest?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य मुझे ऐसा काम करने के लिये कह रहे हैं जो दूसरों की दाढ़ी से सम्बन्ध रखता है ।

Shri Balraj Madhok: Are Government in principle against our local trade unions being affiliated to international organisations and if so, what action is being taken against those trade unions which are so affiliated?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह ऐसा मामला है जो श्रम मंत्रालय से सीधा सम्बन्धित है । मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

चुनाओं में सी० आई० ए० के धन का उपयोग

\+

*787. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री मधु लिमये : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आसूचना विभाग (सी० आई० बी०)/ केन्द्रीय जांच विभाग (सी० बी० आई०) द्वारा भारतीय राजनीति और विशेषकर चतुर्थ सामान्य निर्वाचन में सैन्ट्रल इन्टैलिजेन्स एजेन्सी के कार्य या विदेशी धन के लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट पर पूर्णरूप से विचार कर लिया है ;

(ख) इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या ये प्रतिवेदन और इस सम्बन्ध में सरकार के विचार सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) पिछले सामान्य निर्वाचन में तथा अन्य उद्देश्यों के लिये विदेशी धन के उपयोग के बारे में इन्टैलिजेंस ब्यूरो के प्रतिवेदन की अभी तक जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस प्रतिवेदन से उत्पन्न होने वाले मोटे-मोटे निष्कर्षों से सदन को अवगत करा दिया जायेगा ।

Shri Kameshwar Singh: I would like to draw the attention of the Hon. Minister to the press report which says as follows:

"New York December 19—A sharp division of opinion has been reported among members of a white House Panel over a plan to finance publicly those organisations once secretly supported by the Central Intellligence Agency".

What is the reaction of the Government to this? Does it not prove the veracity of reports regarding C. I. A.?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इस खबर को नहीं देखा है। मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है प्रतिवेदन की जांच की जा रही है और उसके जो भी परिणाम निकलेंगे वे सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

Shri Kameshwar Singh: I want a categorical answer as to when the report will be placed before the House.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह समस्या कुछ ऐसी ही है कि इसमें जल्दबाजी से काम नहीं किया जा सकता। अभी कुछ और महीने लगेंगे और मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि प्रतिवेदन कब सभा-पटल पर रखा जायेगा।

Shri Yajna Datt Sharma: Are Government prepared to hold a judicial enquiry by a Supreme Court into the allegations that C. I. A. funds were used to influence the fourth general election in India?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि किसी न्यायिक जांच से इन आरोपों का पता लगाने में कोई सहायता मिलेगी।

Shri Yajna Datt Sharma: Sir, it is an evasive reply. I want a categorical reply.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस मामले में न्यायिक जांच संभव नहीं है क्योंकि इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य पर न्यायाधीश अपना मत नहीं बना सकता। इस मामले में राजनीतिक जांच हो सकती है जैसी कि हमने की है। इसी लिये मैंने कहा कि न्यायिक जांच से कोई फायदा न होगा।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या माननीय मंत्री का ध्यान 'करंट' में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि पिछले आम चुनावों में रूस ने 129 उम्मीदवारों के चुनावों के लिये धन दिया? ऐसी भी खबरें हैं कि रूसी राजदूतावास के एक अधिकारी यूरी मोर्डिन रूसी के० जी० बी० एजेंट श्री लोगिनोव के पर्यवेक्षण में काम करते समय सक्रिय रूप से काम कर रहे थे? ये खबरें सच हैं या झूठ हैं?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास ऐसा कोई मामला नहीं है और न ही कोई प्रमाण है जिसके आधार पर मैं यह कह सकूं कि के० जी० बी० ने किन्हीं विशिष्ट उम्मीदवारों का समर्थन किया नहीं। परन्तु मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि दोनों ओर का पैसा पर्याप्त मात्रा में यहां चुनावों में उपयोग किया गया।

कुछ माननीय सदस्य : बड़ी शर्म की बात है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीन और पाकिस्तान के जासूसों की जासूसी की कार्यवाहियां

*781. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम और नेफा में भारतीय सेना के कुछ कर्मचारी चीनी और पाकिस्तानी एजेन्टों को सहायता देते हुए पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). केवल एक घटना ध्यान में आई है जिसका एक जवान से सम्बन्ध था। उसे 23 अगस्त, 1967 को भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अधीन एक अपराध के आरोप पर आसाम के लखीमपुर जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ गुप्त दस्तावेज बरामद हुए। मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली में अग्निकांड-ग्रस्त हुए लोगों के लिये वित्तीय सहायता

*784. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 18 नवम्बर, 1967 को चांदनी चौक में लगी आग में दिल्ली के व्यापारियों को हुई हानि के लिये उनको प्रतिकर देने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोही नागाओं को युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण

*788. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 300 विद्रोही नागाओं का एक अन्य दल शस्त्रास्त्र लेने और छापामार युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिये मनीपुर के काटंग सब-डिवीजन में पहुंच गया बताया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार को सूचना मिली है कि नागाओं के अनेक गिरोह सीमा-पार पाकिस्तान में जाने वाले हैं। सुरक्षा सेनाओं को सावधान कर दिया गया है, और वे सतर्क हैं। कुछ गिरोहों को रोक कर लौटा दिया गया है।

साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद

*789. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद के अभिशाप का मुकाबला करने के लिये राष्ट्रीय एकता की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस योजना के मूल-भूत सिद्धांत क्या हैं तथा योजना का ब्योरा क्या है और उसके कब तक लागू किये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनर्जीवित करने का निश्चय किया गया है । इसे, साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद जैसी राष्ट्रीय एकता में बाधक समस्याओं पर विचार करके सरकार को अपनी सिफारिशें देना होगा ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में चीन तथा पाकिस्तान के जासूस

*790. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन तथा पाकिस्तान के कुछ जासूस जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वहां चीनी लोग कुछ ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो सरकार के विरुद्ध हैं और उस राज्य में शरारत करना चाहते हैं; और

(ग) राज्य से उन लोगों को निकालने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे ऐसा पता चलता हो कि चीनी जासूस जम्मू तथा काश्मीर राज्य में राष्ट्र-विरोधी तत्वों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । सरकार इस बारे में सतर्क है । जासूसों का पता लगाने के लगातार प्रयत्न किये जाते हैं, और पाकिस्तानी जासूसों के अनेक गिरोहों का राज्य में पहले ही पता लगाया जा चुका है ।

हेलीकोप्टरों द्वारा मिजो विद्रोहियों को रोकना

*791. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मिजो विद्रोही नागाओं को जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयत्न कर रहे थे उन्हें रोकने के लिये हेलीकोप्टरों द्वारा विशेष कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग किस हद तक सफल सिद्ध हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जब कभी सैनिक कार्यवाही करने के लिये सुरक्षा सेनाओं को तेजी से ले जाना पड़ता है, तब सभी उपलब्ध परिवहन सुविधाओं को उपयोग में लाया जाता है । ऐसा कोई विशेष प्रयोग नहीं किया गया ।

एयर इन्डिया 'पी' फार्म सम्बन्धी गोलमाल

*792. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदकर्णी जांच आयोग द्वारा एयर इंडिया 'पी' फार्म सम्बन्धी गोलमाल के बारे में की जाने वाली जांच अब पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई आयोग नहीं गठित किया गया । मगर, एयर इंडिया ने कारपोरेशन के पांच अफसरों द्वारा 'पी' फार्म विनियमों के कथित उल्लंघन के बारे में जांच करने के लिये एक विभागीय जांच समिति स्थापित की थी जिसके परसोनेल आफिसर, श्री के० वाई० नादकर्णी, संयोजक थे । जांच के परिणाम-स्वरूप उन अफसरों में से दो के विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दी गयी है क्योंकि कोई ऐसा समर्थ प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह साबित हो सके कि इस मामले में उनका कोई हाथ था । बाकी तीन अफसरों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हीं अभियोगों पर उनके विरुद्ध न्याय-निर्णयार्थ मामलों में अभी फैसला दिया जाना है ।

वफादार मिजो लोगों को शस्त्रास्त्रों का दिया जाना

*793. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बफादर मिजो लोगों को शस्त्रास्त्र देने और नागरिक सुरक्षा संगठन स्थापित करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये उसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसको कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्यों द्वारा सेना को बुलाया जाना

*794. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति तथा व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिये सहायता हेतु सेना को बुलाने के मामले में राज्य सरकारों के मार्गदर्शनार्थ सरकार ने कोई नीति अथवा नियम बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) . दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा 129 से 131 तक में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये असैनिक अधिकारियों द्वारा सेना को बुलाने से सम्बंधित प्रक्रिया दी गई है ।

राष्ट्रीय ईसाई परिषद्

*795. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 19 नवम्बर, 1967 के सप्ताहिक पत्र आर्गेनाइजर में छपे इस आशय के समाचार को पढ़ा है कि भारत की राष्ट्रीय ईसाई परिषद् ने यह घोषणा की है कि वह भारत के लोगों को स्वतंत्र कराने के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही करेगी ;

(ख) क्या सरकार इस बात को लोगों को पृथकता के लिये उकसाने वाली कार्यवाही समझती है ; और

(ग) उक्त परिषद् के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार ने 19 नवम्बर, 1967 के आर्गेनाइजर में छपे समाचार को देख लिया है ।

(ख) और (ग). तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

जवाहरलाल नेहरू के निजी .कागजात

*796. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने अन्तिम इच्छा पत्र के द्वितीय तथा प्रवर्तक भाग में अपने समस्त निजी कागजात और पत्र व्यवहार को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता अथवा राष्ट्रीय अभिलेखागार (नई दिल्ली) में भेजने की इच्छा प्रकट की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कागजात तथा पत्र-व्यवहार को भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित संस्थाओं को अभी तक नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). श्री जवाहरलाल नेहरू की वसीयत और प्रतिज्ञा-पत्र से अब तक प्रकाशित अंश में इस मामले में कोई हवाला नहीं है । फिर भी यह पता चला है कि उन्होंने इस आशय का उल्लेख किया अवश्य था कि ऐतिहासिक महत्व के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जिनका संबंध स्वतन्त्रता आन्दोलन और स्वतन्त्रता के बाद की अवधि के इतिहास से है उन्हें, उनमें निर्दिष्ट संस्थाओं को सौंप दिया जाए । वसीयत के इस अंश को कार्यान्वित करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में कागजात को उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर

अलग-अलग छांटना एक श्रमसाध्य और समय लगने वाली प्रक्रिया है । यह कार्य किया जा रहा है और उसे शीघ्र करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं ।

Financial Assistance to Delhi Administration

*797. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri A. B. Vajpayee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount allocated by the Central Government to Delhi for expenditure during 1965-66 and 1966-67 was less than the revenue receipts from Delhi ;

(b) if so, the details of these amounts ;

(c) whether it is also a fact that even the allocated amounts have not been provided to the Delhi Administration in full ;

(d) if so, the reasons therefor ;

(e) whether the Delhi Administration have submitted any proposal to Government in this connection ; and

(f) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. The amount allocated for revenue expenditure exceeded the revenue receipt.

(b) Does not arise.

(c) and (d). Presumably this refers to Plan allocations for the current year. The Planning Commission allocates ceilings for the various schemes on a year-to-year basis. However, the budget provision for the schemes is made in the light of various factors such as the progress of the schemes and the capacity to implement them and thus utilise the funds that may be provided. Thus the budgeted outlays may not always conform to plan ceilings.

As against the plan allocation of Rs. 2,750·00 lakhs for Delhi for 1967-68, an amount of Rs. 2,645·99 lakhs has been provided in the budget.

(e) and (f). The Delhi Administration requested for additional funds amounting to Rs. 1,060·73 lakhs for various items during the current financial year. The proposals have been considered in the concerned Ministries and the present position is as follows :—

(i) Seven proposals involving Rs. 15·77 lakhs have been accepted.

(ii) Seven proposals involving Rs. 382·40 lakhs have been rejected ; and

(iii) No final decision has yet been taken in the case of 31 proposals involving Rs. 662·56 lakhs. Of these, 16 proposals are pending for want of detailed information from the Delhi Administration.

मध्य प्रदेश का बजट छपाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को अनुदेश

*797-क **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कारणों के बारे में कोई जांच की गई है जिनके परिणामस्वरूप गत लोक-सभा के सत्र की अवधि में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने मध्य प्रदेश सरकार को लोक-सभा में विचारार्थ बजट छपवाने का अनुदेश दिया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के किसी भी अधिकारी ने मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे कोई लिखित अथवा मौखिक अनुदेश नहीं दिये थे । बजट को छपाने की परिस्थितियां राज्य सरकार के प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दी गई हैं जिसे सदन के सभा-पटल पर 31 जुलाई, 1967 को रख दिया गया था ।

कारागार सम्बन्धी नियमावलियां

*798. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कारागार सम्बन्धी समस्त नियमावलियों में संशोधन नहीं किया गया है ;

(ख) कितने राज्यों में कारागार सम्बन्धी नियमावलियों में संशोधन किया गया है तथा कारावास में भोजन, कपड़ा आदि के वर्गीकरण में, राज्यवार, क्या-क्या नयी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना का एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2092/67**] शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना मिलने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Copyright Convention

*799. **Shri Shashi Bhushan Bajpai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Government of India propose to scrap the agreement regarding the royalty on books published by Great Britain and America under the Copyright Convention ; and

(b) if so, the details in regard thereto ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) There is no such proposal.

(b) Does not arise.

अमरीकी विज्ञान प्रतिष्ठान का प्रतिनिधिमंडल

*800. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीकी राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार तथा शिक्षा संस्थाओं के साथ भारत में विज्ञान शिक्षा के तरीकों के विकास के बारे में बातचीत करने के लिये नई दिल्ली आया था ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा और इस बातचीत के फलस्वरूप भारत में विज्ञान शिक्षा में क्या सुधार करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) भारत में विज्ञान के विद्यार्थियों में गवेषणा कार्य के लिये रुचि उत्पन्न करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) . अमरीकी विज्ञान प्रतिष्ठान के शासी निकाय के चार सदस्यों और प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान कार्य के प्रधान ने हाल ही में भारत का दौरा किया था । उनका मुख्य उद्देश्य 'समर साइंस इंस्टीट्यूट्स' द्वारा की गई प्रगति का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना था । बातचीत के परिणामस्वरूप यह तय पाया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और अन्य सम्बन्धित अभिकरण अग्रेतर विस्तार करेंगे और राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान यथासंभव अधिक सहायता देगी ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में उच्चतर वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये निम्न उपाय किये हैं :

(एक) चुनींदा विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययनों के केन्द्रों का स्थापित किया जाना और इन केन्द्रों में अध्ययन के लिये छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां देना ।

(दो) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के विज्ञान विभागों का विकास और विस्तार ।

(तीन) विज्ञान अनुसंधान छात्रवृत्तियों का दिया जाना ।

(चार) विज्ञान शिक्षकों को सेवाकाल में प्रशिक्षण देने के लिये ग्रीष्म संस्थान ।

(पांच) विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान में विद्यार्थियों द्वारा अधिक भाग लिये जाने के लिये विशेष कार्यक्रम ।

स्कूल अवस्था पर योग्य विद्यार्थियों का पता लगाने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने विज्ञान बुद्धिवैभव अनुसंधान योजना चालू की है ।

Border Roads in Rajasthan

*801. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the road construction work along the 700 mile border area of Rajasthan, adjacent to Pakistan, has been completed ;

(b) if not, the difficulties encountered by Government in this regard ;

(c) whether Government have given an assurance to the State Government that it would allocate adequate funds for the purpose ; and

(d) the expenditure incurred in the said area so far and the further expenditure likely to be incurred under the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Trarsport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b) . The programme for Strategic roads in the border areas of Rajasthan is expected to be completed by the target dates, and at present no particular difficulties are being visualised in this respect.

(c) Yes, Sir.

(d) The total expenditure booked till 31st October, 1967 on Strategic roads in Rajasthan is Rs. 10·19 crores and further likely expenditure is expected to be about Rs. 10·50 crores.

आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठ

*803. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालपाड़ा पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर सैकड़ों झोपड़ियां बन गई हैं जिनमें सीमा से निष्कासित व्यक्ति रहते हैं ;

(ख) क्या इन निष्कासित व्यक्तियों को समय-समय पर आसाम में घुसपैठियों के रूप में भेज दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) आसाम सरकार के अनुसार, गारो पहाड़ियों के पाकिस्तानी भाग/ग्वालपाड़ा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर निष्कासित व्यक्तियों के रहने के लिये बहुत सी झोपड़ियां बनाई गई हैं ।

(ख) निष्कासितों द्वारा समय-समय पर आसाम में प्रविष्ट होने के प्रयत्न किये गये हैं । जब कभी पता चल जाता है, तब उन्हें वापिस खदेड़ दिया जाता है ।

(ग) चौकसी रखी जा रही है और सीमा के साथ-साथ गश्त बढ़ाई गई है ।

Border Dispute between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh

*804. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of demarcation of border between Uttar Pradesh

and Madhya Pradesh has been under consideration of the Central Government for the last several years ;

(b) if so, the action taken by Government so far, and

(c) the time likely to be taken in the settlement of the said border disputes ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir. The question of rationalisation of the border between the two States is, however, being examined by a Committee. This Committee which consists of the Revenue Secretaries of the two States was set up by the Central Zonal Council at its meeting held in Bhopal on 19th September, 1964.

(b) and (c) : Do not arise.

दिल्ली के अध्यापकों की मांगें

*805. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के जिन लगभग 40 अध्यापकों ने संसद-भवन के बाहर हड़ताल तथा प्रदर्शनों में भाग लिया था, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है ;

(ख) क्या वह अपने अश्वासन के अनुसार शीघ्र ही अध्यापकों को मिलेंगे ; और

(ग) सरकार उनकी किन तात्कालिक मांगों पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जिन व्यक्तिओं ने वेतन-मानों के संशोधन के संबंध में हड़ताल तथा प्रदर्शनों में भाग लिया था, उनमें से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 7 अध्यापकों तथा एक प्रधानाचार्य, सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 4 अध्यापकों और दिल्ली नगर निगम विद्यालयों के 9 अध्यापकों के विरुद्ध मुअत्तली के आदेश जारी किए गए थे । बाद में इन आदेशों को सभी मामलों में रद्द कर दिया गया था ।

(ख) इस सम्बन्ध में बैठक 7 दिसम्बर, 1967 को हुई थी ।

(ग) ये मांगे वेतनमानों के संशोधन के सम्बन्ध में हैं ।

दिल्ली प्रशासन के लिए धन का नियतन

*806. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को धन के नियतन के मामले में एक विशेष दर्जा दिये जाने का अनुरोध किया है, जैसा कि काश्मीर के मामले में किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद से दिल्ली को जम्मू तथा काश्मीर के समान विशेष दर्जा दिये जाने के बारे में कोई सुझाव नहीं हुआ है। हां, दिल्ली प्रशासन से चालू वर्ष के दौरान 10.61 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का एक सुझाव प्राप्त हुआ था।

(ख) (i) 15.77 लाख रुपये की लागत के सात सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं।

(ii) 382.40 लाख रुपये की लागत के सात सुझाव अस्वीकृत कर दिये गए हैं; और

(iii) 31 सुझावों के बारे में, जिनकी लागत 662.56 लाख रुपये हैं, अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। इनमें से 16 सुझाव दिल्ली प्रशासन से विस्तृत सूचना के अभाव में रुके पड़े हैं।

करीमगंज के निकट राष्ट्र-विरोधी दस्तावेजों का पकड़ा जाना

*807. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर करीमगंज से पांच मील दूर एक भारतीय के घर पर छापा मारा और उसके पास के कुछ राष्ट्र-विरोधी दस्तावेज पकड़े ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कितने लोगों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में मुकदमें दाग़र किये गये हैं ;

(ग) क्या पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घस रहे एक भारतीय नागरिक के पास से सौ रुपये के चीनी नोट पकड़े गये ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) प्रथम दिसम्बर, 1967 को चन्द-सिकोना (कछार) के एक भारतीय नागरिक के मकान की सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस की सहायता से तलाशी ली गई। मकान से बंगला में लिखा हुआ एक अपराधात्मक दस्तावेज बरामद किया गया जिस पर न तो किसी के हस्ताक्षर ही थे और न ही वह किसी को सम्बोधित था।

(ख) इस सम्बन्ध में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा जोर शोर से जांच की जा रही है।

(ग) 29 नवम्बर, 1967 को लखी बाजार (कछार) में एक ऐसे व्यक्ति के पास से जो पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होने का दावा करता था, कुछ पाकिस्तानी नोट बरामद हुए थे।

(घ) स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर भारत विरोधी दस्तावेजों का पकड़ा जाना

*808. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शशि भूषण वाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चंदसिकोना में गिरफ्तार किये गये एक भारतीय नागरिक के पास से राष्ट्र विरोधी कई दस्तावेज तथा कुछ चीनी मुद्रा पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). 30 नवम्बर, 1967 को भारतीय दण्ड-प्रक्रिया संहिता के अधीन पंजीकृत एक मामले के बारे में चंदसिकोना (कछार) के एक भारतीय नागरिक को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सीमाशुल्क कर्मचारियों और पुलिस द्वारा उनके मकान की तलाशी ली जाने पर सुरक्षा से सम्बन्धित सामग्री वाला एक बिना हस्ताक्षर का ऐसा दस्तावेज बरामद हुआ जिस पर किसी का पता नहीं था।

(ग) इस मामले में जांच की जा रही है। जिन व्यक्तियों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे होने का सन्देह होता है, उन पर राज्य सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

बिहार सरकार के अधिकारी

*809. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार के ग्यारह प्रमुख पदाधिकारियों को, जिनको वर्ष 1948 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के रूप में समझा जाता था, पदावनत करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार का यह निर्णय इस सम्बन्ध में दी गई राज्य सरकार की सिफारिशों के प्रतिकूल है ; और

(घ) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप राज्य प्रशासन में पैदा होने वाली उलझनों, समस्याओं और विषमताओं पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) बिहार संवर्ग के 12 भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों की वरिष्ठता को अभी हाल ही में नीचे की ओर संशोधित किया गया है।

(ख) तीन अन्य भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों के अभ्यावेदन देने पर विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके यह निश्चय किया गया कि इन अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये उस अवधि को उनके सेवा काल में से निकाल दिया जाय जिसके दौरान वे निम्नतर पदों पर कार्य कर रहे थे।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) वरिष्ठता का निर्धारण परिनियत नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। अतः यदि कोई प्रशासनिक उलझनें और विषमताएं पैदा हों भी तो उन्हें अन्य बातों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

Memorandum on Communal Riots in Bihar

*810. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two Members of Parliament and a distinguished person from Bihar have sent a memorandum to the President, the Prime Minister and the Minister of Home Affairs regarding the communal riots in Bihar;

(b) if so, the action Government propose to take thereon; and

(c) if no action is proposed to be taken, the reasons therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) The Government have received a number of memoranda including some from honourable members of Parliament regarding the communal riots in Bihar.

(b) and (c): The Central Government have appointed a Commission of Inquiry under section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 which would inquire into the causes and course of major communal disturbances in recent months including those at Ranchi and Hatia.

शाहदरा (दिल्ली) में विस्फोट

*810-क **श्री बलराज मधोक :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री निहाल सिंह : **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 दिसम्बर, 1967 को शाहदरा, दिल्ली में एक बड़ा विस्फोट हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा कितनी हानि हुई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अब तक की गई जांच से पता चलता है कि यह विस्फोट एक मकान में जमा किये गये कुछ रासायनिक द्रव्यों के अचानक फट पड़ने के कारण हुआ था। अब तक 11 व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली है और 37 व्यक्तियों का चोटों के कारण इलाज किया गया। मकान को

लगभग 40,000 रुपये की क्षति पहुंची और अनुमानत: 35,000 रुपये की अन्य चल-सम्पत्ति का नुकसान हुआ ।

Schools in Union Territories

4985. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of schools such as Convent, Nursery, Montessori, Shishu Vidya Mandir and Sarswati Vidya Mandir in each Union Territory and the average monthly expenditure incurred per student in these schools ;

(b) the number of Government and Municipal Schools in each Union Territory and the average monthly expenditure per student therein ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The requisite information is being collected from the Union Territories and the same will be laid on the Table of the Sabha in due course.

एयर इण्डिया द्वारा विज्ञापन

4986. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में, एयर इंडिया द्वारा देश में और विदेशों में किन-किन समाचार-पत्रों तथा सामयिक पत्रिकाओं में विज्ञापन दिये गये और प्रत्येक समाचार-पत्र और सामयिक पत्रिका में इस पर कितना-कितना खर्च किया गया ;

(ख) 'आनलुकर' और 'स्काईवेज' की परिचालन संख्या क्या है और पिछले कई वर्षों से इनमें विज्ञापन देने के क्या कारण हैं ;

(ग) माध्यम का चुनाव करने की क्या कसौटी है ;

(घ) उक्त अवधि में देश और विदेशों में एयर इण्डिया के विज्ञापनों के लिए किन अन्य माध्यमों का उपयोग किया गया तथा उन पर कितना खर्च किया गया ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों के बदले में टिकटें लेकर कितने और किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस तारीख को किस-किस देश की यात्राएं कीं तथा प्रत्येक टिकट का मूल्य कितना था ; और

(च) पिछले पांच वर्षों में मैसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन (प्राइवेट) लिमिटेड को प्रति वर्ष कितनी राशि का विज्ञापन कार्य दिया गया और इस कम्पनी को विज्ञापन कार्य देने के क्या कारण हैं जबकि इतनी ही अच्छी भारतीय विज्ञापन एजेंसियां उपलब्ध हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारतीय समाचार-पत्रों/सामयिक पत्रिकाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-2093/67**] विदेशी समाचार-पत्रों/सामयिक पत्रिकाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) आडिट ब्यूरो आफ सरक्यूलेशन के अनुसार 'आनलुकर' की वर्तमान परिचालन संख्या 3,200 है और 'एशियन एण्ड इण्डियन स्काईवेज' की 1,500 होने का अनुमान है। एयर इंडिया 'आनलुकर' में विज्ञापन देना लाभदायक समझती है क्योंकि यह सम्भावित विमान यात्रियों द्वारा पढ़ी जाने वाली एक ऐसी प्रतिष्ठित पत्रिका (प्रेस्टीज मैगजीन) है, जिसमें अन्य विमान-सेवा कम्पनियां भी अपने विज्ञापन देती हैं वे 'एशियन एण्ड इंडियन स्काईवेज' में भी विज्ञापन देते हैं क्योंकि यह विमानन सम्बन्धी एक व्यावसायिक पत्रिका है।

(ग) चुनाव की कसौटी प्रकाशन का स्तर, इसके पाठकों की संख्या और यातायात की वृद्धि में उपयोगिता है।

(घ) सिनेमा स्लाइड्स, खिड़की प्रदर्शन, होर्डिंग्स, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, सीधी डाक, ब्रोश्यूर्स, कैलेण्डर इत्यादि।

वर्ष 1966-67 के दौरान भारत में इन माध्यमों पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय निम्न प्रकार है :

नकद	10.74 लाख रुपया
परिवहन/सेवा का ठेका	2.00 लाख रुपया

विदेशों में विभिन्न माध्यमों पर किये जाने वाले व्यय के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ङ) समस्त संसार में एयर इंडिया द्वारा लगभग 450 परिवहन/सेवा के ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये। उन व्यक्तियों की संख्या तथा उनके नाम, जिन्होंने एक्सचेंज टिकटों से यात्रा की, यात्रा की तारीख, देश और जारी किये गये प्रत्येक टिकट के मूल्य के ब्योरे इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(च) मैसर्स जे० वाल्टर थौम्पसन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एक कम्पनी है जो भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है और एयर इण्डिया का विज्ञापन-कार्य लगभग 30 वर्ष से करती आ रही है। एयर इण्डिया उनकी सेवाओं से पूर्णतया सन्तुष्ट है। पिछले पांच वर्षों के दौरान नकद भुगतान करके इस कम्पनी के द्वारा किये गये विज्ञापन का मूल्य निम्न प्रकार है :

1262/63	3.66 लाख रुपया
1963/64	3.55 लाख रुपया
1964/65	4.10 लाख रुपया
1965/66	3.98 लाख रुपया
1966/67	3.42 लाख रुपया

गुजरात में पर्यटक आकर्षण केन्द्रों में पर्यटकों के लिये परिवहन सम्बन्धी सुविधायें

4987. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में गुजरात राज्य में पर्यटकों की रुचि के स्थानों में परिवहन सम्बन्धी

सुविधायें उपलब्ध करने पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) चालू वर्ष में गुजरात राज्य में पर्यटक केन्द्रों की ओर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वर्ष 1966-67 में कितने विदेशी पर्यटक गुजरात राज्य में आये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केशोद हवाई अड्डा और सस्सनगीर के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को 62,031/-रुपये दिये गये ।

(ख) सस्सनगीर, पोरबन्दर, लोथल, मोढेरा और अहमदाबाद में पर्यटकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू वर्ष के दौरान गुजरात सरकार को उपदान देने के लिए केन्द्रीय बजट में 1.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) 1966-67 के दौरान 4,072 विदेशी पर्यटकों ने गुजरात राज्य में पर्यटक रुचि के स्थानों की यात्रा की । यह हिसाब गुजरात सरकार द्वारा लगाया गया है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47

4988. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में आने वाले राजपथ संख्या 47 की कुल लम्बाई कितनी है ;

(ख) राष्ट्रीय राजपथ की विशिष्टियों के अनुसार उक्त पथ को कितना चौड़ा किया गया है तथा उसमें क्या सुधार किया गया है ;

(ग) सरकार का विचार समस्त केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर सुधार कार्य कब तक पूरा कर लेने का है ; और

(घ) केरल में राजपथ संख्या 47 पर शीघ्र सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) लगभग 236 मील ।

(ख) 1956 से जब से केरल राज्य बना था तब से कुल मिला कर 74 मील के पहुंच मार्गों का सुधार और/या चौड़ा किया गया है ।

(ग) और (घ). आजकल जितना यातायात है उसके लिये राष्ट्रीय मुख्यमार्ग के शेष भाग में पर्याप्त क्षमता है, और उसे सुधारना या चौड़ा करना इतना जरूरी नहीं है कि आजकल के वित्तीय संकट में उसे हाथ में लिया जाये ।

गुजरात में होटल

4989. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सरकारी क्षेत्र में होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ;

(ग) क्या गुजरात में होटल स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी फर्मों को राज्य सहायता देने का सरकार का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ; और

(ङ) गुजरात में पर्यटकों के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त आवास की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार का गुजरात में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत होटल स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कोई उपदान नहीं दिया जाता, लेकिन निजी होटल मालिकों को होटल ऋण निधि से ऋण मिल सकेगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये गये रेस्ट हाउसों, होलीडे होमों और रिटाइरिंग-रूमों का आंशिक रूप से व्यय वहन करने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

लड़कियों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय सहायता

4990. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों की शिक्षा के लिये गुजरात राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) वर्ष 1967-68 में इस प्रयोजन के लिए गुजरात राज्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पूर्णतः 'सामान्य शिक्षा' विकास शीर्षक के लिए प्रति वर्ष राज्यवार केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जाती है, प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग नहीं । इस प्रकार चौथी आयोजना के दौरान केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए धन का कोई नियतन नहीं दिया जाता है ।

(ख) 1967-68 वर्ष के लिए 143.50 लाख रुपए की रकम 'सामान्य शिक्षा' तथा 'तकनीकी शिक्षा' विकास शीर्षक के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में गुजरात को निर्धारित की गई है इसके साथ-साथ इसमें लड़कियों की शिक्षा के कार्यक्रमों की कुछ सहायता भी शामिल है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा का दिल्ली हिमाचल प्रदेश संवर्ग

4991. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के दिल्ली हिमाचल प्रदेश संवर्ग को समाप्त करने तथा उसको संघ क्षेत्रीय संवर्ग में पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संवर्ग के पुनर्गठन तक दिल्ली और हिमाचल प्रदेश संवर्ग के वर्तमान पदस्थ व्यक्तियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन ग्रेड में नियुक्ति को स्थगित कर दिया गया है ;

(घ) क्या इस बारे में भी सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4158 के उत्तर के सम्बन्ध में योजना की एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर रख दी गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की चयन श्रेणी में रिक्त स्थानों के भरने के प्रश्न पर विचार संवर्ग के गठन में नियुक्तियां करने और संवर्ग में लोगों की वरिष्ठता निश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

न्यायाधीशों की संख्या

4992. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय में इस समय कितने न्यायाधीश हैं तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने स्थायी न्यायाधीश हैं ;

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या/कोटा कितना है ;

(ग) न्यायाधीशों की इस संख्या को किन आधारों अथवा सिद्धान्तों पर नियत किया जाता है ; और

(घ) गत कुछ वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इन सिद्धान्तों का पुनर्विलोकन करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2094/67]

(ग) प्रत्येक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की आवश्यकता उस न्यायालय को और उसमें मामलों के निपटाने की दर को ध्यान में रख कर निश्चित की जाती है।

(घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन समय-समय पर काम की हालत को देख कर किया जाता है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान

4993. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत भारत के संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना था उन्हें यदि कोई मुफ्त सुविधायें दी जाती थीं तो क्या ;

(ख) क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 के लागू होने के पश्चात तथा वर्ष 1950 से पूर्व प्रेजिडेंसी उच्च न्यायालयों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और अन्य न्यायाधीशों के वेतन कितने-कितने थे और यदि उनको कोई मुफ्त सुविधायें दी जाती थीं तो क्या ;

(ग) वर्ष 1919 और वर्ष 1950 के बीच उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में समय-समय पर क्या-क्या परिवर्तन किये गये ; और

(घ) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन और छुट्टी के सम्बन्ध में इस समय कौन से नियम लागू होते हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क)

मुख्य न्यायाधीश या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश	.....7,000 रु० प्रति मास
अन्य कोई न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश	.....5,000 रु० ,, ,,
निःशुल्क सुविधाएं	..... कुछ नहीं।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2095/67]

(घ) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अवकाश और पेंशन पर क्रमश: सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 लागू होते हैं ।

केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आन्ध्र प्रदेश के अधिकारी

4994. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार के कितने कर्मचारी श्रेणीवार इस समय केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ख) नियमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 6 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 के भाग (घ) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

भारतीय नौवहन

4995. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में भारत के जहाजों द्वारा बाहर कुल कितना माल भेजा गया और कितना माल भारत आया तथा तटीय नौवहन द्वारा इस अवधि में कितना माल लाया ले जाया गया; और

(ख) इन दोनों श्रेणियों में भारतीय नौवहन का कितने प्रतिशत भाग है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

पाकिस्तानी राइफलमैनों द्वारा आसाम में हमले

4997. **श्री रा० रा० सिंह देव** :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के राइफलमैनों द्वारा आसाम सीमा पर किये जाने वाले हमलों की संख्या पिछले 6 वर्षों में बढ़ गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ भारतीय ग्रामीणों का हाल में अपहरण कर लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन ग्रामीणों की रिहाई के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) पाकिस्तानी अधिकारियों को विरोधपत्र भेजे गये हैं। विरोधपत्रों में उनसे सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक तत्वों को नियन्त्रण में रखने को कहा गया है। सतर्कता और गश्त गहन कर दी गई है। ऐसे व्यक्तियों को बरामद करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाते हैं।

Technical Staff in Central Hindi Directorate

4999. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2273 on the 29th November, 1967 and state :

(a) the strength of technical staff and the ministerial staff separately in the Central Hindi Directorate as on the 1st November, 1967 ; and

(b) the number of technical personnel performing non-technical jobs ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) The strength of the staff employed on academic and Hindi propagation work which is classified as non-ministerial is 59. The strength of the ministerial staff doing clerical work is 49. The clerical work connected with the academic and Hindi propagation work is also handled by this clerical staff.

(b) Does not arise.

महाराष्ट्र की एक फर्म में एक जर्मन नागरिक की नियुक्ति

5000. **श्री रामचरण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वीजा लेकर 1966 में भारत आये एक जर्मन नागरिक को वीजा हिदायतों का उल्लंघन करके महाराष्ट्र की खांडेवाला ट्यूब कम्पनी में नियुक्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म मैसर्स मैन्समैन एंड मीयर एजी और मैसर्स खण्डेलवाल ट्यूब्ज के बीच एक करार के अन्तर्गत जर्मनी की फर्म को जिसने भारतीय फर्म को ट्यूब मिले प्लांट सप्लाई किया था, उस संयंत्र को चालू करने के लिये एक जर्मन तकनीशन भी देना था। चूंकि संभरणकर्त्ताओं का एक तकनीशन, श्री क्रूननब्रोक, यद्यपि एक पर्यटक वीजा पर, उस समय भारत में थे, इसलिये यह निश्चय किया गया था कि उपरोक्त प्रयोजन के लिये भारत में उनकी अवधि को बढ़ाने के लिये उन्हें अधिकार दे दिया जाये। तथापि वह उपरोक्त निर्णय की क्रियान्वित से पहले ही भारत से चले गये।

कैथोलिक चैरिटीज, इण्डिया, नई दिल्ली

5001. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैथोलिक चैरिटीज, इण्डिया, नई दिल्ली, ने विभिन्न कृषि सम्बन्धी तथा अन्य परियोजनाओं को चलाने के लिये, राज्यवार कितना-कितना धन खर्च किया है;

(ख) क्या कैथोलिक चैरिटीज मद्रास राज्य में नार्थ अर्काट में 16 लाख रुपये की योजना तथा इसी प्रकार की एक योजना सेलम जिले में वर्ष 1968 के प्रारम्भ में किसानों को पम्पिंग सेट लगाने और कुएं खोदने के लिये, बिना ब्याज के ऋण देने, ट्रैक्टर देने और मुफ्त भेंड़े आदि देने के लिये योजना को कार्यान्वित करने का विचार कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि मदर लूबिया और फादर स्टैनीसलौस मिरांडा, ईसाई धर्म प्रचारकों, ने महाराष्ट्र राज्य में थाना जिले में वाडोली और तालासेरी नामक स्थानों पर धान उपजाने वाली 275 एकड़ भूमि खरीदी है और मारली-आदिवासी सहकार समिति बनायी है और 'अवर फादर इन हैवन' गिरजाघर खोले हैं और वारली क्षेत्र के 40,000 आदिवासी वारलियों में से 5000 आदिवासी वारलियों को मुफ्त भेंड़ों और धान उपजाने वाली भूमि की रिश्वत देकर ईसाई बना लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन ईसाई धर्म प्रचारकों को देश के विभिन्न भागों में बड़ी-बड़ी कृषि सम्पदायें खरीद कर स्थायी पांव जमाने से रोकने के लिये सरकार का तुरन्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). तथ्य सुनिश्चित किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) यह सच नहीं है कि मदर लूबिया और फादर स्टैनीसलौस मिरांडा ने थाना जिला में 275 एकड़ भूमि खरीदी है, वारली आदिवासी सहकारी समिति बनाई है और 'अवर मदर इन हैवन' नाम के चर्च खोले हैं। कुल 40,000 वारली आदिवासियों में से 4000 को ईसाई बनाया गया है और इन धर्मप्रवर्तनों के बारे में अग्रेतर जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में चीनी और पाकिस्तानी एजेन्टों के कब्जे में भारतीय हथियार

5002. **श्री बाबूराव पटेल :**

श्री हेमराज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1967 के दूसरे सप्ताह में रुड़की के निकट गंगा नहर के किनारों पर बड़ी संख्या में कारतूस और मोरटार शैल, जिन पर भारतीय सेना के चिह्न

अंकित थे, बरामद किये गये थे और यदि हां, तो कितने तथा कितने मूल्य के हथियार बरामद किये गये;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये हथियार हमारे कुछ सैनिक कर्मचारियों द्वारा साम्यवादियों, चीनियों और पाकिस्तानी एजेन्टों तथा तोड़फोड़ करने वाले लोगों को बेचे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अगस्त-नवम्बर, 1967 के दौरान रुड़की के पास गंगा नहर के किनारों से 4,600 रु० मूल्य के निम्न गोलाबारूद बरामद हुआ था :

1. बन्दूक आदि के लिये बारूद	14,866 कारतूस
2. स्टैन कारबाईन बारूद	1,287 ,,
3. पिस्तौल बी० आई० बारूद	45 ,,
4. 2" और 3" मोरटार	43 ,,
5. स्विच	17 ,,

(ख) और (ग). जी नहीं। तथापि, सैनिक प्राधिकार ने अदालती जांच का आदेश दिया है और मामले की जांच हो रही है। अदालती जांच की सिफारिशों पर उपयुक्त अग्रेतर सुरक्षा उपाय किये जायंगे।

Bhubneshwar Incident

5003. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi was hurt in a public meeting during the General Elections in February last at Bhubneshwar ;

(b) the names of the persons proved guilty therefor ;

(c) the party responsible for this incident ; and

(d) the action being taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . The case is **sub-judice**

(d) Measures necessary for preventing the rccurrence of such incidents are being taken.

कनाडा की धर्म प्रचारक संस्था के एक सदस्य के विरुद्ध अपहरण की शिकायत

5004. **श्री उमानाथ :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रमानी :
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री अब्राहम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कनाडा की एक धर्म प्रचारक संस्था के एक सदस्य के विरुद्ध, 8 नवम्बर, 1967 को कुमारी जयश्री बोस का अपहरण करने के सम्बन्ध में शिकायत मिली है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कनाडा के उच्चायोग को कहा है; और

(ग) विदेशी धर्म प्रचारकों की इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना मिली है कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुमारी बोस का अपहरण किया गया था, परन्तु चूंकि कोई औपचारिक नहीं भेजी गई थी, इसलिये मामले में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

1 अक्तूबर, 1967 को चीनी दूतावास के सामने घटना

5005. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री एस्थोस :
श्री भगवान दास :
श्री अब्राहम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी दूतावास के सामने 1 अक्तूबर, 1967 को हुई घटना के बारे में श्री हंसराज रहबर नाम के एक व्यक्ति से प्रधान मंत्री को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) उसके निष्कर्ष पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . अभ्यावेदन में कथित कोई घटना चीनी दूतावास के सामने नहीं हुई । आरोप निराधार है और कोई जांच आवश्यक नहीं समझी जाती है ।

नेपाली घुसपैठ

5006. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही सरकार को किसी ऐसे मामले की जानकारी मिली है कि नेपाली सैनिक भारतीय राज्यक्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सीमा की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक

5007. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में और दिल्ली से बाहर किन-किन स्थानों पर सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों का निर्माण किया है अथवा इस कार्य में राज्य सरकारों की सहायता की है ;

(ख) अब तक राजघाट शान्तिवन, तीनमूर्ति भवन, विजय घाट, बुद्ध गार्डन और रवीन्द्र भवन में स्मारकों के निर्माण कार्य में कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इन स्मारकों के निर्माण कार्य की योजना को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये अभी कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जायेगी; और

(घ) इनकी देखभाल तथा मरम्मत आदि पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाती है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Memorials of National Leaders

5008. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of places in Delhi and outside Delhi where Government have constructed or helped the construction of the memorials of the late Pandit Moti Lal Nehru, Pandit Madan Mohan Malviya, Lala Lajpat Rai, Lokmanya Tilak, Dr. Rajendra Prasad, Netaji Subhas Chandra Bose, Deshbandhu Chittaranjan Das, Shrimati Sarojini Naidu, Shri Dadabhai Nauroji etc.; and

(b) whether any schemes to construct or to help the construction of the memorials of the aforesaid National leaders are under consideration or have been approved ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Farming in Ballia (U. P.)

5009. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Bihar Government is preventing the people of Ballia, Uttar Pradesh, to do farming in the land in Ballia which has shifted across Ganga River

on account of changing of bed by that river; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government are not aware of any such action taken by the Bihar Government. The Government of Uttar Pradesh who were consulted have also stated that they have not received any report of such action.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

5010. **श्री विश्वभरन्** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कितने घोड़े हैं ; और

(ख) प्रत्येक घोड़े पर औसत मासिक खर्च कितना आता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 30

(ख) जून से नवम्बर, 1967 के दौरान प्रति घोड़ा औसत मासिक व्यय 360 रु० था।

State Government Officers on Deputation to Central Government

5011. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of officers on deputation at present to Central Government from the State Governments;

(b) the number out of them who have been serving under the Central Government for more than two years; and

(c) whether it is also a fact that the State Governments have requested the Central Government to send these officers back to the States concerned; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). Information is being collected and it will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Tax Exemption on Arms of Ex-Rulers

5012. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the ex-rulers are exempted to pay tax on the weapons (pistols, guns etc.) imported by them from foreign countries;

(b) if so, the reason therefor; and

(c) the total number of ex-Rulers who have imported such weapons from abroad and the total amount of tax so exempted?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). One of the personnel privileges recognized in the case of Rulers of former Indian States who enjoyed a permanent salute of 19 guns and over is that they are allowed to import articles (including weapons) intended for their personal use free of customs duty.

(c) During 1966, two Rulers imported such weapons and the amount of tax foregone was Rs. 6,191.

चीन-पाकिस्तान की जासूसी की गतिविधियां

5013. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री समर गुह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 नवम्बर, 1967 को ग्वालपाड़ा जिले में धूबरी नामक स्थान में एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी से आसाम तथा कुछ अन्य सीमावर्ती राज्यों में चीन और पाकिस्तान की जासूसी की गतिविधियों का सुराग मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी लोगों ने चीनी विशेषज्ञों से जासूसी का प्रशिक्षण लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक को, 11/12 नवम्बर, 1967 की रात को धुर्वी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था । एक भारतीय राष्ट्रिक को भी इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था । बिना लाइसेंस के रिवाल्वर रखने के लिये शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत पाकिस्तानी राष्ट्रिक के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया गया है ।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण से सम्बन्धित दस्तावेजों का प्रकाशित किया जाना

5014. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की लओनार्डमोस्ले की "दी लास्ट डेज आफ ब्रिटिश राज" नामक पुस्तक में इस टिप्पणी का पता है कि भारत में सत्ता हस्तांतरण से सम्बन्धित सरकारी दस्तावेजों को सरकारी रूप से 1999 तक प्रकाशन के लिये नहीं दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) शायद ब्रिटेन सरकार के सरकारी दस्तावेजों का जिक्र किया गया है जिसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

आसाम का पुनर्गठन

5015. **श्री मधु लिमये :**

डा० रानेन सेन :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आसाम के पुनर्गठन का ऐसा आधार निकालने के लिये जो सब वर्गों के लोगों को स्वीकार्य हो, सरकार मामले की अग्रेतर जांच कर रही है । इसको ध्यान में रखते हुए यह कहना कठिन है कि आसाम के पुनर्गठन की कोई योजना कब क्रियान्वित होगी ।

ग्वालपाड़ा जिले में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

5016. **श्री मयाबन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के निकट ग्वालपाड़ा के साथा-रिहारी ग्राम में 12 पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से घुस आये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पाकिस्तानी नागरिक एक तालाब में बलपूर्वक तथा अवैध रूप से मछलियां पकड़ रहे थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 18 नवम्बर, 1967 को पाकिस्तानी सैनिक एक डाकिये को उठाकर ले गये थे ; और

(घ) आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा में पाकिस्तानियों की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) जी, हां। 19-11-1967 को 10/12 पाकिस्तानी राष्ट्रिक जिला ग्वालपाड़ा के एक भारतीय गांव में घुस आये और एक तालाब में मछलियां पकड़नी शुरू कर दीं। सिविल पुलिस ने हस्तक्षेप किया जब पाकिस्तानियों ने कहना नहीं माना तो 2 गोली चलाई तब वे वापिस पाकिस्तान भाग गये।

(ग) जी नहीं।

(घ) सतर्कता बर्ती जा रही है और सीमा गश्त को गहन कर दिया गया है

कार्मिक संघों के विश्व संधान द्वारा विरोध प्रदर्शन

5017. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक संघों के विश्व संधान ने पश्चिम बंगाल के मंत्रिमण्डल को हटाये जाने के बाद भारतीय जनता के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों पर कुठाराघात किये जाने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल की गतिविधियां एक आन्तरिक मामला है जिसके साथ देश के बाहर की संस्थाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Foreign Missionaries in Nagaland

5018. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any order prohibiting foreign missionaries to enter Nagaland has been issued by Government ;

(b) if so, when ; and

(c) the number of foreign missionaries working in Nagaland at present ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Nagaland is a Protected Area under the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958. Any foreigner, including a missionary, desiring to enter into, or remain in, any such area is required to obtain a permit from the prescribed authorities.

(c) According to the information available, the number of foreign missionaries in Nagaland at present is seven.

Central Government Employees Consumers' Cooperative Store, Delhi.

5019. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sales tax is not uniformly charged from all purchases made at Central Government Employees Consumers' Co-operative Store, New Delhi ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this connection ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (c). The rates of sales tax being charged are in accordance with the Schedule of Sales Tax rates, prescribed by the Delhi Administration. The rates are different for different items.

हरियाना और पंजाब उच्च न्यायालय में रिक्त स्थान

5020. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब और हरियाना के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों के स्थान रिक्त हैं ;

(ख) ये स्थान कितने समय से रिक्त पड़े हुए हैं ; और

(ग) इन स्थानों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इनके किस तिथि तक भरे जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिये पांच स्थान रिक्त हैं।

(ख) एक स्थान 30 मई, 1966 को रिक्त हुआ, दूसरा 30 मार्च, 1967 तथा तीसरा 27 सितम्बर, 1967 को रिक्त हुआ। भूतपूर्व पंजाब हाई कोर्ट के लिये दो नये पद बनाये गये थे, जो दिल्ली में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना सम्बन्धी निर्णय के कारण भरे नहीं गये थे।

(ग) रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता की ओर राज्य प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया गया था। नियुक्ति के लिये उनसे प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

वास्तुकारों के लिये नौकरियां

5021. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय वास्तुकार संस्था के प्रधान द्वारा हाल में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि देश में वास्तुकारों के लिये रोजगार के उचित अवसर बहुत कम हैं तथा उसके परिणामस्वरूप वह विदेशों को जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है जिससे वे भारत में ही उपयुक्त काम में लग सकें तथा समाज सेवा कर सकें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जी, हां। उपलब्ध जानकारी से यह प्रतीत होता है कि वास्तुकारों के लिये रोजगार के अवसर कुछ कम हुए हैं। गत कुछ वर्षों में निर्माण की गति धीमी होने के कारण यह कमी आई है। यह अपेक्षा की जाती है कि अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे दृढ़ होती जायेगी उनके रोजगार के अवसर बढ़ते जायेंगे।

वैज्ञानिकों के पूल की सुविधाएं वास्तुकारों के लिये भी उसी प्रकार उपलब्ध हैं जैसे वे अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त तथा अनुभवी भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

मनीपुर के विधायक से हथियार तथा गोला बारूद का पकड़ा जाना

5022. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर विधान-सभा के एक सदस्य, श्री देमजलम किपगेन के विरुद्ध एक मामला (शस्त्र अधिनियम के अधीन) विचाराधीन था और पुलिस ने उन्हें विशनपुर पुलिस गेट पर जब कि वह बिना लायसेंस की बन्दूकों और गोला बारूद सहित भारी मात्रा में हथियारों के साथ एक मोटरगाड़ी में चुराचान्दपुर की ओर जा रहे थे गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसका मामला मनीपुर के जुडीशियल कमिश्नर के न्यायालय तक गया था और न्यायालय ने इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिये लौटा दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मामला कई वर्षों से विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि से इस मामले की पैरवी न करने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। श्री देमजलम किपगेन कुछ अन्य लोगों के साथ कुछ बिना लाइसेंस की बन्दूकें और बारूद ले जाते हुए पकड़ा गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) नवम्बर 1964 से यह मामला विचाराधीन है।

(घ) मामले की जांच न किये जाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

कलकत्ता-हल्दिया सड़क सम्पर्क

5023. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और हल्दिया के बीच कोलघाट के रास्ते एक दूसरे सड़क सम्पर्क की व्यवस्था के लिये, जो कि एक छोटा मार्ग होगा और जिसे कोलाघाट से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 को बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है, क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार से इस कार्य के लिये भूमि अर्जित करने के लिये कहा गया था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने प्रारम्भिक कार्यवाही बहुत पहले पूरी कर ली थी परन्तु अन्तिम आदेश जारी नहीं किया गया था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 6 में कोलाघाट को हल्दिया पत्तन से मिलाने वाली सड़क को राष्ट्रीय मुख्यमार्ग योजना में शामिल कर लेने का और राष्ट्रीय मुख्य मार्ग निधि से इस सड़क के विकास को वित्तीय सहायता देने का निश्चय अभी हाल ही में किया गया है।

(ख) और (ग). हल्दिया लिंक मार्ग एक नवीन परियोजना है जिसमें 4 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पूर्ण पूंजी-देयता है और भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति के पूर्व इसके विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता थी। इस परीक्षा के पूर्ण होने के पूर्व राज्य सरकार से यह नहीं कहा जा सकता और कहा भी नहीं गया है कि वह भूमि-अर्जन आदि के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसमें धन का खर्च अनिवार्य हो। फिर भी सूचना मिली है कि भारत सरकार की मंजूरी की प्रत्याशा में इन दोनों मदों के बारे में वह अपनी ओर से कार्यवाही कर रही है।

Bomb Found near West Bengal Commercial Taxation Office

5024. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Dr. Surya Prakash Puri** :
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri K. M. Koushik** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a time bomb of sufficient explosive power was recovered by digging earth near the West Bengal Commercial Taxation Office near Boniaghat in East Calcutta ;

(b) whether Government have asked for details in this regard from the State Government and whether there was any evidence of a hand of some foreign countries therein ; and

(c) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : No, Sir. A jutethread cracker which was in the nature of an ordinary fire-work, was found in a heap of ash on an open plot on the western side of the Commercial Taxation Building. This was destroyed after obtaining permission from the Police Magistrate concerned.

Privy Purses

5025. **Shri Raghuvir Singh Shastri** :
Shri Hem Barua :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first week of December, 1967, he invited some ex-rulers for talks regarding the abolition of privy purses ;

(b) if so, the details of the talks held ; and

(c) the final decision taken in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) There were no talks with Rulers of former Indian States in the first week of December.

(b) Does not arise.

(c) The decision has not yet been taken.

Study on Panchayati Raj Institutions

5026. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Institute of Public Administration has on behalf of the Administrative Reforms Commission made a study of the Panchayati Raj Institutions in various parts of the country ;

(b) if so, the conclusions arrived at ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Indian Institute of Public Administration conducted a study of the "Pattern of Control and Supervision of Panchayati Raj Institutions" in Madras, Maharashtra and Rajasthan on behalf of the Administrative Reforms Commission and submitted its report to the Commission. The report is under consideration of the Commission, and hence the question of Government taking any action thereon at this stage, does not arise.

Hotels for Foreign Tourists

5027. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of hotels for foreign tourists constructed in the country with the Central assistance during the last ten years ;

(b) the number of Indian and foreign tourists who had stayed there each year during the last ten years ; and

(c) whether there are any hotels in which only foreign tourists are permitted to stay ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) During the last ten years, two hotels in New Delhi, Ranjit and Lodhi, have been constructed and are being run by the Government. The Government has also purchased the Laxmi Vilas Palace Hotel in Udaipur during this period, which is being run by the India Tourism Development Corporation a public sector undertaking. However, these are not exclusively for foreign tourists.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) No, Sir. All hotels in the country are open to all persons, including foreign tourists.

सस्ते दामों पर पाठ्यपुस्तकें

5028. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा को कम खर्च वाली बनाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मुफ्त पुस्तकें देने और मिडिल व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के पुस्तकालयों के भवन बनाने के सम्बन्ध में एक योजना विचाराधीन है।

पुस्तक भण्डार

5029. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्धन विद्यार्थियों की सहायता करने के लिये स्कूलों में पुस्तक भण्डार (बुक बैंक) खोलने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). प्राथमिक स्तर पर गरीब तथा जरूरतमन्द बच्चों के लिये मुफ्त पुस्तकें प्रदान करने और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक-पुस्तकालयों के निर्माण करने के सम्बन्ध में एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

English as Compulsory Subject

5030. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5423 on the 12th July, 1967 and state :

(a) whether the information regarding the discontinuance of English as a compulsory subject in the educational institutions in the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) Bihar and Uttar Pradesh Governments have decided to make the study of English optional at the Secondary stage. No such decision has been taken by the Madhya Pradesh Government.

अमरीकी धर्मप्रचारक की गतिविधियां

5031. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकन धर्म प्रचारक रेवरेन्ड रैली कब से भारत में रह रहे हैं और इसके साथ कितने धर्म प्रचारक कार्य कर रहे हैं तथा उनके प्रचार संघ का क्या नाम है ;

(ख) बिहार में किस-किस देश के कितने विदेशी धर्म प्रचारक हैं तथा उन धर्म प्रचार संघों के क्या नाम हैं जिनसे वे सम्बन्धित हैं तथा वे कहां कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रेवरेन्ड रैली जो वास्तव में एक आस्ट्रेलियन राष्ट्रजन हैं, सोसायटी आफ जेसस से सम्बद्ध हैं। अधिक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) एक विवरण जिसमें बिहार में 1-1-1967 तक विद्यमान रजिस्टर्ड विदेशी धर्म प्रचारकों तथा 1-6-1967 तक राष्ट्रमंडल के धर्म प्रचारकों की राष्ट्रवार संख्या दी गई है, सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2096/67**] इससे आगे की जानकारी एकत्र की जा रही है, जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) परराष्ट्रक अधिनियम 1946 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम और आदेशों के अनुसार सरकार को पर्याप्त शक्ति मिली हुई है। जिन विदेशियों के बारे में पता चलता है कि वे राष्ट्र विरोधी या आपत्तिजनक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई है/की जा रही है।

Recovery of Spirit in Delhi

5032. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 3,600 litres of rectified spirit were recovered from a truck in Delhi as reported in the Hindustan dated the 23rd November, 1967 ;

(b) if so, the place from which this spirit had been brought ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. But the quantity of rectified spirit seized was about 2600 litres.

(b) and (c). Two persons were arrested and a case was registered against them under the Excise Act. The case is still under investigation.

Theft of Motor and Scooter Tyres and Tubes in Delhi

5033. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased the state :

(a) whether it is a fact that because of the shortage of motor and scooter tyres and tubes, the cases of their theft have increased in Delhi ; and

(b) the number of tyre and tube thieves arrested during the last six months and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Thirty persons were arrested during the last six months for theft of tyres and tubes. Eleven of them have been challaned and the cases against 17 persons are pending investigation. Two persons have been discharged.

Arrest of Pakistani Spy

5034. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently a spy, disguised as a cook, was arrested in Kamrup District, as reported in the Hindustan dated the 24th November, 1967 ;

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto ; and

(c) the number of spies arrested on the borders of States of Assam, Bengal and Punjab during the last six months and the action taken against them ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b).No such arrest was made in Kamrup District.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Name of the State.	Number of spies arrested during the period from June—November, 1967.	Action taken
Assam	6	4 detained under D. I. R. ; and cases of 2 are under investigation.
Punjab	20	Majority of the cases under investigation.
West Bengal	4	Under investigation.

साप्ताहिक पत्रिका 'रेडियेंस' में राष्ट्रविरोधी लेख

5035. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 22 अक्तूबर, 1967 के स्थानीय साप्ताहिक पत्रिका 'रेडियेंस' में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के हमारे वीर और महाबली जवानों पर बहुत भद्दी तथा अपमानजनक भाषा में आक्षेप किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पत्रिका 'अलबास-एल-इस्लाम' में भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में इसी प्रकार के आक्षेप किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पत्रिकाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) "रांची में हुये दंगों पर अधिक प्रकाश" शीर्षक के अधीन लिखा गया एक लेख सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) चूंकि रांची और हतिया के दंगों के बारे में जांच आयोग द्वारा जाँच की जा रही है, इसलिये सरकार आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करना पसन्द करेगी।

मील के पत्थर

5036. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपथों पर मील के पत्थरों के स्थान पर किलोमीटर के पत्थर जमाने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया था ; और

(ख) अब तक इन पत्थरों को लगाने पर कितना धन खर्च हुआ है और अब तक सड़क के कितने मीलों में मील के पत्थरों के स्थान पर किलोमीटर के पत्थर लगाये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अगस्त, 1961।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और समय पर सभा-पटल पर पेश कर दी जायेगी।

बड़े पत्तनों को नया रूप देना

5037. **श्री स० कुन्डू** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बड़े पत्तनों को नया रूप देने की कोई योजनाएं मंत्रालय के विचाराधीन हैं ताकि मंत्रालय द्वारा विदेशों से खरीदे जाने वाले बड़े-बड़े जहाजों के लिये इनका उपयोग किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें क्या हैं और इन पत्तनों के नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) बड़े आकार प्रकार और गहरे डुबाव के पोतों की आवश्यकता पूर्ति के लिये बनाई गई स्कीमों में बड़े पत्तनों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रूपरेखा में व्यवस्था की गई है। स्कीम इस प्रकार है :

कलकत्ता पत्तन के निकट हल्दिया में 7 घाटों का एक नया डाक सिस्टम और एक तेल जेटी निर्माणाधीन है।

बम्बई में डाक विस्तार स्कीम और वलाईपियर स्कीम जिसमें आठ घाट जोड़े जाने का विचार है, प्रगति पर हैं। बूचर द्वीप में तेलवाही पोत के घाटों के ब्रेस्टिंग डालफिन की घाट की क्षमता में सुधार करने के लिये एक स्कीम बनाई गई है। बम्बई के मौजूदा पत्तन के पूर्वी ओर पर बम्बई पत्तन के लिये एक सहायक पत्तन स्थापित करने की शक्यता का, पत्तन के भविष्य विकास के लिये मास्टर योजना की तैयारी के भाग के रूप में बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के सलाहकारों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

मद्रास में एक वाह्य-पत्तन (धातुक तथा तेल घाट) का निर्माण किया जा रहा है।

कोचीन में एक दूर तटीय सीमान्त भवन के निर्माण की शक्यता की जांच करने का प्रस्ताव है।

विशाखापत्तनम् में लोह धातुक के विशालमात्रा पर निर्यात के लिये क्षेत्र में दूर तटीय सीमान्त भवन की व्यवस्था का या उसी क्षेत्र में एक नये पत्तन के निर्माण जिसमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था हो, इसकी जांच की जा रही है।

कांडला में एक छठा माल घाट बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मारमोगांव में आधुनिक यांत्रिक धरा उठाई सुविधाओं सहित खनिज घाट की और एक खनिज तेल जेटी की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है।

पारादीप में पत्तन के दूसरी अवस्था के विकास के भाग के रूप में, 60000 डी० डब्ल्यू० टी० के पोतों का पत्तन में आने की सुविधा के लिये उसे विकसित करने पर विचार किया जायेगा।

उड़ीसा उच्च न्यायालय

5038. **श्री स० कुन्डू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि पिछले पांच वर्षों में से उड़ीसा उच्च न्यायालय में कम न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस उच्च न्यायालय के लिये पांच न्यायाधीशों की निर्धारित संख्या पूरी करने के लिये नये न्यायाधीश नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). चूंकि उच्च न्यायालय में अब कार्यभार कम है जिसके कारण वहां नये जज नियुक्त नहीं किये गये हैं और उड़ीसा के उच्च न्यायालय में कम जज काम कर रहे हैं। अब हाल ही में काम का भार बढ़ गया है इसलिये वहां एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है और एक स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति शीघ्र ही की जायेगी। इस प्रकार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 5 स्थायी न्यायाधीश और एक अतिरिक्त न्यायाधीश कर दी गई है।

पर्यटन केन्द्र के रूप में चन्डीपुर का विकास

5039. **श्री स० कुन्डू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय उड़ीसा में बालासोर जिले में समुद्र तट पर चण्डीपुर को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी किसी योजना की सम्भावना की जांच करने का उनके मंत्रालय का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) क्योंकि इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिये अगले पांच वर्षों में फण्ड उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है इसकी व्यवहार्यता की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तलकर्षक उपकरण

5040. **श्री जनार्दनन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के क्षेत्र के देशों की सहायता के लिये तलकर्षक उपकरणों का एक क्षेत्रीय पूंजी बनाने के लिये एशिया तथा सुदूर पूर्व के देशों के लिये आर्थिक आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). इकाफे क्षेत्र के देशों की सहायता के लिये निकर्षण उपस्करों का एक क्षेत्रीय निकाय बनाने के प्रश्न पर इकाफे की परिवहन और संचार समिति की जल परिवहन उप समिति द्वारा अक्तूबर-नवम्बर, 1967 को बैंकाक में हुये अपने आठवें सत्र में विचार किया गया था । उप समिति ने निश्चय किया कि सदस्य देशों से उनके निकर्षण कार्यकलाप, उनके पास उपलब्ध निकर्षक उपस्कर, और समय की अनुबन्धित अवधि के लिये लगी हुई मात्रा की उनकी निकर्षक आवश्यकताओं के निश्चित कार्यक्रम के सम्बन्ध में सदस्य देशों से इकाफे द्वारा आधारभूत सूचना के एकत्र होने तक, इस प्रश्न पर विचार स्थगित किया जाये ।

Tourist Centres in M. P.

5041. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total amount allotted to the Madhya Pradesh for developing tourist centres in that State during the Fourth Plan ; and

(b) the details of the programmes in respect thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). In the draft Fourth Five Year Plan, the amount allocated to Madhya Pradesh in the Central and State sectors for the development of tourist centres was Rs. 80.40 lakhs. The breakdown of this amount is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-2097/67].**

Foreign Tourist in M. P.

5042. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether there has been any decline in the number of tourists who visited Madhya Pradesh during the last three years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the remedial steps taken or prepared to be taken in the matter?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) No tourist statistics are maintained by the Department of Tourism in respect of individual tourist Centres or States. However, from the information available from the State Government and the Archaeological Survey of India (based on the sale of entry tickets to monuments) there has not been any decline in the number of tourists visiting important tourist centres in Madhya Pradesh.

(b) and (c). Do not arise.

कुमारी मीनाबेन गांधी द्वारा उनके साथ आन्ध्र प्रदेश सरकार के व्यवहार के विरुद्ध की गई शिकायत

5043. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 नवम्बर, 1967 को 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस खबर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है जिसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी की पौत्री कुमारी मीनाबेन गांधी जिन्हें केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समस्त देश का दौरा कर स्कूल के बच्चों में गांधी जी के सन्देश फैलाने का काम सौंपा था आंध्र प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा किये गये व्यवहार के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां । कुमारी मीनाबेन गांधी का उल्लेख किया गया है ।

(ख) राज्य सरकार से स्थिति की जानकारी ली जा रही है ।

Scholarships to M. P. Students

5044. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of students from Madhya Pradesh who applied for foreign scholarships during 1965-66 and 1966-67; and

(b) the number out of them who were actually granted such scholarships and who went abroad ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) and (b). State-wise statistics in respect of the applications for the scholarships are not maintained

as the selections are made on merit on all India basis. However, the number of students from Madhya Pradesh who were selected and sent abroad is given below :—

Year	Selected	Sent abroad
1965-66	18	16
1966-67	16	14

Funds to Madhya Pradesh for Road Transport Facilities

5045. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Central Government have made any allocation to the Madhya Pradesh Government for the development of road transport facilities in the year 1967-68 ; and

(b) if so, the amount allocated and the road transport facilities created so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). A provision of Rs. 30 lakhs has been made by the Ministry of Railways for investment in the capital of the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation during 1967-68. However, no amount has been advanced so far. Information regarding road transport facilities created during the year is being obtained from the State Government and will be laid on the Table of the House, when received.

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार

5046. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में पर्याप्त प्रचार न होने के कारण बहुत कम विदेशी पर्यटक भारत की ओर आकर्षित होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि हाल के वर्षों में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, यह संख्या देश की पर्यटक-संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए अभी कम है। और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये विदेशों में पर्यटन संबंधी प्रचार कार्य में सुधार करने, तथा साथ-साथ देश में पर्यटकों के लिये उपलब्ध सुविधाओं को भी सुधारने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों के लिये उपलब्ध साधनों के सापेक्ष, इन दोनों ही दिशाओं में प्रयत्न किये जा रहे हैं। विदेशों में प्रचार के मामले में, एयर इंडिया तथा विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों के साथ भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के विषय में और अधिक घनिष्ठ समन्वय की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

काश्मीर के आर्थिक विकास के लिये सम्पर्क निकाय

5047. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही काश्मीर के आर्थिक विकास के लिये एक सम्पर्क निकाय का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). यह निश्चय किया जा चुका है कि राजस्व तथा खर्च मंत्री, औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री तथा संचार विभाग के राज्य मंत्री से बनी एक समिति द्वारा जम्मू तथा काश्मीर के विकास-कार्यों की प्रगति का पुनर्विलोकन सतत रूप से किया जाया करेगा ।

ट्रैवल एजेंट (यात्रा अभिकर्ता)

5048. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री राज्य-सभा में 14 अगस्त, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 459 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्ग दर्शकों (गाइडों) द्वारा ट्रैवल एजेंटों को 10 प्रतिशत कमीशन दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ट्रैवल एजेंटों को मार्ग दर्शकों से 10 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करने की अनुमति देते समय मार्ग दर्शकों से परामर्श नहीं किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि पैकेज डीलों में ट्रैवल एजेंटों द्वारा मार्ग दर्शकों को उनकी सेवाओं के लिये भुगतान करने हेतु पर्यटकों से वसूल की गई धनराशि उस धनराशि से पहले ही अधिक है जो मार्गदर्शकों द्वारा उन्हें बाद में दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो मार्ग दर्शकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यात्रा एजेंट सर्विसिंग एजेंट होने के कारण उनके ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाली सभी एजेंसियों से, जिनमें गाइड भी शामिल हैं, 10% कमीशन लेने का आग्रह करते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यात्रा एजेंट द्वारा 'पैकेज टूर' की लागत अपनी समस्त सेवाओं के, जिनमें स्थापना संबंधी खर्चे इत्यादि भी शामिल होते हैं, व्यापक आधार पर लगायी जाती है । इस प्रकार की यात्राओं के लिये वसूल किये गये मूल्य का ऐसा सही-सही विश्लेषण संभव नहीं जिससे गाइडों को नियुक्त करने की लागत का पता लग सके ।

(घ) गाइड-शुल्कों का पुनरीक्षण करते समय यात्रा एजेंसियों को दिये जाने वाले कमीशन को भी ध्यान में रखा गया था तथा गाइड-शुल्कों को तदनुरूप अनुपात में बढ़ा दिया गया था ।

पर्यटक मार्गदर्शक

5049. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री राज्य-सभा में 14 अगस्त, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 459 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त निम्न वेतनमानों वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फरवरी, 1964 से छै बार लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है परन्तु पर्यटक मार्ग दर्शकों के मामले में इस भत्ते में केवल $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वह भी 1 अक्तूबर, 1967 से; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). फरवरी, 1964 से गाइड-शुल्कों में औसतन 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । कीमतों में सामान्यत: वृद्धि, तथा विदेशी और भारतीय दोनों ही पर्यटकों की दे सकने की क्षमता, को दृष्टि में रखते हुए यह वृद्धि उचित समझी गयी है ।

सरकारी कर्मचारियों तथा पर्यटक-गाइडों के बीच तुलना असंगत है; क्योंकि, पहले तो, गाइड-व्यवसाय अंश-कालीन है तथा प्रायःकर अन्य व्यवसायों के अलावा चलाया जाता है; और दूसरे, सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली वृद्धि महंगाई भत्ते के क्षेत्र में होती है, जबकि गाइडों को दी जानी वाली वृद्धियां स्वयं मूल शुल्कों में होती हैं ।

Nagas/Mizos

5050. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the total population of Nagas and Mizos, separately, and the number of those amongst them who have so far embraced Christianity ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): A statement showing the figures of population of Nagas and Mizos, and those professing Christianity among them, according to 1961-Census, is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2098/67]**

Foreign Christian Missionaries

5051. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the U. S. Embassy has sent a protest note to Government against the Government decision on foreign Christian Missionaries ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Pakistani Nationals

5052. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals deported to Pakistan from Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan since 1962 to date ;

(b) the number of Pakistani nationals arrested and prosecuted in the above-mentioned States during said period ; and

(c) the number of those convicted and the number of cases still pending ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The information is being callected and will be laid on the Table of the House, as soon as it is available.

Suspensions of I. P. S., I. A. S. and I. C. S. Officers in U. P. and M. P.

5053. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of gazetted officers belonging to I. P. S., I. A. S. and I. C. S. suspended during 1967 so far in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh ;

(b) the number who were reverted and the number of those who were dismissed from service ; and

(c) the number of those who were charged with the abuse of office in the said States ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) One IPS and two IAS officers in Uttar Pradesh and one IPS officer in Madhya Pradesh were suspended during 1967. No ICS officer in either of the States was suspended during this pericd.

(b) None.

(c) Two officers (one IPS and one IAS) were charged with abuse of power in Uttar Pradesh but none in Madya Pradesh.

आसाम में पाकिस्तानी तथा चीनी जासूस (एजेंट)

5054. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राज्य में पाकिस्तानी तथा चीनी एजेन्ट बहुत सक्रिय हो गये हैं तथा ऐसे स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि वे तत्व आसाम के लोगों में और विशेषतया आदिम जाति के लोगों में भारत से पृथक होने की मनोवृत्ति का प्रचार कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन लोगों द्वारा प्रकाशित बहुत सी पुस्तिकाओं तथा इश्तहारों का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो इस जहर को फैलने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). यद्यपि सरकार को यह जानकारी नहीं है कि असम में पाकिस्तानी और चीनी जासूस बहुत अधिक सक्रिय हो गये हैं फिर भी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक गतिविधियों के प्रति जागरूक है। पाकिस्तान मिजो विद्रोहियों को जो सहायता दे रहा है उसके बारे में सभा को कई बार बताया जा चुका है। इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रहती है।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपति पद के लिये अर्हतायें

5055. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठारी आयोग और शिक्षा सम्बन्धी संसद्-सदस्यों की समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति के लिये शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य अर्हतायें निर्धारित करने वाला एक आदर्श अधिनियम बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कोठारी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर अभी तक विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्जीनियरिंग संस्थाओं के लिये उपकरण

5056. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बंताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की परिषद् की हाल ही में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रौद्योगिकीय संस्थाओं द्वारा ऐसे उपकरणों तथा सामान के डिजायन तैयार किये जाने तथा उनको स्वयं बनाने पर जोर दिया है, जिनकी इंजीनियरिंग संस्थाओं को तुरन्त आवश्यकता है;

(ख) क्या इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). योजना के ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं।

नौवहन समवायों द्वारा नये जहाज का खरीदना

5057. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी जहाजों के मालिकों ने नये जहाज लेने की इच्छा व्यक्त की है यदि वे कम मूल्यों पर तथा उधार मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो नौवहन समवायों की मांग पूरी करने में सहायता करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख). क्रेडिट सुविधाओं के उपलब्ध होने और मूल्यों के प्रतियोगी होने की दशा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के पोतस्वामी विदेश से नवीन टनभार मंगाने के इच्छुक हैं । पोतस्वामी सप्लाई करने की शर्तों, जिनमें क्रेडिट सुविधायें और मूल्य इत्यादि शामिल हैं, के संबंध में विदेश के शिपयार्डों से बातचीत करते हैं और उसके बाद सरकार के अनुमोदन के लिये प्रस्ताव भेजते हैं ।

फिलहाल केवल यूगोस्लेविया और बलगेरिया ही में पोत निर्माण के लिये क्रेडिट सुविधायें उपलब्ध हैं । यू० के० और पश्चिम जर्मनी से भी इस प्रकार की सुविधायें प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन कांफ्रेन्स की भाड़ा दर

5058. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन से यूरोपीय महाद्वीप कांफ्रेन्स लाइन्स ने समुद्र द्वारा माल ले जाने की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो दरें कितनी बढ़ाई गई हैं; और

(ग) भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां । पाउंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत-पाकिस्तान, यू० के० कांटिनेन्ट कान्फ्रेंस ने 24 नवम्बर, 1967 से समस्त टैरिफ दरों पर 12.5 प्रतिशत का अवमूल्यन अधिभार लगाने का निश्चय किया है ।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय इस विषय की परीक्षा कर रहा है ।

विमान सेवाएं

5059. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को अपने राज्यों में प्रमुख नगरों के बीच विमान सेवाएं चलाने की अनुमति दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) किसी भी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सुजानपुर (हिमाचल प्रदेश) में हवाई पट्टी

5060. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सुजानपुर अथवा पालमपुर में एक हवाई अड्डा बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस अवस्था में है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि हिमाचल प्रदेश को देश के शेष भाग से विमान सेवा द्वारा जोड़ा जाये; और

(घ) यदि, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). कुल्लू (भुंतर) में पहले से एक सिविल हवाई अड्डा है । हिमाचल प्रदेश में और कोई हवाई पट्टी बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

5061. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों से हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शासी निकाय का निर्वाचन नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक कानून उपबन्ध है कि सम्मेलन का निर्वाचित निकाय होना चाहिये;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण इतनी लम्बी अवधि में एक निर्वाचित शासी निकाय गठित नहीं किया जा सका; और

(घ) एक निर्वाचित शासी निकाय का गठन करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और कब तक ऐसा किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। प्रथम शासी निकाय द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार नियम बनाने और केन्द्र के सरकार द्वारा उन नियमों का अनुमोदन करने के बाद यह व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रथम शासी निकाय द्वारा नियम बनाने में हुई देर के कारण ऐसा हुआ।

(घ) अब प्रथम शासी निकाय से नियमों का प्रारूप प्राप्त हो चुका है और केन्द्र सरकार उसकी जांच कर रही है। नियमों को अंतिम रूप देने के बाद ही चुनाव संभव होंगे।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

5062. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब है और उसने केन्द्रीय सरकार से अनुदान मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संकट के क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है तथा इस स्थिति को किस प्रकार सुधारने का विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सम्मेलन से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1967 को उसके पास 5,74,298 रु० बैंक के खाते में थे। अतः संगठन के समक्ष कोई वित्तीय संकट नहीं है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी के विकास और प्रचार से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता की मांग समय-समय पर केन्द्र सरकार से करता रहा है। हर मांग की जांच योग्यता के आधार पर की गई है और जहां आवश्यक समझा गया वहां अनुदान की मंजूरी दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

5063. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है; और

(ख) इन परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने सूचित किया है कि सम्मेलन की परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1965 में 27010 से बढ़कर 1967 में 29376 हो गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Expenditure on Governors

5064. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 972 on the 9th November, 1966 and state :

(a) the reasons for incurring more expenditure on the Governors of West Bengal and Maharashtra as compared to other Governors ; and

(b) the steps taken to bring down the expenditure on Governors of these States ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Before Independence, the then Provinces of Bombay and Bengal were "Presidencies" and had comparatively bigger Government Houses and establishments. These Government Houses continue to be used as Raj Bhavans in West Bengal and Maharashtra. Consequently it has not been possible to make any appreciable reduction either in the establishment or maintenance of buildings. It is mainly under these two heads that the expenditure is higher than in other States.

Office Orders issued in Hindi by Education Ministry

5065. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4578 on the 5th July, 1967 and state :

(a) the reasons for which only four out of 326 office orders, circulars and notices were issued in his Ministry in Hindi ;

(b) whether it is proposed to issue all such notices both in English and Hindi in future ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) to (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

चीन के नेताओं के चित्रों का प्रदर्शन

5066. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मंत्री श्री ई० के० इम्बीचीबावा ने देश में चीन के नेता के कथनों तथा उनके चित्रों के इश्तहारों के प्रदर्शन को न्यायोचित बताया है जैसा कि 27 नवम्बर, 1967 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने माओ की प्रशंसा की है और लोगों को उनका अनुसरण करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). 27 नवम्बर, 1967 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री इम्बीचीबावा ने माओत्से तुंग के कथनों से युक्त इश्तहारों तथा उनके चित्रों की प्रदर्शनी को न्यायोचित नहीं बताया है, परन्तु उसने माओवादी विचारधारा और माओ के विचारों की प्रशंसा की थी।

(ग) मामले के कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है।

एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग के क्षेत्र में तटीय जहाजरानी का सर्वेक्षण

5068. **डा० रानेन सेन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग ने इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में तटीय जहाजरानी का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना का लक्ष्य इस क्षेत्र के देशों के तटीय और अन्तर्द्वीपीय नौवहन का सुधार और विकास करना है जिसमें आर्थिक पहलू और अन्य प्रकार के परिवहन के पहलू भी शामिल हैं। इस परियोजना में निम्नलिखित कार्य होना है :

(1) **सरकारों को सहायता**

तटीय और अंतर्द्वीपीय नौवहन से संबंधित मामलों पर, आग्रह करने पर, सलाह देना।

(2) **अध्ययन**

तटीय और अंतर्द्वीपीय नौवहन के आर्थिक पहलुओं सहित वर्तमान स्थिति का पुनर्विलोकन करना जिसमें नौचालन, पोत मरम्मत और निर्माण भी शामिल है।

इस परियोजना को 1968-70 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

5069. **डा० रानेन सेन** :

श्री सूपकार :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के चतुर्थ योजना के कार्यक्रम के

सम्बन्ध में आत्मा राम समिति द्वारा इस वर्ष पहले दिये गये प्रस्तावों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विचार करने के लिये नियुक्त किये गये दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान परिषद् के प्रशासी निकाय ने, जिसकी बैठक हाल ही में दिल्ली में हुई थी, इन सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) दल का यह सर्वसम्मत विचार था कि विविध प्रस्तावों के संबंध में समिति की सिफारिशें सविवेक और यथार्थपरक हैं । दल की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण पत्र में दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2099/67]**

(ग) जी हां ।

(घ) समिति की रिपोर्ट वैज्ञानिकों के दल की सिफारिशों सहित स्वीकार कर ली गई थीं ।

चण्डीगढ़ के बारे में उप-प्रधान मंत्री का वक्तव्य

5070. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-प्रधान मंत्री ने 12 नवम्बर, 1967 को चंडीगढ़ में इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि चण्डीगढ़ के नागरिक चण्डीगढ़ के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते; और

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब के लिये बनाया गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां । उप-प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि चंडीगढ़ के भविष्य के प्रश्न के बारे में लोगों द्वारा आन्दोलन करने के लिये उपयुक्त समय अभी नहीं आया है । चूंकि मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रधान मंत्री के पास है इसलिये इस मामले पर अधिक विवाद न उठायें ।

(ख) उन्होंने यह कहा था कि यह तो सच है कि विभाजन के बाद चंडीगढ़ पूरे पंजाब के लिये बनाया गया था इसलिये चंडीगढ़ पर पंजाब या हरियाणा कोई भी दावा नहीं जता सकता, क्योंकि उनमें से किसी ने भी उसे नहीं बनाया है ।

मंत्रियों द्वारा आस्तियों की घोषणा

5071. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बिहार सरकार के मंत्रियों ने मंत्री बनने पर विधान सभा में अपनी आस्तियों की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है कि संघ सरकार के मंत्रियों के बारे में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अप्रैल, 1967 में नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्री सम्मेलन में बिहार के मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने अपनी-अपनी आस्तियों तथा दायितों के विवरण दे दिये हैं, जो राज्य विधान मंडल के सामने रख दिये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

एयर इण्डिया के इन्जीनियरों द्वारा हड़ताल

5072. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के इंजीनियरों की हड़ताल 22 नवम्बर, 1967 को समाप्त हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो हड़ताल किन शर्तों पर समाप्त की गई थी और हड़ताल करने वाले लोगों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसियेशन की मुख्य मांगें ये हैं :

(i) विद्यमान करार की शर्तों के अनुसार सिवाय विमान संधारण (एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस) इन्जीनियरों के और किसी को विमानों के संधारण का निरीक्षण अथवा उसे प्रमाणित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

(ii) रोम में एयर इण्डिया के कार्यालय में स्थानीय शर्तों पर एक इन्जीनियर की नियुक्ति एक ऐसा करार-भंग था जिसमें उनसे परामर्श किया जाना चाहिये था; अतः उस नियुक्ति को रद्द किया जाना चाहिए; और

(iii) 'एसोसिएशन' को एयर इण्डिया में तकनीकी अफसर कहलाने वाले अधिकारियों के एक अन्य वर्ग का भी एकमात्र प्रतिनिधि समझा जाना चाहिये।

इनमें से पहली मांग अदालती निर्णय के लिये भेज दी गयी है। विवाद के दूसरे और तीसरे मुद्दों के बारे में इस बात पर सहमति हो गयी थी कि उन पर सरकार प्रबंधक-वर्ग और एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करेगी। बातचीत आरंभ हो गयी है।

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान

5073. **श्री मयाबन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने केन्द्रीय शिक्षा संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियन्त्रणाधीन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस निर्णय से इस संस्थान को क्या लाभ होगा; और

(घ) क्या इस परिषद् ने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये अनुसन्धान परियोजना का सिद्धान्त भी स्वीकार कर दिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह संस्थान पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालिज के रूप में कार्य कर रहा है । विश्वविद्यालय भी इसके लिये इच्छुक है कि इसे एक पूर्ण शिक्षा विभाग के रूप में विकसित किया जाये और इसे अन्य विभागों से पूर्ण सहयोग मिले । इसलिये संस्थान के प्रस्तावित तबादले से यह संस्थान शिक्षा के विश्वविद्यालय केन्द्र के रूप में विकसित होगा ।

(घ) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में अध्यापक शिक्षा के लिए अनुसन्धान परियोजना शुरू नहीं हुई है । राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापक शिक्षा विभाग ने ऐसी कई परियोजनाएं शुरू की हैं ।

पर्यटन केन्द्र के रूप में इजूमलाई का विकास

5074. **श्री प० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री नायनार :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कन्ननूर जिले में ईजूमलाई स्थान पर पर्यटन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) इस पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है;

(ग) उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केरल के कैनानोर जिले में ईजूमलाई में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु, कैनानोर में एक पर्यटक बंगला बनाने के बारे में एक प्रस्ताव चौथी योजना के मसौदे में शामिल किया गया था ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल में नागरिक सम्भरण लोकप्रिय समिति (सिविल सप्लाइज पापुलर कमेटी)

5075. **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री अनिरुधन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राज्य में बनाई गई नागरिक सम्भरण लोकप्रिय समिति (सिविल सप्लाइज पापुलर कमेटी) को संविहित शक्तियां प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार अध्यादेश पर विचार कर रही है ।

प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये निधि

5076. **श्री प० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये एक आवर्तक निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने मलयालम भाषा के विकास के लिये इस निधि से वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ग) कुल कितनी राशि मांगी गई है ;

(घ) कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ङ) यदि कोई राशि मंजूर नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हवाई अड्डा आप्रेटर

5077. **श्री नम्बियार :** **श्री रमानी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री उमानाथ :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रेणी-2 के हवाई अड्डा आप्रेटर कई वर्षों से श्रेणी-1 के हवाई अड्डा आप्रेटरों का काम कर रहे हैं किन्तु उन्हें फिर भी श्रेणी-1 के हवाई अड्डा आप्रेटर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार श्रेणी-2 के हवाई अड्डा आप्रेटरों को श्रेणी एक के हवाई अड्डा आप्रेटरों के पदों पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). नागर विमानन विभाग में 23 को छोड़कर अन्य सभी ग्रेड II के विमान क्षेत्र परिचालकों की विमान क्षेत्र परिचालक ग्रेड I के रूप में पदोन्नति हो चुकी है। ये 23 विमान क्षेत्र परिचालक, ग्रेड II पदोन्नति के लिये योग्य नहीं हैं; उनमें से 13 नान-मैट्रीक्यूलेट हैं और शेष 10 ने नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफालतापूर्वक उत्तीर्ण नहीं किया है। नान-मैट्रीक्यूलेटों को शैक्षणिक योग्यता की छूट देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

सहायक हवाई अड्डा अधिकारी (असिस्टेंट एरोड्रोम आफिसर)

5078. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री रमानी :**
श्री भगवान दास : **श्री उमानाथ :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलैक्शन ग्रेड के ऐसे कुल कितने हवाई अड्डा आप्रेटर हैं, जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास की कर ली है और जिनकी अब तक सहायक हवाई अड्डा अधिकारियों के पद पर पदोन्नति नहीं की गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सहायक हवाई अड्डा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड) के विमान क्षेत्र परिचालक कुल 62 हैं जिनमें से 61 ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ।

(ख) भर्ती के नियमों के अनुसार, जैसे कि वे अपने वर्तमान रूप में हैं, ये परिचालक सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी के रूप में पदोन्नति के अयोग्य हैं ; क्योंकि

(i) उन्होंने प्रशिक्षण केन्द्र पर विमान यातायात नियंत्रण विषयक प्रशिक्षण कोर्स पूरा नहीं किया ;

(ii) उनमें से 41 स्थायी नहीं हैं ।

परन्तु, विभागीय परीक्षा को प्रशिक्षण केन्द्र के विमान यातायात नियंत्रण विषयक प्रशिक्षण-कोर्स के साथ तुल्यता प्रदान करने, तथा ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड) के अस्थायी परिचालकों को भी सहायक विमानक्षेत्र अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिये चुनाव के लिये योग्य स्वीकार करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जैसे कि भर्ती नियमों में व्यवस्था की गयी है, सहायक विमान क्षेत्र अधिकारियों के ग्रेड में 75% खाली जगहें सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । उन विभागीय उम्मीदवारों को भी जो सीधी भर्ती के लिये निर्धारित योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं इन रिक्त स्थानों में चुनाव के लिये आवेदनपत्र भेजने तथा सीधे भर्ती होने वालों के साथ मुकाबला करने का अधिकार होता है ।

(घ) क्योंकि विमान यातायात नियंत्रण में विमान परिचालनों की सुरक्षा का प्रश्न शामिल है तथा इसके लिये पेचीदा तकनीकों का, जो कि उत्तरोत्तर विषम होती जा रही हैं, ज्ञान भी आवश्यक है, यह जरूरी समझा गया है कि कम आयु वाले परन्तु अधिक ऊंची योग्यता सम्पन्न व्यक्तियों की भर्ती की व्यवस्था की जाये ।

नागर विमानन विभाग के चौकीदार

5079. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों को बरसाती और बरसाती जूते (गम बूट) नहीं दिये जाते हैं जबकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित रूप से वर्दी दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नागर विमानन विभाग के चौकीदारों को बरसातियां और गम बूट, जब कभी जरूरी हों, एक सामान्य पूल से दिये जाते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में सड़कें

5080. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री अनिरुधन :**
श्री नायनार : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में ग्राम्य जनशक्ति योजना के अधीन सड़कों के निर्माण के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) क्या सरकार केरल में विशेषकर कन्नानूर जिले जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, ग्राम्य जनशक्ति योजना के अधीन सड़कों के निर्माण पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) केरल राज्य में सड़कों के निर्माण के लिये और अधिक धनराशि नियत करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). 1967-68 में केरल राज्य में ग्राम्य जनशक्ति योजना के लिये 35.03 लाख रुपये की कुल राशि आवंटित की गई है । फिर भी चूंकि इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम के लिये समूचे रूप से आवंटन किया जाता है, विकास के विशिष्ट शीर्षकों के अनुसार नहीं अत: इस योजना के अन्तर्गत सड़कों के लिये विशेष तौर से आवंटन नहीं किया गया है । फिर भी यदि राज्य सरकार चाहे तो वर्ष में समूचे कार्यक्रम के पूरे व्यय का 50 प्रतिशत तक ग्राम्य बाजार सड़कों पर व्यय कर सकती है । केरल सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में उसने विशेष तौर पर कन्नानूर जिले में खंडों के बारे में 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी है । किन्तु उसने यह भी कहा है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषियोग्य उत्पादक कार्यों के और अधिक किये जाने की आवश्यकता है अत: सड़क निर्माण कार्य के लिये अधिक धन आवंटित नहीं किया जा सकता ।

नेशनल लायब्रेरी, कलकत्ता के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

5081. **श्री राममूर्ति :** **श्री भगवान दास :**
श्री गणेश घोष : **श्री अब्राहम :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे कर्मचारियों को भी क्वार्टरों का आवंटन दिया गया है जिनके अपने मकान हैं ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच पड़ताल करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकारी क्वार्टरों को देने सम्बन्धी नियम बनाये जाने से पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष ने स्वविवेक से लोक सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकारी क्वार्टरों का आवंटन किया था ।

(ख) जी, हां । परन्तु केवल उन अधिकारियों को क्वार्टर दिये गये थे जिनके घर कलकत्ते से बाहर थे या कार्य स्थान से जिनके घर 6 मील से अधिक दूर थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुस्तकाध्यक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

5082. **श्री राममूर्ति :** **श्री भगवान दास :**
श्री गणेश घोष : **श्री एस्थोस :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल पुस्तकाध्यक्ष संघ राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के अहाते में पुस्तकाध्यक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा केन्द्रीय निर्देश पुस्तकालय के अधिकारी कक्षाओं को पढ़ाते हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि ये अधिकारी कार्यालय के समय के दौरान कक्षाएं पढ़ाते हैं और छात्रों से पैसा लेते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

5083. **श्री गणेश घोष :** **श्री रमानी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री उमानाथ :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रशिक्षण डिप्लोमा की पढ़ाई के लिये उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि कम शैक्षणिक योग्यता और कम अनुभव वाले कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को चुना गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार का जांच करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) शिक्षा सत्र 1965-66 से कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रशिक्षण डिप्लोमा के लिये उम्मीदवारों का चयन विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा कलकत्ते की नेशनल लाइब्रेरी के आवेदकों में से किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय किस आधार पर चयन करती है, सरकार को यह पता नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी के अधिकारी अपने कर्मचारियों से प्राप्त सब आवेदनों को भेज देते हैं।

(ख) चूंकि नेशनल लाइब्रेरी के अधिकारियों द्वारा चयन ही नहीं किया जाता, इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Financial Relations between Centre and States

5084. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has submitted a report regarding financial relations between the Centre and States ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

शिक्षा आयोग

5085. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय, माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तरों पर शिक्षा प्रणाली की जांच करने के लिये भारत सरकार ने अगस्त, 1947 के बाद कितने आयोग स्थापित किए हैं ; और

(ख) इन आयोगों के सदस्य कौन-कौन थे और इन आयोगों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) सरकार द्वारा अगस्त, 1947 के बाद तीन आयोग अर्थात् (i) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (ii) माध्यमिक शिक्षा आयोग और (iii) शिक्षा आयोग नियुक्त किए गए थे। प्रथम दो आयोगों ने क्रमशः विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच की जबकि तृतीय आयोग ने देश की शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार किया।

(ख) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी०-2100/67**]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

5086. **श्री रवि राय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों अथवा राजनैतिक आन्दोलनों को दबाने के लिये कितनी बार सीमा सुरक्षा बल अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को राज्य पुलिस की सहायता करने के लिये बुलाया गया है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). गत पांच वर्षों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा सीमा सुरक्षा बल की टोलियों को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रार्थना पर वहां शान्ति बनाये रखने के लिये 143 बार बुलाया गया ।

विदेशों में शिक्षा सम्बन्धी सम्मेलन

5087. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री द० रा० परमार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में विदेशों में ऐसे कितने सम्मेलन हुए जिनमें भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे थे ; और

(ख) ऐसे कितने सम्मेलन हुए हैं जिनमें विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को प्रतिनिधियों के रूप में भेजा गया था और इन सम्मेलनों का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 29 सम्मेलन ।

(ख) दो/जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(एक) अक्तूबर 1966 में ब्रिटेन के हडर्सफिल्ड नामक स्थान पर हुआ शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन । नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय के उपकुलपति, तथा बंगाल इंजीनियरी कालेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल, प्रोफेसर ए० सी० राय प्रतिनिधिमंडल में सम्मलित थे ।

(दो) 12 से 21 जुलाई, 1966 तक मास्को में क्रिस्टैलोग्राफी की सातवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी । मद्रास विश्वविद्यालय में भौतिकशास्त्र के उच्च अध्ययन के लिये निर्मित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के केन्द्र में भौतिकशास्त्र के प्रोफेसर तथा निदेशक और भारत में क्रिस्टैलोग्राफी की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष, प्रोफेसर जी० एन० रामचन्द्रन ने उपरोक्त कांग्रेस में भाग लिया था ।

भावनगर में स्थानिक विश्वविद्यालय

5088. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र डिवीजन के लिये भावनगर में एक स्थानिक विश्वविद्यालय और राजकोट में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में गुजरात सरकार के कथित निर्णय की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) सौराष्ट्र विश्वविद्यालय 1966 में राजकोट में स्थापित किया गया था। भावनगर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के निर्णय के विषय में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

5089. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ऐसी किसी परिपाटी का अनुसरण किया जाता है कि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति केन्द्र तथा राज्यों में मंत्री नियुक्त नहीं किए जाने चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका दृढ़ता से अनुसरण किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, उपकुलपति पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी है। केन्द्र/राज्य सरकार के समवर्ती मंत्रियों को विश्वविद्यालयों के उपकुलपति नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय कोई भी मंत्री किसी भी राज्य विश्वविद्यालय का उपकुलपति नहीं है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की कार्ड-सूचिका

5090. **श्री गणेश** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मैस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (अमरीका) ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की एक पूर्ण कार्ड-सूचिका तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको यह जानकारी कहां-कहां से मिली है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). कलकत्ता विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में शान्तिवन के निकट पुल

5091. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और यमुना नदी के पार शाहदरा तथा अन्य बस्तियों के बीच यातायात की सुविधा के लिये दिल्ली में शांतिवन के निकट एक उपरिपुल बनाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो शान्तिवन के निकट उपरि पुल न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). सम्भवत: प्रश्न में उपरिगामी पुल शब्द से दिल्ली में शान्तिवन के निकट यमुना पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय सड़क पुल का संकेत है । इस प्रकार के पुल का विचार दिल्ली के विकास के लिये मास्टर योजना में है । चूंकि सी पावर स्टेशन के निकट बांध पर पुल जो मास्टर योजना में शामिल नहीं था, के बनाने का काम हाथ में ले लिया गया है और शीघ्र ही बन कर तैयार हो जायेगा अत: शान्तिवन के निकट प्रस्तावित पुल के निर्माण की आवश्यकता है या नहीं यह फिलहाल दिल्ली विकास प्राधिकारी के विचाराधीन है ।

ग्वालपाड़ा जिले में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

5092. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 नवम्बर, 1967 को कुछ पाकिस्तानियों ने आसाम में ग्वालपाड़ा जिले में सरकारपुर नामक ग्राम पर आक्रमण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीय घायल हुए हैं और पाकिस्तान द्वारा इस आकस्मिक आक्रमण के लिये किस प्रकार की उत्तेजक कार्यवाही की गई थी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). 26 नवम्बर, 1967 की रात को कुछ पाकिस्तानी भारतीय क्षेत्र के ग्वालपाड़ा जिले में सरकारपाड़ा गांव में घुस आये थे और दो जानवरों को ले गये थे । गांव के सुरक्षा दल तथा झोटडंगा निरीक्षण चौकी की पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया था । जो मुठभेड़ हुई थी उसमें पाकिस्तानियों ने गोली चलाई जिसमें गांव के सुरक्षा दल तथा दो सिपाहियों को चोट आई । यह घटना भड़काई गई थी । यह गिरोह पशुओं को उठाने वाला था ।

Netaji's Sword

5093. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Netaji's sword is being brought to Delhi ; and

(b) if so, whether like the weapons of Guru Govind Singh, it will also be taken round the whole country?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Yes, Sir. Government have been informed accordingly by the All-Party Parliamentary Committee for Reception of Netaji's Sword.

(b) Government have no information about the Committee's programme after the display of the relics in Delhi is over.

Pakistani Arms in Madhya Pradesh

5094. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two persons from village Shyapur of Madhya Pradesh were arrested in Sawai Madhopur and Pakistani arms were recovered from them;

(b) whether it is also a fact that these persons have been continually supplying arms to their gang of dacoits;

(c) whether Government had made any further investigation into it; and

(d) the full details of the case?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). According to the information supplied by the State Governments, two persons were arrested in Sawai Madhopur and arms were recovered from them. Investigation made so far give reasons to believe that these two persons were supplying arms to dacoits. A case under sections 25 and 27 of the Arms Act has been registered against these two persons and it is under investigation.

राष्ट्रीय चिह्न

5096. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य ने राज्य चिह्न में 'सत्यमेव जयते' के स्थान पर 'वायमेव वेल्लुम' अंकित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राष्ट्रीय चिह्न में परिवर्तन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). मद्रास के राज्य चिह्न में 'सत्यमेव जयते' का आदर्श वाक्य अब भी है, परन्तु जब यह तमिल में लिखा जाता है तो उपरोक्त वाक्य का तमिल समानक "वायमेय वेल्लुम" शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सरकारी आदेशों के अनुसार कोई भी राज्य अपना पृथक राज्य चिह्न या राष्ट्रीय चिह्न को मूल या परिवर्तित रूप में अपना सकता है। परन्तु परिवर्तन राष्ट्रीय चिह्न की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये। राज्य सरकार ने जो कार्यवाही की है उससे इन अनुदेशों का उल्लंघन नहीं होता है।

हवाई अड्डों में प्रवेश के लिये टिकटों से होने वाली आय

5097. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से हवाई अड्डों में प्रवेश के लिये टिकटों की व्यवस्था की गई है तब से अब तक इन टिकटों से कुल कितनी आय हुई है ;

(ख) इसी अवधि में इन टिकटों की छपाई, उनके जारी करने और वापस लेने पर कितना धन खर्च हुआ तथा अन्य प्रशासनिक व्यय कितना हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी हवाई अड्डों में इन प्रवेश टिकटों को लागू करने का है ; और

(घ) समस्त खर्चों को निकालकर इन टिकटों से कितनी शुद्ध आय होने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). 16 अगस्त, 1967 से 30 नवम्बर, 1967 तक की अवधि में पालम हवाई अड्डे पर हवाई अड्डा प्रवेश टिकटों की बिक्री से कुल 74,952.50 रुपये की आय हुई तथा इन टिकटों की छपाई, वितरण तथा समाहरण पर 16,344.49 रुपये खर्च हुए।

(ग) जी हां। ऐसे टिकटों को जल्दी ही सान्ताक्रुज (बम्बई), दमदम (कलकत्ता) और मीनम्बक्कम् (मद्रास) के शेष तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुरू करने का प्रस्ताव है।

(घ) सभी चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा प्रवेश टिकटों की बिक्री से वार्षिक लगभग छः लाख रुपये की कुल आय होने की आशा है।

Government Higher Secondary Schools, Delhi

5098. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of permanent posts of Principals of Government Higher Secondary Schools in Delhi are at present lying vacant;

(b) whether it is also a fact that some persons have been working on these posts for the last 7 or 8 years and they have not been confirmed ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (c). No, Sir. 91 temporary posts were converted into permanent ones in 1965 and 1966 only ; necessary formalities have been completed to confirm the eligible incumbents against these posts.

Woollen Uniforms for Delhi Police

5099. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have not supplied the woollen uniforms to all policemen in Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The Government have accorded sanction to the issue of woollen uniform consisting of one Angola shirt and two serge trousers each to all non-gazetted ranks in Delhi Police, in addition to the existing uniform. The sanction necessitated the procurement of cloth for fabrication of nearly 15,000 shirts and 29,000 trousers. As ready stocks of woollen cloth were not available, 10,000 trousers were obtained on loan from the Ministry of Defence and were issued to the men. Further issues are being made as and when stocks are received for which orders have been placed with the manufacturers.

सत्याग्रहियों को राजनैतिक बन्दी मानना

5100. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य में सत्याग्रहियों को राजनैतिक बन्दी मान लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में तथा देश में अन्य राजनैतिक बन्दियों को दी जाने वाली सुविधाओं की तुलना में उन्हें क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2101/67]** शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

शेख अब्दुल्ला

5101. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला एक राजनैतिक बन्दी हैं अथवा सुरक्षा बन्दी हैं ; और

(ख) उसे राजनैतिक बन्दी अथवा सुरक्षा बन्दी मानने के क्या कारण हैं और उनके लिये किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). जन-सुरक्षा के हित में शेख अब्दुल्ला पर भारत रक्षा अधिनियम के अधीन कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे बिना किराये के एक बंगला, एक रसोइया, एक बहरा और 1500 रुपये मासिक का रहन-सहन भत्ता उसे मुख्य सुविधाओं के रूप में दिया जाता रहा है।

जम्बो जेट विमान

5102. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जम्बो जेट विमानों का निर्माण किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में निर्मित तथा विदेशों में निर्मित जम्बो जेट विमान देश में कितने हैं ; और

(घ) प्रत्येक विदेशी जम्बो जेट विमान को खरीदने पर यदि कोई विदेशी मुद्रा खर्च की गई है तो कितनी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। जम्बो जेट विमानों के भारत में बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे तकनीकी एवं वित्तीय साधनों के सर्वथा परे है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) आवश्यक फालतू पुर्जों समेत जम्बो जेट (बोइंग 747) की विदेशी मुद्रा लागत लगभग तीन करोड़ डालर है।

माल तथा यात्री जहाज

5103. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पास इस समय वाणिज्यिक तथा यात्री जहाज कितने-कितने हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन जहाजों में कितने व्यक्ति और कितना माल ले जाया गया है ; और

(ग) यात्री और माल से उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितनी आय हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1-11-1967 को 20 यात्री पोत और 214 माल पोत थे।

(ख) और (ग). 1964-65 और 1965-66 में भारतीय पोतों द्वारा ले जाये गये यात्रियों की संख्या, माल की मात्रा और भाड़े तथा यात्रियों से हुई आय नीचे दी गयी है।

वर्ष		यात्रियों की संख्या	ढोया गया माल (लाख टनों में)	यात्रियों तथा भाड़े से हुई आय (रु० करोड़ों में)
1964-65	समुद्रपार	1,03,210	46.44	51.36
	तटीय	9,63,757 *	40.58 *	13.35
1966-67	समुद्रपार	99,167	55.78	55.66
	तटीय	8,94,905 †	38.24 †	12.43
1966-67	संख्याएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।			

* ये संख्याएं कैलेन्डर वर्ष 1964 की हैं।

† ये संख्याएं कैलेन्डर वर्ष 1965 की हैं।

संघ राज्यक्षेत्रों के लिये संयुक्त प्रशासनिक पदालि

5104. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्यक्षेत्रों के लिये संयुक्त प्रशासनिक पदालि बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) प्रस्तावित योजना में कहां तक प्रगति हुई है और इसे कब क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि उसकी क्रियान्विति के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक पदालि बनाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है।

(ख) 13 दिसम्बर, 1967 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4158 के उत्तर में इस योजना का पूरा ब्योरा दिया गया है जो सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) से (ङ) योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही क्रियान्वित की जायेगी।

मनीपुर राइफल्स

5105. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र के लिए मनीपुर राइफल्स की अब तक कितनी बटालियनें बनाई गई हैं और उसमें अब कितने राइफलमैन हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि असिस्टेंट कमांडेंट के पद में 12 रिक्त स्थानों में से आठ के लगभग व्यक्ति बिना समुचित नोटिस के तथा मनीपुर पुलिस सेवा नियमों 1965 के नियम 5 का उल्लंघन करके मनीपुर के बाहर से सीधे भरती किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये नियुक्तियां किस तरीके से की गई थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर राइफल्स में अब चार बटालियन हैं। राइफलमैनों की कुल संख्या अब 3146 है।

(ख) और (ग). असिस्टेंट कमाडेंट पद के 12 स्थानों में से 10 स्थानों पर तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बाहर के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया था। इन नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति मांगी जा रही है।

Nagas Crossing Over to Pakistan

5106. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a party of 500 Naga Hostiles was seen in Nindiram area of Tamenglong Tehsil going towards East Pakistan as reported in the 'Hindustan' dated 30th November, 1967 ; and

(b) if so, the action taken by Government in this respect ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) . Government have received information that several gangs of Nagas were likely to go across the border to Pakistan. Security forces have been alerted and are vigilant. Some gangs have been intercepted and forced to turn back.

Royalty for Translation

5107. **Shri Shashi Bhushan Bajpai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government pays some royalty to U. S. A. and U. K. for translating their books into Indian languages ; and

(b) the total amount of royalty paid in regard to translation of such books during the last twenty years ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A sum of Rs. 3,84,587 has been paid by the Commission for Scientific and Technical Terminology for obtaining translation rights from U. K. and USA since 1962-63. This organization did not pay any royalty prior to the above date. Information in respect of royalties paid by other agencies, organisations and publishers who publish books with the help of grants from the Government is not available. This information is being collected.

'रेवती' नामक प्रशिक्षण एवं निजी उड़ान वाला विमान

5108. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था 'रेवती' नामक नये प्रशिक्षण एवं निजी उड़ान वाले विमान की आजमायश कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रेवती विमान के कार्य संचालन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; वह कितनी देर तक तथा कितना भार उठा कर उड़ सकता है, कितना ऊंचा उड़ सकता है, कितनी अवधि तक उसकी सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसकी गति कितनी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । नागर विमानन विभाग के अनुसंधान तथा विकास निदेशालय के तकनीकी केन्द्र द्वारा डिजायन तथा विकसित किये हुये

प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट 'रेवती' के इस समय इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, कानपुर में उड़ान परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) रेवती एयरक्राफ्ट के कार्यानुष्ठान के आंकड़ों (परफार्मेन्स डाटा) सहित उसके उड़ान परीक्षणों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Wrong Map of India Published by Madhya Pradesh Government

5109. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that in the map of India published in Madhya Pradesh Government's publication "Samajik Adhyayan" Parts 3 and 4, Nepal, Tibet, Bhutan and Sikkim have been shown as Chinese territory ;

(b) if so, whether Central Government have sought any clarification from Madhya Pradesh Government in this regard ; and

(c) the nature of clarification sought and the reply received thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The external boundary of India shown in certain maps contained in these books is generally incorrect.

(b) and (c). The Government of Madhya Pradesh has been requested either to get incorrect maps replaced by correct ones, or to stop the use of these books in schools. The State Government's reply is awaited.

Pakistani Instrusions

5110. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of intrusions by the Pakistani infiltrators from the 1st September, 1967 to the 30th October, 1967 ;

(b) the number of such infiltrators ;

(c) the loss suffered by India as a result of the activities of these infiltrators ;

(d) the action being taken by Government to ensure that such incidents do not occur in future ;

(e) whether some correspondence was exchanged with Pakistan Government in this regard ;

(f) if so, the reply received thereto ; and

(g) if no correspondence was exchanged the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) 70

(b) 349

(c) Property worth Rs. 17,297/- was lost, besides two camels and 113 heads of cattle lifted.

(d) to (g) : Constant vigilance all along the border is exercised by the Border Security Force. In particularly vulnerable areas, special steps to keep vigilance on unauthorised entry of persons into India are taken. On each occasion when such incidents occur, the matter is brought promptly to the notice of the local authorities on the Pakistan side for taking effective steps for preventing such illegal and unauthorised entries. In border meetings between Indian and Pakistani officials these matters are taken up. Besides protests are also lodged at suitable levels in this regard.

Soldiers Killed by Hostile Nagas

5111. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Indian soldiers killed and injured in clashes with the hostile Nagas during the last three months and the dates and places where the said clashes took place; and

(b) the financial assistance given separately by Government to the families of the deceased and the details of other types of assistance given?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) Army personnel did not suffer any casualty during the period from the 15th September to 15th December, 1967 in clashes with the Naga hostiles.

(b) Ordinarily in addition to the normal pensionary benefits, the next of kin of personnel killed as a result of clashes with Naga hostiles are paid ex-gratia financial grants from the Army Relief Fund at the following rates:

Officers	..	..	Rs. 1,000/-
JCOs	..	..	Rs. 300/-
ORs/NCsE	..	..	Rs. 200/-

मनीपुर के कर्मचारियों के वेतन में परिवर्तन

5112. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर पुलिस के वायरलैस सैक्शन के कर्मचारियों के वेतन में परिवर्तन करने पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के साथ साथ उस सैक्शन के कर्मचारियों के वेतनमानों में परिवर्तन नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो परिवर्तन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते उतने ही हैं जितने कि आसाम सरकार के कर्मचारियों को पदवार मिलते हैं। आसाम सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में परिवर्तन किया था। मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान भी उसी अनुपात में बढ़ा दिये गये थे। मनीपुर पुलिस के वायरलैस अनुभाग के कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ाये गये थे क्योंकि उनका वर्तमान वेतनमान

भी आसाम में उपलब्ध वेतनमान के अनुसार नहीं था। फिर भी सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

भारतीय नौवहन कम्पनियों का लाभ

5113. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की भारतीय नौवहन कपनियों द्वारा कमाये जाने वाले लाभ के प्रश्न पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा नियुक्ति की गई उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). इंडियन शिपिंग कम्पनियों के लाभ पर नेशनल शिपिंग बोर्ड की उपसमिति की रिपोर्ट 2 दिसम्बर, 1967 को नई दिल्ली में हुई बैठक के नेशनल शिपिंग बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। 15 दिसम्बर, 1967 को सरकार को रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि मिल गई थी। उसकी परीक्षा की जा रही है। उसके सारांश और परिणाम सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**-2102/67]

स्कूलों में दण्ड

5114. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 दिसम्बर, 1967 के 'स्टेट्समैन' में 'राड इज नाट' स्पेयर्ड (डंडे का भी प्रयोग) शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी के अनुसार सामान्य रूप से तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप में स्कूलों में डंडे का प्रयोग समाप्त कर दिया गया है ; और

(ग) स्कूलों में डंडे का प्रयोग समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली शिक्षा संहिता में छात्रों के साथ व्यवहार में स्कूलों द्वारा जुर्म की कोटि के अनुसार शारीरिक दण्ड समेत अनुशासनात्मक कार्रवाई के कुछ निर्धारित प्रकारों की व्यवस्था है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पब्लिक स्कूलों को जमीन की कीमत के मामले में रियायत

5115. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के इस निर्णय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि पब्लिक स्कूलों को जमीनों की कीमतों के मामले में पहले जो रियायत दी जाती थी, उसे अब समाप्त कर दिया जायेगा ;

(ख) इस रियायत को समाप्त करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन पब्लिक स्कूलों को जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है बढ़ावा न देने की किसी नीति के अनुसरण में यह कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : दिल्ली प्रशासन द्वारा सामान्य नीति संबंधी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

मनीपुर में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच

5116. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सतर्कता विभाग तथा केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामलों में जांच की गई है ;

(ख) जांच कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा कितने मामलों की जांच पूरी हो चुकी है तथा अन्तिम रूप से निपटाये जा चुके हैं ; और

(ग) कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्य तेजी से किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) गत पांच वर्षों में मनीपुर प्रशासन के जितने राजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की विभिन्न विभागों द्वारा जो जांच की गई है, उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(एक)	मनीपुर का सतर्कता विभाग (31 मार्च, 1967 तक)	117
(दो)	केन्द्रीय जांच विभाग (1 जनवरी, 1963 से) ...	6

(ख) निम्नलिखित मामलों की जांच पूरी कर ली गई है ।

मनीपुर प्रशासन ...	86
केन्द्रीय जांच विभाग	4

(ग) निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध जांच जारी है ।

(एक) मनीपुर प्रशासन (सितम्बर 1967 के अन्त तक) 31

(दो) केन्द्रीय जांच विभाग ... 3

प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन

5117. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में रुड़की विश्वविद्यालय में अपने दीक्षान्त भाषण में वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया है, अर्थात् प्रशासनिक ढांचे का आधार "वेतन और अधिकार" न होकर "वेतन और उपयोगिता" होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सुझाव को कार्य-रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 18 नवम्बर 1967 को रुड़की विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देते समय प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि प्रशासन ढांचा ऐसा हो जिसमें व्यक्ति के जन कल्याण के कार्य तथा आर्थिक प्रगति में उसका अंशदान प्रतिबिम्बित हो । इसी संदर्भ में उन्होंने वर्गवादिता तथा पद प्रतिष्ठा से बंधे रहने की निन्दा की थी जो आधुनिक प्रशासन में व्याप्त है । तथा यह कहा कि वेतन का अधिकार के बजाय उपयोगिता होना चाहिए ।

प्रशासन में सुधार लाने के पूरे प्रश्न पर प्रशासनिक सुधार आयोग विचार कर रहा है। प्रधान मंत्री की इन टिप्पणियों को आयोग के पास भेज दिया गया है ।

Cheques Issued by Shri Biju Pattnaik in favour of Sales Tax Department of Delhi

5118. **Shri Y. S. Kushwah**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cheques for thousands of rupees issued by Shri Biju Pattnaik, former Chief Minister, Orissa in favour of the Sales Tax Office, Delhi, have been dishonoured ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the total number of such cheques and the dates on which they were issued ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Under the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, as in force in the Union Territory of Delhi, a registration certificate is issued in the name of the firm and not its proprietor, partner or director. In the absence of full particulars of such as name and style of business, it is not possible to give any positive information in the matter.

(b) to (d). Do not arise.

Air Services in Rajasthan

5119. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total amount allocated this year for extension of air services in Rajasthan and the steps being taken to provide for landing of Viscounts at Udaipur ;

(b) the time by which arrangements for night landing of planes at Udaipur would be completed and the evening air service would be introduced ; and

(c) whether it would be possible to introduce inter-State air service at big cities of Rajasthan like Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Udaipur, Ajmer and Kotah ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Indian Airlines Corporation do not have a separate allocation for developing passenger traffic in any particular State. The runway at Udaipur has recently been extended to 5400 ft. for F-27 operations. I.A.C. are, however, operating a service with Viscount air-craft to this place.

(b) The work of installation of runway lighting (electric) at this aerodrome is expected to be completed in January, 1968.

(c) Jaipur and Udaipur are already linked by air. An air-link to Kotah is under consideration. Due to poor traffic potential, it is not considered commercially justifiable to airlink Jodhpur at present. Traffic Survey of Bikaner and Ajmer has yet to be carried out.

Tourist Places in Rajasthan

5120. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total amount allocated by the Central Government this year for providing transport and other facilities to tourists in the cities of historic importance in Rajasthan ;

(b) the details of schemes for the construction of tourist hotels in Rajasthan and the names of the places selected ; and

(c) the amount granted by the Central Government this year for providing tourist facilities in Udaipur and Chittorgarh ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No funds have been allocated for this purpose as it is the responsibility of the State Government to provide transport facilities at tourist centres. For developing other facilities such as improvements to the road leading to Sas-bahu temples near Udaipur and augmentation of accommodation at Sarisika, Mt. Abu and Jaipur, budgetary provision of Rs. 1,52,997/- has been made during the current financial year.

(b) There is no proposal at present to construct tourist hotels in Rajasthan in the public sector.

(c) A provision of Rs. 8,327/- exists in current year's budget of the Department of Tourism as final instalment towards the improvement of the road leading to the Sas-Bahu temples near Udaipur.

Economic Uplift of Teachers

5121. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Central Government for social and economic uplift of teachers ; and

(b) whether any proposal on the pattern of Central Education Fund is being considered which may be implemented for teachers' welfare in the States also and for which the central grants may be available ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Various measures for improving the social and economic conditions of teachers have been recommended by the Education Commission and the same are under consideration.

(b) No such proposal is under consideration. However, the National Foundation for Teachers Welfare has been set up to provide relief to teachers and their dependents in indigent circumstances and the State Governments are authorised to utilize 80% of the collections made in any State.

Voluntary Retirement of Government Employees

5122. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government employees, who have rendered 25 years of service can voluntarily retire from service ;

(b) whether it is also a fact that while an announcement has already been made in this regard no official orders have yet been issued ; and

(c) if so, the reasons therefor and the date by which the order is likely to be issued ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Under the existing rules, Government have absolute right to retire in the public interest certain specified categories of Government servants who entered Government service before 1.10.1938 on completion of 25 years' qualifying service and such Government servants have also a reciprocal right to so retire. In respect of other Government servants, the Government have absolute right to retire them on attaining the age of 55 years or on completion of 30 years qualifying service for pension, if it is necessary to do so in the public interest and Government servants have also a reciprocal right to so retire.

As a measure for strengthening administration, it has been decided that Government should have power to retire a Government servant by giving him three months' notice, after he has attained the age of 50 years, or on completion of 25 years qualifying service for pension whichever is earlier, if it is necessary to do so in the public interest. It has also been decided to give a reciprocal right to such a Government servant to retire by giving three month's notice. However, in case of Services/Posts which have a late age of entry i. e., 35 years and above, this right will be exercisable only after the Government servant has attained the age of 55 years or on completion of 25 years qualifying service, whichever is earlier.

This matter was also discussed in the last meeting of the National Council set up under the Joint Consultative Machinery on 6/7th November, 1967 wherein the Staff Side expressed their disagreement. The matter is now receiving further consideration of the Government.

Government Employees

5123. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Government employees who have submitted applications volunteering themselves to be declared surplus ;

(b) whether Government have taken decisions on their applications ; and

(c) if not, the reasons therefor and the date by which final decision are likely to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : In the event of reduction in the number of posts as a result of studies carried out by the Department of Administrative reforms or reviews made by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance, the staff is declared surplus strictly in the reverse order of seniority. Senior persons have no option to volunteer themselves for being declared **surplus**, as such ; they can only offer themselves for voluntary **retirement** in order to avail themselves of the voluntary retirement benefits.

पोरबन्दर-आखा तटवर्ती राजपथ

5125. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर को एक ओर आखा से तथा दूसरी ओर वेरावल से मिलाने वाले तटवर्ती राजपथ बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या मियानी और मूल माधवपुर के बीच सड़क बनाने का भी सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). पिछले कुछ समय से गुजरात सरकार सौराष्ट्र तट पर बड़ौदा से मलिया तक एक तटीय मुख्य मार्ग के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना कर रही है। भाग (क) और (ख) में उल्लिखित सड़क अनुभाग इसी तटीय मुख्य-मार्ग के भाग हैं। यह एक राज्य सड़क है और प्रस्तावित सड़क अनुभागों के विकास का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए भी अपनी प्रार्थना दुहराई है और परियोजना के औचित्य में कुछ आवश्यक दिता भी भेजे हैं। उनकी परीक्षा की जा रही है किन्तु इस मामले में चतुर्थ आवंटन को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद और विभिन्न कार्यों के बीच परस्पर प्राथमिकतायें निर्णीत हो जाने पर ही निर्णय लिया जा सकता है। राज्य

सरकार मियानी-पोरबन्दर मुल माधवपुर-वीरावल अनुभाग पर मियानी और मुल माधवपुर के बीच गायब टुकड़े के निर्माण की तुरन्त आवश्यकता नहीं समझती है क्योंकि इस अनुभाग में एक दूसरी सड़क मौजूद है।

पोरबन्दर पत्तन

5127. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर पत्तन का सभी मौसमों में काम करने वाली बन्दरगाह के रूप में विकास करने का सरकार का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की पूर्वी और पश्चिमी अंचल की 'लहर रोक' दीवारों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या पोरबन्दर के सीमेंट तथा रसायन उद्योगों ने इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). बड़े पत्तनों के अतिरिक्त अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व सम्बन्ध राज्य सरकारों का है। गुजरात सरकार पोरबन्दर पत्तन को सब ऋतुओं में व्यवहृत योग्य पत्तन के रूप में विकसित कर रही है। प्रथम अवस्था में, पश्चिमी पनकट दीवार का निर्माण जिसकी लम्बाई 1700 फीट होगी और जिसमें लगभग 23 लाख रुपए की लागत लगेगी हाथ में लिया गया है और अभी तक 1000 फीट की दीवार बन चुकी है। इसकी अवस्था मार्च, 1968 तक पूरी हो जायेगी। 1.5 करोड़ रुपए लागत के प्राक्कलन की और 2500 फीट की अतिरिक्त लम्बाई की पनकट दीवार के निर्माण के लिए निविदायें मांगी गई हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पूना के माडल अध्ययन के आधार पर पनकट दीवार की 6000 फीट की लम्बाई की डिजाइन को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है। फिलहाल पश्चिमी पनकट दीवार पर घाट की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। अतः पूर्वी पनकट दीवार के निर्माण का कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ). सीमेन्ट और केमिकल इंडस्ट्रीज राज्य सरकार से परियोजना शीघ्र पूर्ण कर देने के लिए जोर दे रहे हैं। कार्य के लगभग चार वर्षों में पूर्ण हो जाने की आशा है।

Delhi-Assam Highway

5128. **Shri Gunanand Thakur**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the cost of construction per mile, of the National Highway between Delhi and Assam ;

(b) whether Government propose to connect an eight mile-track between Sonvarsa Raj and Maheshkhoot in District Saharsa of Bihar with the National Highway, in view of defence requirements;

(c) if so, when ; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministy of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) The cost of construction per mile of the National Highway varies between Rs. 3 lakhs and Rs. 7 lakhs depending on various factors namely, the location of the road, the type of the soil, the terrain, the type of the road, the width of the road pavement, the cost of materials, availability of labour etc.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The road between Sonvarsa Raj and Maheshkhoot is a State road and, therefore, its development/construction is the responsibility of the Bihar Government.

कोचीन और कोजीकोड में नये विश्वविद्यालय

5129. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन और कोजीकोड में क्रमशः दो नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) कालीकट तथा अर्नाकुलम दोनों स्थानों पर एक एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये राज्य सरकार से एक प्रस्ताव अभी-अभी प्राप्त हुआ है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इन्डिया

5130. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया को उसकी निशानेबाजी की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा अन्य गतिविधियों के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है ; और

(ख) क्या सरकार इस संस्था की लेखा सम्बन्धी स्थिति से संतुष्ट है क्योंकि इस बार 29 नवम्बर, 1967 को हुई इसकी वार्षिक सामान्य सभा में कोई लेखा-परीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये थे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का मुख्य सम्बन्ध एसोसिएशन के सरकार द्वारा दिये गये अनुदान सम्बन्धी लेखे से होता है। सरकार द्वारा उसे स्वीकृत अनुदान के लेखा-परीक्षित लेखे को प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता है और वह एसोसिएशन ऐसे लेखे को भलीभांति रखता है।

पश्चिम तट की सड़क

5131. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में पश्चिम तट की सड़क पर उपमार्ग बनाने के ठेके पूरे होने होने के लिये कबसे पड़े हुए हैं ; और

(ख) केन्द्र द्वारा उदीपी के उपमार्ग के निर्माण के हेतु नवीनतम प्राक्कलन के लिये वित्त की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राज्य सरकार से आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) प्राप्त उदीपी उपमार्ग के लिये नवीनतम प्राक्कलन 13.65 लाख रुपये का है। इसे अगस्त, 1966 में पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया गया था और उतनी ही राशि का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया था। अभी तक राज्य सरकार से और कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम तट की सड़क

5132. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ से कालीकट तक बनाई जाने वाली पश्चिम तट की सड़क (राष्ट्रीय राजपथ) के कौन से सेक्शन अभी पूरे होने हैं ;

(ख) इनको पूरा करने में देरी के क्या कारण हैं, और

(ग) इन सेक्शनों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) गोआ से कालीकट तक की सड़क राष्ट्रीय मुख्यमार्ग नहीं है। वह राज्य सड़क है और मैसूर तथा केरल की राज्य सीमाओं में है। जो अनुभाग पूर्ण किये जाने हैं वे ये हैं :

(1) कालीनदी पर पुल सहित कारवार से गोआ सीमा तक 9 मीलों की लम्बाई, और

(2) कुछ उपमार्गों सहित कुछ छोटे टुकड़े जो कुल मिलाकर 17 मील लम्बे हैं।

(ख) और (ग). सड़क के पूर्ण होने में कोई देरी नहीं हुई है। समस्त पुलों सहित सड़क के मार्च, 1971 तक जो अभी तक निर्धारित तारीख है पूर्ण हो जाने की आशा है।

वैन्नूर में पर्यटक केन्द्र

5133. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि जैन यात्रियों के लिये पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये वैन्नूर ग्राम चुना गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुदीबिदरी जैन धर्म तथा इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, अधिक सुगम्य है तथा अधिक बड़ा नगर है और वह कारकल तथा वैन्नूर, जो छोटे यात्री केन्द्र हैं, के रास्ते में पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो वैन्नूर ग्राम को चुनने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग की वैन्नूर या मुदीबिदरी का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने की कोई योजनाएं नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन में तदर्थ नियुक्तियां

5134. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के उन राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों की विभागवार संख्या क्या है जिनकी तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गई है और उनके इन तदर्थ नियुक्तियों पर इतने अधिक समय तक बने रहने के क्या कारण हैं ; और

(ख) दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ अनुसचिवीय/कार्यकारी सेवा नियम, 1967 के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में ग्रेड एक तथा ग्रेड दो के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो तीन वर्ष से भी अधिक समय से इन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनकी इतनी लम्बी सेवा के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Communal Riots

5135. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news items appearing in 'Inqilab' an Urdu daily published from Bombay, that the number of communal riots which have taken place after Nehru-Liaqat agreement in 1950 is 670 ;

(b) if so, the details thereof and the number of persons killed in the riots ;

(c) whether Government propose to institute an inquiry into the causes of all these riots; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). The information is being collected and will be laid at the Table of the House in due course.

(c) and (d). A Commission of Enquiry has been constituted to enquire into some recent communal disturbances. It would not be feasible to enquire into all the disturbances which had taken place since 1950.

Development of Rajgir as a Tourist Centre

5136. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rajgir (in Bihar) is an important tourist resort;

(b) whether Government propose to develop this place;

(c) whether the Bihar Government have sought financial assistance from time to time for its development; and

(d) if so, the amount of financial assistance given by the Central Government so far and the amount proposed to be given?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Central and State Governments plan to provide the following facilities at Rajgir:—

(i)	A Tourist Shala	Rs. 2,81,130/-	To be financed jointly by the Centreal and State Government
(ii)	An aerial chair-lift	Rs. 9,51,000/-	
(iii)	A Tourist Reception Centre.	Approximately Rs. 5 lakhs	To be financed by the Central Government

(d) Subsidies amounting of Rs. 1,92,000/- have been released so far by the Central Government for the items listed at c (i) and (ii) above. The remaining amount of Rs. 4,24,065/- will be released to the State Government on the completion of these schemes.

दिल्ली में पर्यटक टैक्सियां

5137. **श्री कृष्णन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि दिल्ली में बहुत सी निजी मोटर कारें पर्यटक टैक्सियों के रूप में चलती हैं ;

(ख) क्या इन अनधिकृत कार चालकों द्वारा शोषण किये जाने के बारे में पुलिस को पर्यटकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या इन कारों में अवैध शराब तथा अन्य औषध चोरी छिपे लाई ले-जाई जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन अनधिकृत टैक्सियों को चलने से रोकने के लिये दिल्ली पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अनधिकृत टैक्सियों के बारे में पर्यटकों से कोई शिकायत नहीं मिली है परन्तु इस वर्ष के दौरान एक निजी कार टैक्सी के रूप में चलाये जाने के बारे में पुलिस को अब तक एक मामले की सूचना मिली है। परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन को इस प्रकार 9 अन्य मामलों की सूचना मिली है।

(ग) वर्ष 1967 के दौरान (30 नवम्बर, 1967 तक) पुलिस ने शराब का तस्कर व्यापार करने वाली सात निजी कारों का पता लगाया था।

(घ) अनधिकृत टैक्सियां चलाये जाने का पता लगाने के लिये दिल्ली पुलिस बस स्टैन्ड, टैक्सी स्टैंड तथा अन्य सम्भव स्थानों पर कड़ी निगरानी रख रही है।

Teachers' Problems in Bihar

5138. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Education Minister of Bihar discussed with him the problems being faced by the primary and high school teachers and made a demand for financial assistance to solve them;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the representatives of the Bihar Secondary Teachers Union discussed their problems with him during his visit to Patna;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether the Bihar Secondary Teachers Union urged upon him that Government should take over the management of private schools; and

(f) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (f). The Education Minister of Bihar has discussed problems relating to improvement of service conditions of school teachers with the Union Education Minister. Representations on this subject have also been received from organisations of primary and secondary school teachers. At present, there is no Scheme under the Government of India under which financial assistance can be given to State Governments for improving the salaries of school teachers. The recommendations made by the Education Commission on this subject are under consideration.

सेवा की पदावधि प्रणाली

5139. **श्री मु० न० नाघनूर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सचिवालय सेवा की कोई पदावधि प्रणाली है और क्या इसके बारे में कोई नियम बनाये गये हैं और राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं ;

(ख) गत दस वर्षों में यदि पदावधि सम्बन्धी नियम लागू किया गया है, तो कितने मामलों में ;

(ग) आई० ओ० एस० भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के कितने मामलों में पदावधि सम्बन्धी नियम लागू नहीं किया गया तथा उसके क्या कारण थे ;

(घ) कितने आई० सी० एस० अधिकारी पिछले (एक) 25 वर्ष, (दो) 20 वर्ष, (तीन) पन्द्रह वर्ष तथा (चार) 10 वर्षों से लगातार केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर काम कर रहे हैं;

(ङ) अधिकारियों की पदावधि बढ़ाने के सामान्य आधार क्या हैं और इस बारे में अन्तिम निर्णय कौन करता है ; और

(च) क्या उन अधिकारियों, जो अतिरिक्त सचिव तथा सचिव बनने के लिये दिल्ली में काफी लम्बी अवधि से काम कर रहे हैं, पदावधि सम्बन्धी नियम लागू नहीं किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, उप-सचिव तथा उससे ऊंचे पदों की पदावधि विनियमित करने वाले नियम भारत सरकार ने 26 अक्टूबर, 1957 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये हैं, **देखिये** गृह-कार्य मंत्रालय संकल्प संख्या 34 (3) Eo/57 दिनांक 17 अक्टूबर, 1957 ।

(ख) और (ग). इस नियम के अन्तर्गत पदावधि का समय निश्चित किया जाता है और असाधारण परिस्थितियों में, जहां कहीं ऐसा लोक हित में करना पड़े, इसमें पदावधि को बढ़ाये जाने की भी व्यवस्था है । केन्द्र सरकार में इस नियम के अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी को अनिश्चित काल तक कार्य करते रहने के लिये इस नियम में किसी प्रकार की ढील नहीं दी गई है ।

(घ) पिछले 25 वर्षों, 20 वर्षों, 15 वर्षों तथा 10 वर्षों से केन्द्रीय सरकार के पदों में कार्य कर रहे आई० सी० एस० अधिकारियों की संख्या क्रमशः 4, 6, 7 और पन्द्रह है । इनमें से पदावधि का नियम उन 20 अधिकारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता जो फाइनेन्स कामर्स पूल केडर में नियुक्त किये गये हैं या सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पूल के लिये निश्चित हैं ।

(ङ) अधिकारियों की पदावधि का काल उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित संकल्प में बताई गई विधि के अनुसार बढ़ाया जाता है । इस सम्बन्ध में सेंट्रल ऐस्टेबलिशमेंट बोर्ड की सिफारिश पर सरकार निर्णय करती है ।

(च) पदावधि नियम अतिरिक्त सचिव/सचिव के पदों पर भी लागू होता है । सिवाय ऐसे मामलों में जहां लोक-हित में ऐसा करना पड़े, किसी अधिकारी को सामान्य पदावधि समाप्त हो जाने पर उसे सम्बन्धित राज्य को न भेज कर उसका तबादला किसी और पद पर किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

5140. **श्री अब्राहम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की 1961 में उसकी स्थापना से

अब तक कितनी अमेरिकी सहायता प्राप्त हुई है और उसका किस प्रकार उपयोग किया गया है ;

(ख) इस परिषद् में कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस परिषद् ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण सम्बन्धी विषयों के बारे में कुछ अनुसंधान परियोजनायें आरम्भ की थीं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अधीन जितनी अमरीका से सहायता प्राप्त हुई या उसका वचन दिया गया है, उसकी कुल धन-राशि 46.93 लाख डालर तथा लगभग 13.27 लाख रुपये है । इस सहायता का प्रयोग वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपकरण और शिक्षा के प्रादेशिक कालेजों के लिये पुस्तकालय की पुस्तकों के लिये, शिक्षा तथा विस्तार सेवा केन्द्रों की राष्ट्रीय संस्था के अनुसंधान विभागों के लिये, अमरीका के विशेषज्ञों की सेवाओं के सम्बन्ध में, अमरीका में इण्डियन फेकल्टी के लोगों के प्रशिक्षण के लिये फेलोशिप के सम्बन्ध में और अनुसन्धान परियोजनाओं पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में रुपये के रूप में अदायगी करने के लिये किया गया है या किया जा रहा है ।

(ख) अमेरीकी विशेषज्ञ.....15

यूनेस्को के विशेषज्ञ.....11

(ग) और (घ). अमरीका के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण विभाग के अन्तर्राष्ट्रीय सहकार अनुसन्धान कार्यक्रय के अधीन राष्ट्रीय परिषद् ने भारतीय शिक्षा में 9 अनुसन्धान परियोजनाओं को पूरा किया है। इन परियोजनाओं की एक सूची इस विवरण में दी गई है और वर्ष 1966-67 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन में उनका संक्षिप्त विवरण है जो सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2103/67] उसी कार्यक्रम के अधीन अभी-अभी पांच अन्य परियोजनाओं को आरम्भ किया गया है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक

5141. **श्री चक्रपाणि :** **श्री अनिरुधन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री राममूर्ति :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों से भिन्न कर्मचारियों पर भी सेवा की वैसी ही शर्तें लागू होती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश XI, XII, XIII और XVIII में जानकारी दी गई है, जिनकी प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2104/67**]

(ख) जी नहीं। गैर-अध्यापक कर्मचारियों पर अन्य नियम लागू होते हैं।

(ग) सेवा की शर्तें हर संवर्ग के पदों की प्रकृति और उनको सौंपे गए कार्यों के संदर्भ में तैयार की जाती हैं, अतः किन्हीं दो संवर्गों के लिए एक ही सेवा-शर्तें रखना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारी

5142. **श्री गणेश घोष** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों में सामान्यतया असन्तोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) सरकार को किसी सामान्य असंतोष की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Use of Cars by Ministers

5143. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri had issued a direction, formally or informally, that the Ministers should not use costlier and foreign cars ;

(b) if so, the extent to which it has been implemented ; and

(c) the present position regarding use of costlier and foreign cars by Ministers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (c). The late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri was of the view that Government departments should avoid the use of Luxury cars and had therefore directed that Government departments need not go in for such cars unless a special case was made out. Instructions have also been issued in September, 1966 that each Ministry or Department should not retain more than one large size foreign made car (i.e. car of rating higher than 20 h. p.),

Trained Dogs

5144. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the dogs purchased by Government have been successful in tracing theft cases ;

(b) if so, the number of dogs purchased so far and the price paid therefor ;

(c) the places from where they were purchased ; and

(d) the number of dogs which proved unsuccessful ?

The Minister of State in Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Yes, Sir. Dogs in the Dog Squad of Delhi Police have been successful.

(b) The above Squad has 5 dogs at present. Of these only 2 were purchased, one for Rs. 200/-and another for Rs. 300/-.

(c) One was purchased from Devgad (Baria), Gujarat and another from the Police Department of Himachal Pradesh.

(d) Nil. The dogs have been successful wherever the scent of articles/persons involved at the scene of crime was not disturbed or lost.

Construction of Bridges on National Highway in Madhya Pradesh

5145. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bridges on the National Highway from Saugar (M. P.) to Narsinghpur have not been constructed so far ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government are aware that during the rainy season the rivers are flooded and cause obstruction to traffic and cities like Deoli, Narsinghpur are cut off from Saugar ; and

(d) if so, when Government propose to Construct the bridges ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Out of the seven major bridges falling on this section of the National Highway, two have been completed, work on three other bridges is in progress, one more bridge work has been sanctioned and will soon be taken in hand, while the proposal for the seventh one is being finalised in consultation with the State Public Works Department.

(c) It is true that traffic is obstructed and some cities remain cut off from Saugar, but this obstruction lasts only for a few hours during heavy rains.

(d) Every effort will be made to complete the remaining five bridges also as early as possible, subject to availability of funds.

द्वारकाधीश मन्दिर की मरम्मत

5146. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारदा पीठ, द्वारका, गुजरात के पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी ने प्रधान मंत्री के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारका में द्वारकाधीश के ऐतिहासिक मन्दिर की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार का काम आरम्भ करे;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(ग) कब तक यह कार्य आरम्भ हो जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने तत्काल आवश्यक मरम्मतों को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कराने का निर्णय किया है ।

उड़ान में महिला की मृत्यु

5147. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 दिसम्बर, 1967 को इण्डियन एयरलाइन्स के विमान में नागपुर से कलकत्ता यात्रा करते समय एक महिला श्रीमती एस० एन० गांधी की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या उसने विमान के चिकित्सा अधिकारी को पहले ही सूचित कर दिया था कि वह अस्वस्थ है;

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ान के समय उनमें डाक्टरों के रहने की व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक विमान में उड़ान के समय कितने डाक्टर और कितनी विमान परिचारिकाएं उपस्थित रहती हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : श्रीमती एस० एन० गांधी की बम्बई से कलकत्ता जाते हुए एक इण्डियन एयरलाइन्स के विमान में मृत्यु हुई ।

(ख) जी, नहीं । विमान पर कोई मेडिकल अफसर नियुक्त नहीं है ।

(ग) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है; अनुसूचित सेवाओं पर जाते हुए विमानों के लिये डाक्टर की व्यवस्था करना व्यवहार्य भी नहीं है ।

(घ) कारवेल वायुयान में चार केबिन परिचारक होते हैं; वाइकाउंट, स्काइमास्टर, एच० एस०-748 और फाकर फ्रेंडशिप विमानों में दो-दो परिचारक होते हैं; तथा डेकोटा वायु यान में एक परिचारक होता है । केबिन परिचारक या तो एयर होस्टेस और या स्टूअर्ड होता है ।

स्वेज नहर का बन्द हो जाना

5148. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को स्वेज नहर के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप अपना माल बाहर भेजने पर कितना अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : पश्चिम के देशों से

सरकार द्वारा आयात किये गये माल पर बढ़ी हुई भाड़े की दरों के कारण प्रतिमास 1.65 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है ।

विघटनकारी प्रवृत्तियां रोकने के लिये सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम

5149. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की शिव सेना तथा देश के अन्य भागों में कुछ अन्य संगठनों द्वारा प्रदर्शित विघटनकारी प्रवृत्तियों का सामना करने के लिये सरकार द्वारा बनाये गये सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) इस कार्यक्रम द्वारा ऐसे संगठनों को समाप्त करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). किसी समुदाय या क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान पंचवर्षीय योजनाओं की सीमा के अन्दर तेजगति से आर्थिक विकास करके किया जा सकता है । आशा की जाती है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् इन समस्याओं की ओर ध्यान देगी जो भाषावाद और प्रान्तीयता की भावना बढ़ेगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

5150. **श्री अ० श्री० कस्तूरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के न्यूनतम अपेक्षित योग्यता वाले उम्मीदवारों को उनके लिये आरक्षित पदों के लिये भी नहीं चुना जाता और उन पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न जातियों के उम्मीदवारों को चुन लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षित पदों के लिये केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों में ही प्रार्थना-पत्र मांगने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का और क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों को सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के लिये निर्धारित न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी अर्हताओं के अतिरिक्त उस सेवा/पद के

लिये आवश्यक क्षमता के न्यूनतम स्तर तक पहुँचना भी आवश्यक है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के जो उम्मीदवार अपेक्षित न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, उनका चयन कर लिया जाता है ।

इस प्रकार के रिक्त स्थानों का आरक्षण करने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति से भिन्न उम्मीदवारों की नियुक्ति बाकी के उन पदों पर की जा सकती है जिनके लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों और यह आरक्षण भर्ती के दो भावी वर्षों तक रखा जाता है ।

(ख) जी, नहीं । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के उम्मीदवारों के लिये रिक्त स्थानों की संख्या का विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों के लिये सर्वप्रथम इन्हीं जातियों से सम्बन्धित आवेदकों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । जो उम्मीदवार अपेक्षित स्तर के होते हैं, उनका चयन कर लिया जाता है । यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का कोई आवेदक न हो या यदि इन वर्गों के आवेदक उनके लिये आरक्षित रिक्त स्थानों के लिये उपयुक्त न समझे जायें तभी अन्य उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जाता है । यदि इस प्रकार के आरक्षित स्थानों के लिये केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के आवेदकों से आवेदनपत्र आमंत्रित किये जायें तो रिक्त स्थानों का विज्ञापन दोबारा करवाना पड़ेगा जिससे विज्ञापन पर अनावश्यक खर्च बढ़ेगा और भर्ती में देर होगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Minor Ports in Maharashtra

5151. **Shri Baswant**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number and names of ports in Maharashtra and the number out of them developed during the Third Five Year Plan ;

(b) whether Government have prepared any scheme regarding the development of minor ports in Maharashtra, particularly Konkan port which is silted during the rainy season ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Maharashtra has forty-nine minor ports, namely ; Dahanu, Tarapur, Nawapur, Satpati, Kelwa-Mahim (including Kelwa), Arnala (including Dativara), Bassein, Uttan, Bhiwandi, Manori, Kalyan, Thana, Varsova, Bandra, Elephanta, Trombay (including Mahul), Panvel (Ulva), Mora, Karanja, Mandva, Thal (Rewas), Alibag, Revdanda, Borlai Mandla, Nandgaon, Murud (Janjira), Rajpuri, Mandad, Kumbharu, Shriwardhan, Bankot, Kelshi. Harnai, Dabhol, Palshet, Borya, Jaigad, Varuda (Tiwri), Ratnagiri, Purnagad, Jaitapur, Vijaydurg, Deogad, Achra, Malwan, Nivti, Vengurla, Redi and Kirnapani.

Development works were undertaken at twenty of these ports during the Third Plan period.

(b) and (c). Executive responsibility for the development of minor ports vests in the State Governments concerned. The Government of Maharashtra proposed schemes estimated to cost about Rs. 13·19 crores for the development of their minor ports, including Konkan ports, in the Fourth Five Year Plan period. The Planning Commission agreed to a tentative provision of Rs. 683·67 lakhs in the draft outline of the Fourth Plan for this purpose. The details of this programme are yet to be finalised.

For dredging out the accumulated silt in Konkan ports, the Government of Maharashtra propose to purchase a sea-going dredger. The State Government have already invited tenders for this purpose. The last date for the receipt of tenders is the 26th December, 1967.

Development of Matheran and Lonavla Hill Stations

5152. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Matheran and Lonavla Hill stations in Maharashtra have been developed during the Third Five Year Plan ;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that no adequate facilities exist at these places for middle-class persons from Bombay because of their being over populated ; and

(d) if so, whether Government propose to provide holiday camps at these places ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). A subsidy amounting to Rs. 50,000/- was given to the State Government for the establishment of a holiday camp at Karla near Lonavla in the Third Plan.

(c) The traffic to hill stations being seasonal it is likely that due to holiday rush, facilities at Matheran and Lonavla may prove to be inadequate during those months.

(d) Apart from the holiday camp already functioning at Karla, there is no proposal with the Central Government for establishing holiday camps at Matheran and Lonavla.

सफदरगंज हवाई अड्डा

5153. **श्री राम चरण** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे को बन्द करके उसे पालम ले जाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). उड़ान परिचालनों को सफदरजंग से पालम ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन ऐसे परिचालनों को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है ।

विज्ञान प्रतिभाओं का चयन

5154. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **शिक्षा** मंत्री 26 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6773 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चुने हुए विद्यार्थियों द्वारा अन्य पाठ्यक्रम लेना पसन्द किये जाने के कारण बहुत सी छात्रवृत्तियां अप्रयुक्त रह जाती हैं, सरकार का विचार 366 से कम अंक प्राप्त करने वाले उन उम्मीदवारों के मामलों पर पुनर्विचार करने, परीक्षा में जिनका कार्य सन्तोषजनक है, तथा उनकी विज्ञान प्रतिभा के विकास के लिये उन्हें प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा अनुसन्धान योजना के लिये सलाहकार बोर्ड अपनी अगली प्रस्तावित बैठक में इस विषय पर विचार करेगा, जो शीघ्र ही होने वाली है ।

केरल कलामण्डलम कथाकली दल

5155. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री नायनार : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरुत स्थित हमारे राजनयिक दूतावास अथवा किसी अन्य सम्बद्ध अधिकारी के यूरोप तथा कनाडा का दौरा करने वाले केरल कलामण्डलम कथाकली दल के प्रबन्धक की एक सन्दूक की जिसमें धन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं थीं, तथाकथित चोरी हो जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसे बरामद करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उस दल के दैनिक खर्च को निकाल कर उस दल की विदेश यात्रा से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). एक्सपो '67 के दौरान जून-जुलाई, 1967 में मोंट्रिआल में भारत सप्ताह समारोह में भाग लेने के बाद केरल कलामण्डलम के कथाकली दल ने व्यावसायिक आधार पर योरप तथा पश्चिम-एशिया का भ्रमण किया था ।

दल के प्रबन्धक ने बेरूत स्थित भारतीय दूतावास को 5 सितम्बर, 1967 को कीमती वस्तुओं के एक सूटकेस के खोने की सूचना दी थी । तुरन्त ही इस मामले में बाल बेक फेस्टीवल प्राधिकारियों और मिडिल ईस्ट एयर लाइन्स से लिखा-पढ़ी की गई । सूटकेस का पता 9 सितम्बर,

को फ्रेंकफर्ट में लगा जहां से उसे 11 सितम्बर को ऐथेन्स भेजा गया फिर वहां से 14 सितम्बर को पेरिस भेजा गया। अनुमान है कि अब सूटकेस उसके मालिक को दे दिया गया है।

(ग) दल सितम्बर, 1967 के अन्त में भारत लौटा और पेरिस के जिस संचालक ने भ्रमण की व्यवस्था की थी उसने अभी तक हिसाब बेबाक नहीं किया है। विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में सूचना हिसाब बेबाक होने पर उपलब्ध हो सकेगी।

अन्दमान में उचित मूल्य वाली दुकानें

5156. **श्री गणेश :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अन्दमान द्वीप समूह में उचित मूल्य वाली कितनी दुकानें खोली गई हैं ;

(ख) क्या प्रमुखतः अधिक श्रमिक आबादी वाले क्षेत्रों में उचित मूल्य वाली कोई दुकानें खोली गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अन्दमान के द्वीपों में लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिनमें श्रमिक भी सम्मिलित हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन ने उचित मूल्य वाली 76 दुकानें खोली हैं। इनमें से 26 दुकानें उन क्षेत्रों में हैं जहां अधिकतर श्रमिक लोग रहते हैं।

निकोबार द्वीपसमूह में उचित मूल्य वाली दुकानें

5157. **श्री अमृत नाहाटा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान प्रशासन द्वारा निकोबार द्वीप समूह में उचित मूल्य वाली कितनी दुकानें खोली गई हैं ;

(ख) जिस क्षेत्र में ये दुकानें खोली गई हैं ; उसकी कुल जनसंख्या कितनी है ;

(ग) क्या उचित मूल्य वाली दुकानों पर ननकाउरी ट्रेडिंग कम्पनी की तुलना में वस्तुएं कम दामों पर बेची जाती हैं ;

(घ) क्या अन्दमान निकोबार आदिम जाति उत्थान विनियमों के अन्तर्गत सरकार को निकोबार द्वीपसमूह में मूल्य निर्धारित करने चाहिये थे ;

(ङ) मूल्य निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अन्दमान और निकोबार प्रशासन ने निम्नलिखित स्थानों पर सिविल सप्लाई स्टोर खोले थे और 1961 की जनगणना के अनुसार इन स्थानों की कुल जन संख्या इन स्थानों के सामने उल्लिखित है।

स्थान का नाम	जनसंख्या
कार निकोबार	9879
वैस्ट बे कच्चल ईस्ट बे कच्चल	904
टोरेसा	547
कोंदुल	82
पीलोमिलो	40
कैम्पबैल बे (ग्र० निकोबार)	203
केमोरटा	795
कापंगा	107

उल्लिखित प्रत्येक स्थान पर एक-एक स्टोर खोला गया था।

10 अक्तूबर, 1967 को कापंगा में अस्थायी रूप से एक सिविल सप्लाई स्टोर खोला गया था और ईस्ट बे कच्चल में नियमित रूप से स्टोर खोल दिये जाने के बाद उसे बन्द कर दिया गया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए कार निकोबार और केमोरटा के स्टोर छोड़कर शेष सभी स्टोर बन्द कर दिये गये हैं।

(ग) इन स्टोरों पर जो वस्तुएं बेची जाती थीं उनके मूल्य 'हानि लाभ रहित आधार पर' निश्चित किये जाते थे और सामान्य तौर पर नानको ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा अधिक मूल्य लिये जाते थे। फिर भी नियन्त्रित वस्तुओं जैसे आटा, चावल और चीनी के दाम एक-जैसे थे।

(घ) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह (आदिवासियों का संरक्षण) विनियम, 1956 के अधीन व्यापार के लिये जारी किये गये लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, मुख्य आयुक्त या उनके द्वारा कोई अधिकृत अधिकारी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा बिक्री दाम निश्चित करता है। लाइसेंस प्राप्त कोई भी व्यक्ति अधिकतम निश्चित मूल्य से कम दाम पर वस्तुएं बेच सकता है।

(ङ) नियमों के अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य निश्चित किये जाते हैं।

अन्दमान प्रशासन के विरुद्ध लेख याचिकाएं

5158. **श्री अमृत नाहाटा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963 से 1967 तक की अवधि में, वर्षवार, अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में कितनी लेख याचिकायें दायर की गईं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : वर्ष 1963 से लेकर अब तक अन्दमान और निकोबार प्रशासन के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई

याचिकाओं की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	संख्या
1963	1
1964	2
1965	2
1966	6
1967	8 (13 दिसम्बर, 1967 तक)

अंडमान जहाजों में यात्रा करने वाले यात्रियों से उतरने का शुल्क लिया जाना

5159. **श्री गणेश :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान के जहाजों में यात्रा करने वाले यात्रियों से निकोबार द्वीप समूह के बन्दरगाहों में उतरने पर शुल्क लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह नौवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं कि यात्रियों को तट पर उतारा जाये ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

लाहौर में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी मेला

5160. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने पाकिस्तान में लाहौर में होने वाले आगामी अन्तर्राष्ट्रीय हाकी मेले में भाग लेना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने भारत में होने वाले मेले में भाग लेना स्वीकार नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत द्वारा पाकिस्तान के निमन्त्रण को स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं जबकि पाकिस्तान ने भारत के पारस्परिक दौरे के निमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया था ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). भारतीय हाकी संघ ने जनवरी 1968 के दौरान पाकिस्तान में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हाकी मेले में भाग लेना इस शर्त पर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान भी भारत में होने वाले मेले में भाग लेगा और जितने मैच भारत पाकिस्तान में खेलेगा, उतने ही मैच पाकिस्तान भी भारत में खेलेगा। फिर

भी भारतीय हाकी संघ का भारत में कोई उस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय हाकी मेला लगाने का विचार नहीं जैसे पाकिस्तान में लगाया जा रहा है।

भारतीय वन सेवा

5161. **श्री अ० श्री० कस्तूरे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1966 से बनाई गई भारतीय वन सेवा में कितने राज्य वन अधिकारी चुने गये हैं ;

(ख) भारतीय वन सेवा के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कितने राज्य वन अधिकारी चुने गये हैं ;

(ग) क्या इन जातियों के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय वन सेवा में उन जातियों के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1 अक्तूबर, 1966 से भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिये 703 राज्य वन सेवा अधिकारियों को उपयुक्त समझा गया था जिनमें 9 अनुसूचित जातियों के और 8 अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

(घ) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सेवा में भर्ती के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था है। कुछ ऐसे मामलों पर पुनर्विचार भी किया जा रहा है जिनकी चरित्र-पंजियों में प्रतिकूल टिप्पण दिये गये हैं और या तो उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं गया या उन टिप्पणों के विरुद्ध उन्होंने जो अभ्यावेदन दिये थे, उन पर अभी कार्यवाही पूरी नहीं हुई।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में मजदूरों को छुट्टी यात्रा रियायत

5162. **श्री गणेश :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कुल कितने कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं ;

(ख) किस श्रेणी के कर्मचारी इसके हकदार हैं ;

(ग) क्या सरकारी आदेशों के अधीन नियमित छुट्टी लेने वाले कर्मचारी भी इसके हकदार हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सभी औद्योगिक और कार्य प्रभारित कर्मचारी, जो नियमित छुट्टी के हकदार हैं और जिन्होंने एक वर्ष

की सेवा पूरी कर ली है, छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। उनकी संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि वे कर्मचारी और नैमित्तिक श्रमिक जिन्हें आकस्मिकता-निधि से वेतन दिया जाता है छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनका काम ही इस प्रकार का है।

अन्दमान विशेष वेतन

5163. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य भूमि से भर्ती किये गये औद्योगिक कर्मचारी अन्दमान विशेष वेतन के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य भूमि से भर्ती किये गये अन्य कर्मचारियों की तरह ये भी निःशुल्क यात्रा के अधिकारी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). गृह-कार्य मंत्रालय के 22 जनवरी, 1951 के पत्र में उल्लिखित सामान्य आदेशों के अधीन औद्योगिक कर्मचारियों को अन्दमान विशेष वेतन दिया जा रहा है। फिर भी निःशुल्क यात्रा की मंजूरी देने की कार्यवाही मूल और अनुपूरक नियमों में पृथक रूप से उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार की जाती है। क्योंकि औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में वे नियम लागू नहीं होते, इसलिये वे निःशुल्क यात्रा के अधिकारी नहीं हैं।

Hindi Officers

5164. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some Ministries of the Government of India, ignoring the suggestions made by the Hindi Advisory Committee, the appointments of Hindi Officers have not been made so far and instead monthly honorarium has been sanctioned to the Under Secretaries or other high Officers ;

(b) if so, whether the consent of the Hindi Advisory Committee was obtained before sanctioning such honoraria ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the steps being taken by his Ministry for appointment of Hindi Officers in such Ministries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (d). In 17 Ministries/Departments Hindi Officers are already functioning. In 9 Ministries/Departments senior officers are looking after Hindi work in addition to their normal duties without getting any honorarium. Only in the Ministry of Health and Ministry of Petroleum and Chemicals one Officer each is being given honorarium for doing Hindi work.

(b) and (c). It was not necessary to obtain consent of the Hindi Advisory Committee.

Hindi Assistants

5165. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no opportunities of promotion are available to the Hindi Assistants or Translators working in various Ministries of the Government of India;

(b) whether it is also a fact that most of the persons, along with post-Graduate degrees, have also got 7-8 years experience of Hindi work at their credit which is much more than the minimum qualifications required for the post of a Hindi Officer;

(c) whether the work of Hindi Officers is being taken from these very Hindi Assistants and Translators in the Ministries where Hindi Officers have not been appointed so far; and

(d) if so, the reasons for not promoting them to the post of Hindi Officer?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Post of Hindi Officers

5166. **Shri Shiv Charan Lal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of posts of Hindi Officers in the Government of India created after 1960 and the number of posts among them filled so far;

(b) the number of such posts filled by direct recruitment and of those filled by departmental promotions; and

(c) whether any of the Hindi Assistants working in the Government of India has also been appointed to the said post?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी

5168. **श्री दण्डपाणि :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के कहने पर, संघ लोक सेवा आयोग ने अगस्त, 1967 में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड वन (प्रथम श्रेणी) में नियुक्ति के लिये इस सेवा के अनुभाग अधिकारियों के नामों की एक तालिका की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह तालिका प्रकाशित कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में लगभग चार महीनों की देरी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक चयन समिति ने, जिसके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य हैं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड वन (प्रथम श्रेणी) में नियुक्ति के लिये अधिकारियों के नामों की एक तालिका बनाई है। यह तालिका विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

5169. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता से 1200 पुस्तकें जिनमें कुछ दुर्लभ पुस्तकें और पाण्डुलिपियां भी हैं, चोरी हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो दुर्लभ पुस्तकों और पान्डुलिपियों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

H. A. L. Spy

5171. **Shri Yajna Datt Sharma :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri O. P. Tyagi : **Shri N. S. Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Muhammad Rahmatullah of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore was sentenced to theree years imprisonment on the charge of spying for Pakistan ;

(b) whether he had supplied important information to Pakistan during the 1965 Indo-Pak conflict ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the steps taken by Government to check other cases of similar nature ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). One such Mohammad Rahmatullah was prosecuted at Bangalore on the charge of having committed offences under section 3 (1) (c) of the Indian Official Secrets Act. The court found that the accused obtained, collected and communicated information about the movements of the aircraft of the I. A. F. to an enemy agent and that such acts of the accused were calculated to be useful to the enemy and done by the accused for a purpose prejudicial to the safety and interest of the State. The accused was convicted under section (3) (1) (c) of the Indian Official Secrets Act in respect of three charges and sentenced to suffer R. I. for three years on each count. He was

also convicted of the offences under rule 39 (1) and (3) of the Defence of India Rules and sentenced to R. I. for 1½ years on each count. All sentences were to run concurrently.

(d) Adequate security masures exist to check such cases.

उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन

5172. **श्री नाथ पाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कांग्रेसियों द्वारा दिये गये ज्ञापन के बारे में जिसमें उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे, उड़ीसा के मुख्य मंत्री से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने बताया है कि मार्च, 1965 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में जो निर्णय हुये थे, उनको ध्यान में रख कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

नागाओं द्वारा भूमि पर बलात् कब्जा

5173. **श्री रा० बरुआ :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में नागालैंड के नागाओं की एक बड़ी टोली ने आसाम के काकोडोंगा आरक्षित वन के बहुत बड़े क्षेत्र पर बलात् कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन घुसपैठियों को वहां से निकालने के लिए कोई निवारक उपाय किये गये हैं और इनसे क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). बलात् कब्जे के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है । आसाम सरकार को जो सूचना मिली है उससे पता चलता है कि कुछ नागाओं ने हाल ही में सिबसागर जिले में काकोडोंगा आरक्षित वन में जंगल के एक भाग को साफ कर दिया है । आसाम के राज्य अधिकारी इस क्षेत्र में गये थे परन्तु उन्होंने वहां किसी व्यक्ति को नहीं देखा ।

वर्ल्ड असैम्बली ऑफ यूथ

5174. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ल्ड असैम्बली आफ यूथ ने चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में एक बहुमंजिला भवन निर्माण करने के लिये 20 लाख रुपये का एक न्यास बनाया है ;

(ख) इस धन का स्रोत क्या है ; और

(ग) इस न्यास द्वारा अब तक कितने भवनों का निर्माण किया गया है और किस प्रयोजन के लिये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) दी इण्डियन असैम्बली आफ यूथ द्वारा (जिसे पहले वर्ल्ड असैम्बली ऑफ यूथ कहा जाता था) स्थापित 'दी वे इण्डिया यूथ सैंटर ट्रस्ट' ने चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 21.02 लाख रुपये की लागत पर इण्टरनेशनल यूथ सैंटर (विश्व युवक केन्द्र) स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है ।

(ख) पता चला है कि इण्डियन असैम्बली ऑफ यूथ को अमरीकी प्रतिष्ठानों से धन मिला है, जिनमें फौंडेशन ऑफ यूथ एण्ड स्टूडेंट अफेयर्स भी सम्मिलित है। सरकार ने भी 6,00,000/-रुपये का अनुदान देने की मंजूरी दी है बशर्ते कि ट्रस्ट भी इतनी धनराशि जनता से दान लेकर एकत्र करे ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित भवन को छोड़कर किसी अन्य भवन के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

हल्दिया पत्तन परियोजना में विस्थापित किसानों को नौकरियां

5175. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में अपनी जमीनों से विस्थापित किये गये किसानों को नई पत्तन परियोजना में नौकरी देने के मामले में उचित प्राथमिकता दी जायेगी और उनके लिये, यदि आवश्यक हुआ तो, प्रशिक्षण की सुविधाओं की भी व्यवस्था की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन परियोजना में किसानों को दी जा सकने वाली नौकरियों की अधिक गुंजाइश नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन किसानों अथवा उनके पुत्रों को कलकत्ता पत्तन में ही कुछ रोजगार दिया जायेगा क्योंकि हल्दिया पत्तन को कलकत्ता का एक सहायक पत्तन माना जाता है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख). हल्दिया डाक परियोजना के लिये गैर तकनीकी अमला सुताहाटा जिला-मिदनापुर के रोजगार कार्यालय से नियुक्त किया जाता है जो विशेषत: अधिक से अधिक विस्थापित व्यक्तियों को काम पर ले जाने के लिये खोला गया। हल्दिया की अमला आवश्यकताओं को सूचित करते समय कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों ने कहा कि जहां तक संभव हो सके आवश्यकता की पूर्ति करने वाले विस्थापित व्यक्तियों को पहले भेजा जाय। परियोजना के काम पर लगे हुये ठेकेदारों को पत्तन कमिश्नरों ने यह भी कहा कि आवश्यक अमला वे स्थानीय लोगों से भी नियुक्त कर लें। जहां

तक तकनिकी अमले का सम्बन्ध है, उनकी नियुक्ति या तो कलकत्ता पत्तन से स्थानांतरण द्वारा या समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा की जाती है ।

हल्दिया में विस्थापित व्यक्तियों तथा अन्य को लाभकारी रोजगार पर लगने योग्य करने के लिये प्रशिक्षण देने की सुविधा की व्यवस्था करने के लिये हल्दिया क्षेत्र के विकसित हो जाने पर, पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है । मालूम हुआ है कि पश्चिम बंगाल सरकार विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के अब तक बहुत कम अवसर मिलते थे लेकिन यह आशा की जाती है कि मुख्य सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्य के आदेश हो जाने पर, जिस पर अभी कार्य शुरू हुआ है, इन अवसरों में वृद्धि होगी और अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा ।

(घ) कलकत्ता पत्तन में हल्दिया के कृषि कार्य करने वाले विस्थापित लोगों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वहां पर आवश्यकता से अधिक व्यक्ति हैं और यातायात के आयतन में कमी हो गई है ।

पालम हवाई अड्डे के जलपान व्यवस्था के ठेकेदार से देय राशि की वसूली

5176. **श्री शम्भू नाथ :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 29 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे के जलपान व्यवस्था के वर्तमान ठेकेदार पर 1,50,000 रुपये की राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्पदा अधिकारी की हैसियत से दिल्ली क्षेत्र के हवाई अड्डा नियंत्रक द्वारा इस राशि के वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पालम हवाई अड्डे के खान-पान प्रबन्ध के ठेकेदार के नाम 1.3.67 से 31.7.67 की अवधि के लिये क्षति, बिजली और पानी के किराये के रूप में 58,604.80 रुपये की राशि बकाया है। उससे आगे की अवधि के लिये ठेकेदार द्वारा देय राशि का हिसाब लगाया जा रहा है।

(ख) हवाई अड्डा नियंत्रक ने (एस्टेट आफिसर की हैसियत से) इस राशि की वसूली के लिये "पब्लिक प्रेमिसेज इविक्शन एक्ट" के अधीन नोटिस जारी कर दिया है। अगले देय धन के लिये भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ।

डा० सोमरविले का वीजा रद्द किया जाना

5177. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय ईसाई संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें डा० सोमरविले का वीजा रद्द करने की प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक तथा तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ

5178. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ ने यह मांग की है कि मंहगाई के प्रभाव को पूर्णत: निष्प्रभ करने के लिये कर्मचारियों को मंहगाई के बराबर मंहगाई भत्ता देने के प्रश्न पर संयुक्त सलाहकार परिषद में विचार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). 29 और 30 मई, 1967 की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने 12 महीने से अधिक समय तक निर्वाह व्यय में औसत 10 अंक की वृद्धि के हिसाब से मंहगाई भत्ता दिये जाने का प्रश्न उठाया था ।

बाद में इस विषय पर संयुक्त सलाहकार परिषद के बाहर कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने 29 अगस्त, 1967 को उप-प्रधान मंत्री के साथ भी बातचीत की थी । इस बैठक पर जो समझौता हुआ था, वह स्वत: स्पष्ट है और संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है ।

अनुबन्ध

(1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 फरवरी, 1967 से 31 अगस्त, 1967 तक दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता उनके भविष्य निधि के हिसाब में जमा रहेगा ।

(2) 1 सितम्बर, 1967 से दिये जाने वाला मंहगाई भत्ता गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिश के अनुसार नकद दिया जायेगा ।

(3) भविष्य निधि में जमा उक्त धनराशि को अप्रैल, 1968 में एक किस्त में प्राप्त किया जा सकता है परन्तु यदि सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी हो तो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने वचन दिया कि वे कर्मचारियों से वह धनराशि न निकलवाने की अपील करेंगे ।

(4) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अप्रैल, 1968 से संयुक्त सलाहकार परिषद अथवा अन्य किसी स्थान पर मंहगाई के बराबर मंहगाई भत्ता दिये जाने की अपनी मांग पेश कर सकते हैं ।

कालेजों के विद्यार्थियों और स्टाफ के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना

5179. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के समान देश भर में कालेजों के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों आदि के लिये एक व्यापक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है और क्या दिल्ली में पहले से चल रही अंशदायी स्वास्थ्य योजना से यह योजना बहुत भिन्न है ; और

(ग) इस योजना से कुल कितने लोगों को लाभ होने की संभावना है और केन्द्रीय बजट से इस सम्बन्ध में कितना धन खर्च किये जाने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निश्चय किया है कि वह विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को उनके द्वारा इस कार्य के लिए बैठाई गई समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यान्वित करेगा। यह कार्य धन उपलब्ध होने पर ही हो सकेगा।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2105/67]**

यह कार्यक्रम कुछ दृष्टियों से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना से भिन्न है।

(ग) योजना के पूरे वित्तीय निहितार्थों को अभी तैयार नहीं किया गया है। लाभ उठाने वालों की संख्या योजना में सम्मिलित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों और कालिजों की संख्या पर निर्भर करेगी।

लोक वाहनों पर दोहरा कर

5180. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक राज्य से दूसरे राज्य में चलने वाले लोक वाहनों पर उन राज्यों द्वारा, जिनमें ये वाहन चलते हैं ; लगाये जाने वाले दोहरे कर की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्यों के परामर्श से कराधान सम्बन्धी कानूनों का समन्वय करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है ताकि दोहरा कराधान समाप्त किया जा सके ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं कि अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली मालवाहक गाड़ियों को जो दो से

अधिक राज्यों से होकर जाती हैं, उन्हें प्रत्येक बीच में पड़ने वाले राज्यों को मोटर गाड़ी कर और माल कर देना पड़ता है। इस मामले में चालकों को कठिनाई से बचाने के लिये सड़क परिवहन कराधान जांच समिति ने अन्तर्राज्य परिवहन पर अपनी पहली अन्तरिम रिपोर्ट में गृह-राज्य में दिये जाने वाले कर के अतिरिक्त मालवाहक गाड़ियों को अन्तर्राज्य में चलाने के लिये एक मानक कर देने का सुझाव दिया है। समिति के अनुसार राज्य सरकारों से सलाह करने के बाद इस कर की मात्रा निश्चित की जानी चाहिये किन्तु अन्तरिम उपाय के रूप में 11 टन आर० आई० डब्लू के ट्रक से 2500 रु० वार्षिक पर निश्चित किया जाना चाहिये। समिति द्वारा सिफारिश की स्कीम के अधीन अन्तर्राज्य मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की देयता निम्न प्रकार की होगी :

फासला	अदा किया जाने वाला कर
गृह राज्य से बाहर 150 मील (240 कि० मी०) तक	मानक कर का 25 प्र० श०
गृह राज्य से बाहर 151 मील से 350 मील तक (241 से 560 कि० मी०)	मानक कर का 50 प्र० श०
गृह राज्य से बाहर 351 मील से 600 मील तक (561 से 960 कि० मी०)	मानक कर का 75 प्र० श०
गृह राज्य से बाहर 600 मील से ऊपर (960 कि० मी०)	मानक कर का 100 प्र० श०

समिति ने और सुझाव दिया है कि मानक कर की वसूली का दायित्व गृह राज्य का है, जो मार्ग परमिट जारी करता है। केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह से, गृह राज्य में मानक कर जमा करने की और उसका हिसाब रखने तथा सम्बद्ध राज्यों में वितरित करने की उचित कार्य पद्धति बना सकता है। समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय क्षेत्रों के प्रशासकों और राज्य सरकारों से सलाह कर विचार किया जा रहा है।

पिलानी में टेलीविजन सेटों का निर्माण

5181. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिलानी स्थित केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी संस्था ने एक टेलीविजन सेट बनाया है और उसे प्रधान मंत्री को भेंट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई है और वह संतोषजनक पाया गया है ; और

(ग) उसकी लागत कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी द्वारा बनाया गया एक 23" स्क्रीन वाला टेलीविजन सेट 19 मई, 1967 को प्रधान मंत्री को भेंट किया गया था।

(ख) सेट की जांच पीछे 10 दिसम्बर, 1967 को की गई थी और वह संतोषजनक रूप से चल रहा था।

(ग) एक 23" स्क्रीन वाले टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य लगभग 1500 रुपये (उत्पादन कर और स्थानीय करों को छोड़कर) है।

दिल्ली में ऋण देने वाली फर्में

5182. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में ऋण देने वाली कुछ फर्मों ने कुछ उच्च सरकारी अधिकारियों की सहायता से लोगों को हजारों रुपये का धोखा दिया है ;

(ख) क्या ऐसे कुछ मामलों की रिपोर्ट पुलिस में कराई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और ऐसी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने में कितनी सफलता मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली में ऋण देने वाली कुछ फर्मों द्वारा धोखा देने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। परन्तु कुछ उच्च सरकारी अधिकारियों की सहायता से धोखा देने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली पुलिस ने ऋण देने वाली ऐसी दस फर्मों के विरुद्ध मामले दर्ज किये हैं और उनकी जांच की जा रही है। झूठी फर्मों के विरुद्ध शिकयतों के मामलों की जांच करने के लिये दिल्ली गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा में एक विशेष "सैल" भी बनाया है।

आपातकालीन कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारियों में से प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति

5183. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकालीन कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारियों में से भर्ती करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के कितने रिक्त पदों के विज्ञापन दिये गये ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ;

(ग) साक्षात्कार के लिये कितने उम्मीदवारों को चुना गया और कितने उम्मीदवारों की भर्ती की गई ;

(घ) क्या यह सच है कि इन अधिकारियों के लिये साक्षात्कार का एक पृथक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है ; जबकि साधारण उम्मीदवारों के लिये ऐसा कोई न्यूनतम स्तर निर्धारित नहीं था ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) कितने रिक्त पदों को भरा जाना शेष है तथा आपातकालीन कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारियों को एक और अवसर दिया जायेगा जिन्होंने 1966 में लिखित परीक्षा पास की थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (च). एक विवरण, जिसमें यह सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2106/67]

औद्योगिक प्रबन्धक पूल

5183–क. **श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रबन्धक पूल में आरम्भ से लेकर अब तक कितने व्यक्ति रहे हैं ;

(ख) नियुक्ति के पश्चात कितने व्यक्तियों ने इसमें आने से इन्कार किया है ;

(ग) क्या वह सभी व्यक्ति इस पूल में काम कर रहे हैं जो इसमें सम्मिलित हुये थे ; और

(घ) क्या पूल के लिये नई भर्ती करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आरम्भ में पूल की अधिकृत स्थायी संख्या 200 निश्चित की गई थी। परन्तु वास्तव में केवल 130 उम्मीदवारों ने इस पूल में सेवा आरम्भ की।

(ख) 69 उम्मीदवारों ने नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(ग) जी, नहीं। इस समय केवल 105 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

Modernisation of Warehouses at Ports

5183-B. **Shri Maharaj Bharati** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of warehouses, together with their capacity, at the ports which would be modernised upto 1970-71 under the scheme of modernisation of warehouses at ports ; and

(b) the nature of commodities for which the warehouses have been accorded priority for modernisation in view of the import and export trade ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The position in respect of the various ports is as follows :—

Calcutta Port

There are 39 warehouses with a storage space of about 51 lakhs sq. ft. to cater to the requirements of various items of import and export cargo. Of these, the tea warehouse at Libyan Depot with a storage space of about 5.78 lakh sq. ft. is already a modern structure and in a limited way, other warehouses meant for storage of tea are—modern ones. There is no proposal for further modernisation of the existing warehouses or for building new warehouses.

Bombay Port

There are ten warehouses with a total floor area of 73,192 sq. metres and storage capacity of 29,214 tonnes. One of these warehouses (No. 5 warehouse at Prince's Dock) with a floor area of 1600 square metres and capacity of 711 tonnes is proposed to be demolished and rebuilt on modern lines at a cost of Rs. 12.00 lakhs and after modernisation, the warehouse will have a floor area of 17,280 square metres and storage capacity of 12,644 tonnes. Another new warehouse at Frere Basin with a floor area of 20,371 square metres and storage capacity of 14,674 tonnes is proposed to be constructed at a cost of Rs. 19.0 lakhs. The proposed new warehouses are meant for non-hazardous goods in general and there is no **inter se** priority for different commodities in regard to the provision of warehousing facilities. Some accommodation will, however, be earmarked for export traffic depending on the volume and pattern of traffic which may develop from time to time.

Madras Port

There are at present fourteen warehouses with a total storage area of 82,342 square metres. There is no programme for modernisation of the existing warehouses. The construction of one additional warehouse with an area of 7,920 square metres at a cost of about Rs. 24 lakhs has been taken up by the Port Trust. It is expected to be completed by January, 1968.

Cochin Port

There are four transit sheds, seven storage sheds, three warehouses and two hazardous sheds with a total area of 4.33 lakh square metres at Mattancherry Wharf and four transit sheds, two warehouses and one hazardous shed with a total area of 2.69 lakhs square metres at Ernakulam Wharf. In the Fourth Plan programme of Cochin Port, there is provision for the construction of two new warehouses at a cost of Rs. 7.7 lakhs. The work is in progress and is expected to be completed during 1968-69. There is no programme for modernisation of the existing warehouses.

Visakhapatnam Port

There are two warehouses, each with a capacity to accommodate 10,000 tonnes of cargo, which are used for storage of export general cargo pending shipment. There is no scheme for modernisation of these warehouses. Two new warehouses costing about Rs. 41 lakhs with a storage capacity of 12,000 tonnes are proposed to be constructed during the Fourth Plan. These new warehouses will be used for storage of both export cargo awaiting shipment such as rice bran, myrabollans, oil cake, crush bones, tobacco etc. and also as overflow sheds for removal of import cargo pending clearance primarily foodgrains and fertilisers.

Kandla Port

There are four double-storeyed warehouses with a storage capacity of 60,000 tonnes for bagged general cargo, one warehouse with a capacity of 48 tonnes for calcium carbide and one warehouse with a capacity of 320 tonnes for hazardous goods. There is no proposal for modernisation of the existing warehouses or for building new warhouses.

Mormugao Port

There are four transit sheds and seven warehouses with a storage capacity of 8,000 tonnes and 16,750 tonnes respectively. Five of these which have a total storage capacity of 3,750 tonnes are proposed to be modernised during the Fourth Plan period at a cost of about Rs. 16 lakhs which will result in enhancing their capacity to 6,750 tonnes. These warehouses, after

modernisation, will cater to commodities such as fertilisers, foodgrains, oil cake and general cargo.

Paradip Port

There are at present two transit sheds at the port meant for storage of foodgrains, each with a floor area of 15,000 square feet. There is no programme for constructing the new warehouses or modernising the existing transit sheds.

असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए सेना बुलाना

5183-ग. **श्री रवि राय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों और राजनैतिक प्रदर्शनों संबंधी हड़तालों तथा आम हड़तालों को दबाने के लिये असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिये कितनी बार सेना को बुलाया गया और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : एक **विवरण** जिसमें वर्ष 1965, 1966 तथा वर्ष 1967 के दौरान कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए असैनिक अधिकारियों की सहायता हेतु सैनिक सहायता दिये जाने का ब्योरा उल्लिखित है, सभा-सटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2107/67]**

इन्जीनियर

5183-घ **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकारी विभागों में इन्जीनियरों को प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन काम करना पड़ता है और उन्हें अधिक उत्तरदायित्वों को निबाहना पड़ता है जबकि उन्हें गैर-तकनीकी कर्मचारियों के बराबर ही वेतन मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार के अधीन इंजीनियरी विभागों के अध्यक्ष सामान्यतः इंजीनियर ही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जी० आर० पी० की सियालदाह स्थित हवालात में मृत्यु

5183-ङ. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक युवक की जिसका नाम तरुण बनर्जी था, जी० आर० पी०, सियालदाह, की हवालात में मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). 28 नवम्बर, 1967 को श्री तरुण बनर्जी को सियालदाह रेलवे पुलिस स्टेशन में जब लाया गया था तो उसने शराब पी हुई थी। वह अपना नाम और पता बताने में असमर्थ था। उसे पुलिस की हवालात में रखा गया था और 29-11-67 को प्रात: यह पता चला था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और बेहोशी की अवस्था में उसे सरकारी हस्पताल में ले जाया गया था उसकी जेब में से मिले पोस्टकार्ड से उसकी पहचान हुई थी। 30-11 67 को हस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। पश्चिम बंगाल की सरकार इस मामले की जांच करवा रही है।

सेन्ट्रल इण्डियन मेडीसिनल प्लान्ट्स आर्गेनाइजेशन के बारे में समिति

5183-च. **श्री मयाबन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल इण्डियन मेडीसिनल प्लान्ट्स आर्गेनाइजेशन के क्षेत्र और कार्यों के पुनरीक्षण के लिए सरकार द्वारा स्थापित समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उनके प्रति विशेष रूप से घरेलू खपत और निर्यात के लिये औषध और संगध पौधे तैयार करने के लिये फार्म चलाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र निगम की स्थापना के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क). सेन्ट्रल इंडियन मेडीसिनल प्लान्ट्स आर्गेनाइजेशन के क्षेत्र और कार्यों के पुनरीक्षण के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा एक समिति बनाई थी और उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(ख) समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण-पत्र में दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**- 2108/67]

(ग) यह परीक्षणाधीन है।

डा० धर्म तेजा

5183-छ. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पहले भारतीय समाचार-पत्रों में छपा यह समाचार सही है कि डा० धर्म तेजा ने लाखों रुपयों के गोलमाल के बारे में भारत सरकार के विरुद्ध तथाकथित प्रत्यारोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के विरुद्ध लगाये गये डा० धर्म तेजा के तथाकथित प्रत्यारोपों का ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार डा० तेजा ने झूठा अभियोग लगाया है कि सरकार ने वगैर हरजाने के जयन्ती शिपिंग कंपनी का स्वत्वहरण किया है। तथ्य यह है कि जयन्ती शिपिंग कंपनी एक्ट, 1966 (प्रबंध को हाथ में लेना) के अधीन 5 वर्षों के लिये सरकार ने कंपनी का प्रबंध हाथ में ले लिया है।

नौकार्य संस्थान (अपलाट इस्टेब्लिशमेंट), अन्दमान द्वीपसमूह

5183-**ज. श्री गणेश** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकार्य संस्थान, अन्दमान द्वीपसमूह के कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) उनकी मांगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों ने यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को रियायतें, यूनीफार्म की सप्लाई, कुछ श्रेणियों के वेतनमान का परिशोधन इत्यादि के संबंध में उनके तुरन्त तय किये जाने की मांग की थी।

(ग) सरकार, मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक में समस्त मांगों पर विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आगे कार्यवाही की जा रही है।

अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र

5183-**झ. श्री गु० च० नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार उन अनुसूचित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें मुख्यतया अनुसूचित आदिम जातियों के लोग रहते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : संविधान की पांचवी अनुसूची के पैराग्राफ 6 के उपबन्धों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा की जाती है। वर्ष 1950 के राष्ट्रपति के आदेशों तथा उसके बाद के आदेशों के अधीन इस प्रकार घोषित किये गये अनुसूचित क्षेत्रों की एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2109/67] इन क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्रों में अनुसूचित आदिम जातियों के लोग रहते हैं—इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

डमडम पर दुर्घटना के कारण इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के तीन विमानों को पहुँची क्षति

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I call the attention of the Minister of Tourism and Civil Aviation to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement in regard thereto :

"Damage caused to three I. A. C. aircraft due to accident at Dum Dum Airport"

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं सदन को खेदपूर्वक सूचित करता हूं कि 17 दिसम्बर, 1967 को प्रातः लगभग 1.20 बजे स्काईमास्टर वायुयान वी० टी०-सी० जेड० डब्ल्यू० जब एक एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजीनियर उसे टैक्सी की तरह चला रहा था, वाइ-काउंट वायुयान वी० टी०-डी० ओ० ई० तथा एक दूसरे स्काईमास्टर वी० टी०-डी० ए० डब्ल्यू० से जो दमदम हवाई अड्डे के दक्षिणी प्रांगण (एप्रन) में दूसरी और तीसरी कक्षिकाओं (बे) में प्रातःकालीन सेवाओं के परिचालन के लिये खड़े थे, टकरा गया। इसके परिणामस्वरूप खड़े हुए वाइकाउंट तथा टैक्सी की तरह चलाये जा रहे स्काईमास्टर को काफी क्षति पहुंची। दूसरे स्काई-मास्टर को मामूली क्षति पहुंची। विमान को दाहिना मुख्य पहिया बदलने के बाद ब्रेकों की परीक्षा के लिये हैंगर से बाहर ले जाया जा रहा था। एयरक्राफ्ट मेंटिनैंस इंजीनियर के लिये 'टैक्सी टैस्ट' द्वारा वायुयान की जांच करके उसे प्रमाणित करना आवश्यक था, और इस क्रिया में वायुयान काबू से बाहर हो गया प्रतीत होता है।

2. अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार खड़े हुए स्काईमास्टर को केवल मामूली सी क्षति पहुंची और वह आवश्यक मरम्मत के बाद पहले ही काम में लिया जाने लगा है। वाइकाउंट की हालत में, उसके बाहरी पक्ष (विंग), जिसमें पक्ष का अगला सिरा तथा सह पक्ष (एलिरॉन) सम्मिलित हैं, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है तथा उसे पूर्णरूप से बदलने की आवश्यकता है। इस वायुयान को कार्योपयोगी बनाने के लिये मोटेतौर से अंदाजन लगभग 3 लाख रुपये का खर्च आयेगा।

स्काईमास्टर की हालत में जोकि टैक्सी की तरह चलाया जा रहा था, उसके दायें पक्ष के अगले सिरे को क्षति पहुंची है और सामने के पहिये (नौज व्हील) का दरवाजा और अगला फ्यूजीलेज बुरी तरह पिचक गया है। मरम्मत की लागत 10,000.00 रुपये के करीब आने की संभावना है। इस वायुयान को परिचालनों के उपयोगी बनाने के लिये इसकी मरम्मत पर लगभग चार सप्ताह लगेंगे। सभी तीनों वायुयानों का कारपोरेशन की 'स्यल्फ-इन्श्योरेंस स्कीम' के अन्तर्गत बीमा हुआ है।

3. ऐसी दुर्घटनाओं के मामलों में लागू होने वाली क्रिया-विधि के अनुसार एक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन जांच बोर्ड, जिसमें कलकत्ता के प्रवर अधिकारी अर्थात् आपरेशन्ज मैनेजर,

चीफ इंजीनियर और चीफ आफ इन्सपेक्शन हैं, क्षति के कारण तथा पूरे स्वरूप का पता लगाने के लिये विस्तृत जांच कर रहा है। कलकत्ते में नागर विमानन के महानिदेशक के प्रवर विमान सुरक्षा अधिकारी जांच कार्य से सम्बद्ध रहेंगे।

Shri Kameshwar Singh: The Hon'ble Minister has said that senior officers and Engineers would carry investigations to ascertain the cause of damage. I want to know whether some officers from some other divisions or from the Ministry would also be included in the Enquiry committee as local officers, I fear would favour the persons who are responsible for this accident.

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): I feel that these officers are pretty senior officers and they will not favour any body. The investigations are being carried out by the officers of I. A. C. as well as D. G. C. A., who are quite independent. I am sure, there will be no such favour.

अध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों के मन में यह संदेह है कि क्या यह दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई है ?

डा० कर्णसिंह : इस दुर्घटना की जांच अभी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि विमान चलाते समय एक पिन नहीं लगाया गया जिसका स्टियरिंग पर नियन्त्रण होता है। परन्तु अभी सही कारण बताना कठिन है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2087/67**]

वर्ष 1966-67 के लिये नाविक भविष्य निधि योजना सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में वर्ष 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2088/67**]

अगस्त से अक्तूबर, 1967 तक की अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को राजनयिक पारपत्र (पासपोर्ट) दिये गये थे उनके नामों की एक सूची।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से अगस्त से अक्तूबर 1967 तक

की अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को राजनयिक पारपत्र (पासपोर्ट) दिये गये थे, उनके नामों की एक सूची सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2089/67]**

भारतीय प्रशासन सेवा विनियम 1967 भारतीय पुलिस सेवा (14 संशोधन) विनियम में कतिपय संशोधन करने वाले नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951, की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) 16वां संशोधन विनियम, 1967, जो दिनांक 15 नवम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में अधि· सूचना संख्या जी० एस० आर० 1738 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) 14वां संशोधन विनियम, 1967, जो दिनांक 15 नवम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 1739 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिनांक 9 दिसम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी०एस०आर० 1786, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदालि की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955, की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) दिनांक 9 दिसम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी०एस०आर० 1787, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदालि की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955, की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) दिनांक 9 दिसम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी०एस०आर० 1788, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954, की अनुसूची iii में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2090/67]

दिल्ली मोटर गाड़ी (पांचवा संशोधन) नियम

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : I place a copy of the Delhi Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. F3(39)/66-67- Transport in Delhi Gazette dated the 19th October, 1967, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. On Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T.-2091-67]**

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सभा को सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 15 दिसम्बर, 1967 की बैठक में दीवान चमन लाल, संसद् सदस्य, का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 19 दिसम्बर, 1967 की बैठक में हरियाना राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1967 पास कर दिया है।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दीवान चमन लाल, संसद् सदस्य, का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967

(2) हरियाना राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1967

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अठारहवां प्रतिवेदन

Shri Ramavtar Shastri (Patna): I present Eighteenth Report of committee on Private Member's Bills and Resolutions.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

पांचवां प्रतिवेदन

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I present the Fifth Report of the Committee on Public Undertakings on contract entered into by the State Trading Corporation of India with M/s. Oval Industries, New York for import of sulphur.

निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : 4 दिसम्बर, 1967 को 'नोवोस्ती' और प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के बीच हुए इकरार के बारे में एक ध्यान आकर्षण सूचना के संबंध में सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि "हमने पूछताछ की है। यह एजेंसी उत्तरदायी नही है....." यह वक्तव्य ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में 13-8-67 के 'हिन्दू' और 1-12-1967 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचारों से सिद्ध होता है कि 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' रेडियो स्टेशन ए० पी० एन० समाचार एजेन्सी द्वारा 1964 में स्थापित किया गया था इस तथ्य का समर्थन रेडियो मास्को पर स्वेडिश और जर्मन में समय-समय पर की गई घोषणाओं में भी किया है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि ए० पी० एन० के साथ हुए करार के अन्तर्गत हम उनकी सामग्री बांटने के लिये बाध्य नहीं हैं। यह वक्तव्य भी ठीक नहीं है। वर्तमान करार के अधीन प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो को नोवोस्ती सामग्री पत्रिकाओं अथवा समाचारपत्रों द्वारा मांगे जाने पर प्रकाशन के लिये भी उपलब्ध करनी होगी। इसलिये मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि वह सभा को सही स्थिति से अवगत करवायें।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : माननीय सदस्य ने विभिन्न तारीखों को जो वक्तव्य दिये हैं, उनमें पर्याप्त विषमता है। माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्यों में यह कहीं नहीं बताया कि स्वीडिश और जर्मन में दिये गये वक्तव्य किसने प्राप्त किये और वे वक्तव्य हमारे पास किस प्रकार और किस तरह आये। सरकार ने इस मामले की जांच की है जिससे यह पता चला है कि 13-8-1967 के 'हिन्दू' में प्रकाशित वक्तव्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। यदि 1-12-67 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार को पूर्णरूप से पढ़ा जाये तो इससे भारत सरकार की इस बात का समर्थन होता है कि भारत सरकार ने रूस की सरकार के इस बहाने को स्वीकार नहीं किया है कि रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस तथाकथित संगठनों द्वारा आरम्भ किया गया था। माननीय सदस्य के कथन से सरकार के इस तर्क की पुष्टि होती है कि 'नोवोस्ती' के लिये रूस की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये और इससे इस बात का खण्डन नहीं होता कि हम 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' रेडियो के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। यदि करार के शब्दों पर ध्यान दिया जाये तो पता चलेगा कि प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो वितरण के लिये उत्तरदायी नहीं है जबकि 'ए०पी०एन०' इसके लिये जिम्मेदार है। इस करार से अन्य देशों की अपेक्षा 'नोवोस्ती' को कोई अधिक लाभ नहीं हो रहा है। जो सामग्री अन्य देशों से उपलब्ध होती है उसे दूसरों की जानकारी के लिये भी रखा जाता है। रूस के दूतावास के एक प्रकाशन से पता चलता है कि 'नोवोस्ती' ने अमरीका के वाशिंगटन पोस्ट, 'न्यूयार्क टाइम्स' और ब्रिटेन के 'फाइनेंशियल टाइम्स' जैसे पत्रों के साथ गहरा सम्पर्क स्थापित कर लिया है जिन्होंने 'दी हिन्दू' में दिये गये सुझाव को अस्वीकृत किया है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं अपने वक्तव्य में कोई संशोधन नहीं कर सकता अथवा गलती नहीं मान सकता। वक्तव्य देते हुए मैंने यह कहा था कि रूस में जो कुछ होता है, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि

रूस उसके लिये उत्तरदायी नहीं है ? यही सही स्थिति है। रूस में जो राजनीतिक प्रणाली चल रही है उसके अनुसार रूस की भूमि पर जो घटना होती है उसके लिये रूस की सरकार उत्तरदायी है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य के विचार सही नहीं हैं।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक—जारी

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL—Contd.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मै संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं संशोधन संख्या 93 से 95 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) मैं संशोधन संख्या 167 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : In clause 5 of the Bill there is a provision of setting up a one man tribunal. My amendment is that there should be three men in Tribunal to be set up. As Hon'ble Minister has himself said that this is not a normal law, it is a drastic step.

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : Drastic is also normal.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Kanwar Lal Gupta: This is drastic as well as dangerous law as it would affect the fundamental rights enshrined in the constitution adversely. The association which is declared unlawful should be given opportunity to secure justice. The act of declaring an association illegal is very serious and extreme step and I feel, therefore, that there should be more than one Judge in the Tribunal set up for this purpose. Many times judges have different opinions on very important matters. If there is only one judge in the tribunal people may have feeling of injustice. In order to allay these fears the tribunal should consist of three judges. In so far as the question of non-availability of high court judges is concerned, I am to state that such a serious matter would arise only once in blue moon and therefore request that this amendment may be accepted.

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : मंत्री महोदय कहते हैं कि एक ही न्यायाधीश पर्याप्त है परन्तु हमारे विचार में एक न्यायाधीश पर्याप्त नहीं है। इस प्रश्न को कि किसी राजनीतिक दल विशेष का अस्तित्व आवश्यक है या नहीं है, किसी एक न्यायाधीश को सौंपने के स्थान पर तीन न्यायाधीशों को सौंपना अधिक अच्छा होगा ताकि बहुसंख्यक निर्णय प्राप्त किया जा सके। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार को नहीं करनी चाहिए बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिये जिससे उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार का पक्षपात न हो।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे विचार में इस न्यायाधिकरण में तीन न्यायाधीश होने चाहिये जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये और शेष दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिये। इस प्रकार के गम्भीर मामले के सम्बन्ध में निर्णय देने के लिये एक न्यायाधीश पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार में उस राजनीतिक दल विशेष के साथ न्याय नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने उत्तर में इस बात को अस्वीकार नहीं किया था, परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में वित्तीय समस्या को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उपलब्धता के प्रश्न का उल्लेख किया था। इस विधेयक को क्रियान्वित करने के लिये खर्च तो होगा। इसलिये ये तर्क न्यायसंगत नहीं हैं।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : न्यायाधिकरण सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करेगा और इस बात का निर्णय करेगा कि किसी दल विशेष को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त आधार हैं या नहीं हैं। न्यायाधिकरण का यही काम होगा। फिर इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये एक ही व्यक्ति की राय को अन्तिम क्यों माना जाये ? न्यायाधीशों का परस्पर मतभेद भी हो सकता है। इसलिये यदि एक न्यायाधीश के स्थान पर न्यायाधिकरण में तीन न्यायाधीश रखे जायें तो मामले की जांच अधिक संतुलित ढंग से हो सकेगी।

गृह मंत्री को इतना अनुचित रवैया नहीं अपनाना चाहिये। चुनाव के मामलों में भी न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। परन्तु इस मामले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये जब तक इस मामले में अपील की व्यवस्था नहीं हो तो अन्तिम निर्णय केवल एक ही व्यक्ति का होगा। इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिये कम से कम तीन न्यायाधीश होने चाहिये और अन्त में बहुसंख्यक निर्णय स्वीकार किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं गृह-मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस सारे मामले पर फिर से विचार करें।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं श्री राममूर्ति के तर्क से सहमत हूं कि जब किसी दल या संस्था के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रश्न केवल न्यायाधिकरण के स्वविवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इसमें तीन न्यायाधीश होने चाहिये। जैसाकि मूल विधेयक में उल्लिखित है। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिलने कठिन हैं तो इस न्यायाधिकरण में दो जिला और सेशन न्यायाधीश होने चाहिये और उनका अध्यक्ष उच्च न्यायालय में कार्य करने वाला जज नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के मामले का निर्णय करने के लिये कम से कम तीन व्यक्ति होना चाहिये।

मैं श्री राममूर्ति के संशोधन का समर्थन करता हूं।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : I have demanded a panel of three judges with a judge from Supreme Court as Chairman of the tribunal **vide** my amendment No. 50. It has observed by the Law Commission in their Report that even High Court judges are appointed on consideration other than merit. There I did not think it proper to leave the fate of an

association to a single judge of High Court. There is provision of right of appeal in our judicial system. When we allow appeal in ordinary cases then why there should be no provision for such an appeal in serious cases wherein fate of an associations is to be decided ? If three judges are appointed, party concerned would be confident of justice being done. Moreover such a case would occur only once or twice in many years. So there should not be any difficulty in the appointment of three judges.

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : माननीय गृह-मंत्री का कहना यह है कि न्यायाधिकरण के लिये एक न्यायाधीश पर्याप्त है । मेरा सुझाव यह है कि एक के स्थान पर तीन व्यक्ति होने चाहिये और उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर होनी चाहिये । किसी राजनीतिक संस्था को विधिविरुद्ध घोषित करने का काम एक गम्भीर मामला है । यदि तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई तो विरोधी पक्ष को यह विश्वास हो जायेगा कि उनके साथ न्याय किया जायेगा ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं गृह-मंत्री से अपील करता हूं कि सभी विरोधी दल इस बात पर सहमत है कि न्यायाधिकरण में एक न्यायाधीश नियुक्त करने के स्थान पर तीन न्यायाधीश नियुक्त किये जायें । यह बहुत ही उचित मांग है और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

जिस राज्य में उस संस्था का मुख्यालय हो जिसे विधिविरुद्ध घोषित किया जाना है, उस राज्य से न्यायाधिकरण के दो सदस्य नियुक्त किये जाने चाहिये । ऐसा करने से इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार के सहयोग में वृद्धि होगी । यदि माननीय गृह-मंत्री सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो व्यक्तियों को न्यायाधिकरण में सम्मिलित की बात से सहमत न हों तो उन्हें कम से कम एक के स्थान पर तीन न्यायाधीश नियुक्त करने की बात तो अवश्य स्वीकार करनी चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरे विचार में शासक दल अथवा सरकार का यह कर्तव्य है कि वे विरोधी पक्ष की शंकाओं को दूर करें । जब सभी दल ये चाहते हैं कि न्यायाधिकरण में तीन न्यायाधीश नियुक्त किये जाने चाहिये तो सरकार को इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

कुछ लोग यह चाहते हैं कि न्याय कम से कम समय में किया जाना चाहिये । परन्तु मेरे विचार में जब यह मामला किसी संस्था को विधिविरुद्ध घोषित करना हो, और जो मामला देश के किसी भाग के अभ्यर्पण का हो या अलग करने का हो तो ऐसी अवस्था में संक्षिप्त न्याय पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना बल्कि न्यायाधीशों को अच्छी प्रकार सूझबूझ से सही निर्णय देना चाहिये जिससे समुचित न्याय हो सके ।

जहां तक न्यायाधिकरण नियुक्त किये जाने का सम्बन्ध है, यह काम गृह मंत्रालय का होना चाहिये कि वे न्यायाधिकरण के सदस्यों को नियुक्त करें । यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय को

सौंपने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश अवश्य होने चाहिये। हमारे न्यायाधीश बिल्कुल पक्षपात रहित हैं और उनकी अच्छी नियत पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिये।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय किये जाने की कुछ समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में तीन मास का समय निर्धारित कर देना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं माननीय सदस्यों के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता। मूल विधेयक में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था थी। इस सम्बन्ध में जब संयुक्त समिति पर विचार किया गया था तो मुझे बताया गया था कि न्यायाधिकरण में एक व्यक्ति रहना अधिक अच्छा है (**अन्तर्बाधायें**)। मैं इस बात पर सहमत हूं कि न्यायाधिकरण की समस्त कार्यवाही 6 मास में पूरी हो जानी चाहिये। परन्तु इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये तो एक न्यायाधीश ठीक रहेगा क्योंकि एक न्यायाधीश शीघ्र ही मामले का निपटान कर सकेगा। यह कहना उचित नहीं है कि जब तीन न्यायाधीश न्यायाधिकरण में होंगे तो अधिक न्याय होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत किया था उस पर अवश्य विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 48 मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 59 — विपक्ष में 133
Ayes 59 — Noes 133

संशोधन अस्वीकृत हुआ
The amendment was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

श्री नम्बियार : हम इस पर मतविभाजन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 133 — विपक्ष में 61
Ayes 133 — Noes 61

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्ड 6 पर मध्याह्न भोजन के पश्चात् विचार करेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर दस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten Minutes Past Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर दस मिनट म० प० पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after Lunch at Ten Minutes Past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक—जारी
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL—Contd.

खण्ड 6—(अधिसूचना के चालू रहने की कालावधि तथा रद्द किया जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ संशोधन हैं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 52 और 96 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन और खंड अब सभा के समक्ष हैं ।

Shri George Fernandes : It has been provided in the Bill that the Notification will remain in operation for a period of 2 years. We want that this period should be reduced to one year. There are several sections in the Bill under which provision of awarding sentence to concerned people has been made. If this notification remains in force for 2 years then other people may have to face sufficient difficulties. The money and other things of the association which is likely to be declared unlawful, will remain in custody of the Government. I am therefore of the opinion that the period of operation of this notification should be reduced from two years to one year.

श्री नम्बियार : मैं इस सम्बन्ध में श्री जार्ज फरनेन्डीज से सहमत हूँ। किसी संस्था को विधिविरुद्ध घोषित का प्रयोजन तो यही है कि वह संस्था कोई ऐसा कार्य न करे जिससे राष्ट्र को क्षति पहुँचे। एक बार जब अधिसूचना जारी हो जायेगी और न्यायाधिकरण उसकी पुष्टि कर देगा तो उस समय तक 6 मास बीत जायेंगे। उस समय तक सम्बन्धित संस्था के क्रियाकलाप लगभग ठप्प हो जायेंगे और यदि कोई बात रह जाये तो उसके लिये 6 मास की और अवधि रखी जा सकती है। यदि एक साल से अधिक समय तक अधिसूचना लागू रही तो बहुत से अनजान व्यक्तियों को परेशानी होगी। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस सम्बन्ध में एक वर्ष की अवधि निश्चित की जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में सभा की अनुमति लेनी चाहिए। किसी संस्था को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिये जारी की जाने वाली घोषणा की अनुमति सभा से ली जानी चाहिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं अधिसूचना को लागू रखने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना चाहता था। परन्तु इस सम्बन्ध में जब संयुक्त प्रवर समिति में विचार किया गया तो विरोधी पक्ष के सदस्यों का विचार था कि एक वर्ष का समय और न बढ़ाया जाये। इसलिये मैंने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अब यह कालावधि 2 वर्ष रह गई है।

यदि हम किसी संस्था को विधिविरुद्ध घोषित करना चाहेंगे तो यह कार्यवाही तभी होगी जब कोई असाधारण स्थिति पैदा हो जायेगी। फिर दो वर्ष का समय अधिकतम है, न्यूनतम नहीं। इस कालावधि को पहले भी समाप्त किया जा सकता है। अतः इसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री नम्बियार : मैं जानता हूँ कि क्या आप यह पुनः करेंगे क्योंकि निरोध निवारक अधिनियम के अन्तर्गत दो साल फिर से बढ़ा दिये जाते हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि सरकार ने आवश्यक समझा तो उन्हें न्यायाधिकार नियुक्ति करना होगा और यदि वह इसकी पुष्टि करे तो इसे दो वर्षों के लिये अवधि बढ़ायी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 9, 52 और 96 मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9, 52 और 96 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने'

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 113; **विपक्ष में** 61

Ayes 113; Noes 61

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 10, 11, 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 53, 54 तथा 55 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प० राममूर्ति : मैं संशोधन संख्या 99 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 129, 137, 148 पहले प्रस्तुत किये गये संशोधनों की तरह ही हैं।

Shri George Fernandes : Sir, I request that the Hon. Home Minister should be present here, when this important Bill is being discussed in the House.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार देसाई) : यदि आवश्यक हुआ तो मैं उत्तर दूंगा।

Shri George Fernandes : Sir, I feel that the officers, who will implement this Act, have been vested with enormous powers. These powers will be misused by them. This is most improper. Now the officers will get money and take undue advantage of the money that will be collected from those who are suspected.

Now Government wants to have the right to put restrictions on the funds of association. This is also unconstitutional. This clause will have implications of far reaching importance. It is very essential that this Bill should have no provision which leaves any scope for corruption. The aim of my amendments is the same. I would request the Hon. House to agree to my amendments.

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने संशोधन संख्या 147 और 148 प्रस्तुत किये हैं। मैं श्री फरनेन्डीज के संशोधनों का भी समर्थन करता हूं। श्रीमान् जी हमें मालूम है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त ने जनता के धन से कैसे खिलवाड़ किया था। यह धन चीन के आक्रमण के समय राष्ट्रीय रक्षाकोष के लिये जमा किया गया था। रजिस्टर्ड यूनियन अपने कुछ धन एकत्र करके रखती है। मैं चाहता हूं कि उस निधि को बनाये रखने की आज्ञा होनी चाहिए। उन निधियों को रखने तथा उनकी लेखा परीक्षा आदि की व्यवस्था पहले हुई है। फिर मजदूर संघों का मुख्य कार्यालय एक स्थान पर है परन्तु उनकी शाखाएं विभिन्न स्थानों पर होती हैं। तो इस स्थिति में पत्र-व्यवहार आदि क्या सभी सम्बंधित स्थानों पर किया जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मैं महसूस करता हूं कि संसदीय कार्य में रुकावट डालने की प्रवृत्तियां फैलती जा रही हैं। यह खण्ड तो पिछले खण्डों के अधार पर ही है। जब एक बात

स्वीकार कर ली गई हो कि अमुक संगठन गैर-कानूनी कार्यवाहियों में संलग्न है तो उसके नाम की धनराशियों को जब्त करना स्वाभाविक ही है। बल्कि उसके द्वारा भविष्य में भी धन एकत्र करने पर पाबन्दी लगायी जानी भी स्वाभाविक ही है। इसीलिये खण्ड को रखा गया है। मेरे विचार में तो इस खण्ड के संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। अतः मैं इनका विरोध करता हूं। इस पर संयुक्त समिति ने बहुत अच्छी तरह विचार कर लिया है।

श्री नम्बियार : मैं श्री चटर्जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। खण्ड 7 बहुत लम्बा है। और इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। और यह बहुत खतरनाक है। इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। इसमें बहुत गलत उपबन्ध किये जा रहे हैं। उन्हीं के सम्बन्ध में मैंने अपना संशोधन रखा है।

खण्ड के दूसरे भाग के अनुसार पुलिस को तलाशी लेने का अधिकार दिया जा रहा है। और धन अपने कब्जे में कर सकती है। फिर एक राजपत्रित अधिकारी को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। यह एक ऐसा उपबन्ध है जिसका उदाहरण आपको किसी कानून में नहीं मिलेगा। अतः इसे बदला जाना चाहिए। यह ठीक है कि आप किसी संस्था या व्यक्ति की गतिविधियों को गैर-कानूनी घोषित कर सकते हैं। परन्तु इसके बारे में कोई प्रक्रिया होनी चाहिये। अब एक वारंट के बगैर ही एक अधिकारी जाकर तलाशी आदि ले सकेगा। मेरा अनुरोध है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ताकि इस खण्ड की त्रुटियों को दूर किया जा सके।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरे विचार में खण्ड 7 किसी प्रकार भी हानिकारक या खतरनाक नहीं है। यदि खण्ड 7 की उपधारा 4 को पढ़ें तो पता चलेगा कि यह खण्ड न्यायोचित है। इसमें जिला मेजिस्ट्रेटों को अधिकार दिये जा रहे हैं। वे लोग बहुत अधिक समझदार तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे तभी आदेश देंगे जब उनके विचार में आवश्यक होगा। इस उपबन्ध पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : क्या सरकार एक संस्था के बारे में आदेश देने से पूर्व यह जांच करेगी कि क्या अमुक व्यक्ति ने वास्तव में ही ऐसा कोई काम किया है ? व्यक्ति को पहले अवसर दिया जाना चाहिए कि अपना पक्ष स्पष्ट कर सके।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: यदि आप खण्ड 4 को देखें तो पता चलेगा कि जिला मेजिस्ट्रेट के समक्ष सब तथ्य रखे जा सकते हैं और एक प्रकार की अपील हो सकती है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम: इस प्रकार हम यही समझें कि गृह-कार्य मंत्री जी का आश्वासन है कि सरकार पहले जांच कर लेगी। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के धन को गैर-कानूनी प्रयोजनों में प्रयोग रोकने के लिये पूरी जांच करे।

श्री रणधीर सिंह : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य इस खण्ड पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं। जिला मेजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जा रहा है कि वह सुनवाई कर सकता है। यह

सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के समान ही है। इसमें किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश नहीं है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब यह पता चलेगा कि किसी धनराशि का गैर-कानूनी कामों के लिये प्रयोग हो रहा है तो उस बारे में जांच की जायेगी। परन्तु ऐसा करने से पूर्व निषेधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे। नहीं तो जांच से पहले ही वह धन व्यय कर दिया जायेगा। इसलिये मैं श्री जार्ज फरनेन्डीज का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

नोटिस जारी करने की बात पहले खण्ड पर चर्चा के समय भी उठायी गयी थी। यह तरीका ही सबसे अधिक प्रचलित है और हम ऐसा ही कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सभा के समक्ष रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 से 13, 53 से 55 और 99 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने'

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 131 : विपक्ष में 50

Ayes 131 ; Noes 50

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अपने संशोधन संख्या 14, 15, 16, 17, 18 तथा 19 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० राममूर्ति : मैं संशोधन संख्या 100 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 101 प्रस्तुत करता हूं।

Shri George Fernandes: Now they want to prohibit the use of articles belonging to such associations as have been unlawful. I want to say in this connection that some times many unions have common office and they have articles of daily use. This will put all the organisations and unions to inconvenience, even though some of them are not declared as unlawful. I would request the Hon. Minister to delete this provision and not take any step that would add to the difficulties of already ill-equipped offices of unions etc.

Another provision is in regard to entry to the notified place. The District Magistrate can prohibit entry to that place. This will also put inconvenience, because we have offices of unions in residential areas and houses. Apart from that, police has been given the power to detain a person. This power will be misused because they have been vested with vast powers. This would interfere with domestic life of common people for nothing. When provision has been made for search etc., I request that provision regarding detaining should be deleted. My amendments aim at these things. This may please be accepted.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : (क्विलोन) : इस ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधनों का मैं समर्थन करता हूं। और अनुरोध करता हूं कि संशोधन संख्या 101 को स्वीकार कर लिया जाये। मैं चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन के प्रयोग की छोटी-छोटी वस्तुओं को नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

श्री नम्बियार : मैं चाहता हूं कि खण्ड 8 के (6) और (7) उपखण्डों को हटा दिया जाये। अब क्या होगा एक संगठन को अवैध घोषित किया जायेगा। उसके मुख्य कार्यालय वाले भवन को पुलिस के नियंत्रण में ले लिया जायेगा और वहां रहने वाले सभी को पुलिस की आज्ञा से बाहर जाना होगा या अन्दर आना होगा। फिर पुलिस लोगों को अपने पास रोके रख सकेगी। इस प्रकार पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं।

मैं इन उपबन्धों को अनावश्यक समझता हूं। मंत्री को इतना कठोर कानून नहीं बनाना चाहिये। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पंक्ति 24 से 35 तक को हटा दें और इन पंक्तियों को पुनः नम्बर दें। हमें उनको इतने अधिकार नहीं देने चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं माननीय सदस्यों की दलीलें सुनकर बहुत हैरान हुआ हूं। प्रतिपक्ष के सदस्य ने एक बात कही तो दूसरे ने उसका विरोध किया है। यही लोग अब पुलिस को अधिकार नहीं देना चाहते, परन्तु कुछ दिन पहले कहते थे कि पुलिस को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। आज यह परिवर्तन क्यों हुआ है। मैं समझ नहीं पाया। क्या इनके मन में कोई और बात है ? पुलिस वाले भी अपने ही हैं उनको सन्देह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये।

इस खण्ड में ही उपबन्ध कर दिया गया है कि यदि पुलिस वाला दुर्व्यवहार करता है तो आप जिला मेजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकते हैं। जो यूनियन गैर-कानूनी व्यापार कर रही होगी वह रिहायशी स्थानों में अपना कार्यालय नहीं बनायेगी। इसलिये श्री फरनेन्डीज का सन्देह निराधार है।

इस विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले के भारत के कानूनों में न हो। अतः शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की एकता को हानि पहुंचाने वालों के विरुद्ध तो कार्यवाही होनी ही चाहिये। हां, कानून के अन्दर रहते हुये आप आन्दोलन कर सकते हैं। अतः यह खण्ड ऐसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : बहुत से माननीय सदस्यों ने आपत्तियां इस कारण उठाई हैं क्योंकि ऐसा मालूम होता है वे इस विधेयक से ही सहमत नहीं हैं। जब हम मान लें कि गैर-कानूनी संस्थाओं पर पाबन्दी लगनी चाहिये तो हमें इन प्रतिबन्धों के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारा ऐसा कतई विचार नहीं कि निर्दोष यूनियनों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े। हां जब एक यूनियन या संस्था या व्यक्ति के बारे में यह विश्वास हो जाता है कि वह विधिविरुद्ध कामों में लगा है उसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाना ही पड़ेगा। इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तलाशी के लिये किसी को बन्दी बनाकर नहीं रखा जायेगा। उसे केवल रोका जायेगा। स्त्रियों की तलाशी खुले स्थानों पर नहीं होगी और उनकी तलाशी महिला अधिकारी लेंगे।

श्री लकप्पा : किसी को रोके रखना भी दोष माना जाता है।

कुछ सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया कि उपखंड (6) और (7) को छोड़ दिया जाये। परन्तु यदि ये उपखंड हटा दिये जायेंगे तो अधिनियम का प्रभाव ही समाप्त हो जायेगा। यह मैं मानता हूं कि यह एक कठोर नियम है परन्तु विषम परिस्थिति के लिये।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 14 से 19 तक सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 100 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 101 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9 (इस अधिनियम के अधीन आवेदनों को निपटाने की प्रक्रिया)

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं। मेरा अनुरोध है कि जो संगठन अवैध घोषित किया जाये उसकी अपील पर कम से कम तीन जज विचार करें, केवल एक नहीं। इस प्रकार अपील सम्बन्धी जो सुविधायें अन्य अपराधियों को प्राप्त होती हैं वे इन्हें भी मिल जायें।

श्री राममूर्ति : (मदुरै) मैं संशोधन संख्या 102 और 103 प्रस्तुत करता हूं। मंत्री महोदय ने यह सुझाव भी स्वीकार नहीं किया है कि तीन जजों का एक न्यायाधिकरण का गठन हो। केवल एक जज ही इस बात का निर्णय करेगा कि अमुक संगठन विधिविरुद्ध है या नहीं। उसका निर्णय गलत भी हो सकता है और भ्रामक भी। सामान्य विधि में भी अपील करने की व्यवस्था होती है। फिर ऐसे कानून में जो किसी संगठन को सदैव के लिये समाप्त करता है, उसमें अपील की व्यवस्था और भी आवश्यक हो जाती है। अतः मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिनसे उच्च न्यायालय में अपील की जा सके। इससे सम्बद्ध संगठन को अपनी सदाशयता स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : संशोधन संख्या 131 और 132 प्रस्तुत करते हुये मुझे यह निवेदन करना है कि यदि सरकार चाहती है कि हमारे देश में राजनैतिक दल उचित रूप से कार्य करें तो जिला जज के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार ऐसे राजनीतिक दल को देना चाहिये जिसे विधिविरुद्ध घोषित किया जाये। अन्यथा यह विधेयक सैनिक कानून का रूप ले लेगा। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार राजनैतिक दलों को दबाने के उद्देश्य से अपील की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रही है।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हमारे देश में और भी कई विशेष न्यायाधिकरण हैं जैसे औद्योगिक न्यायाधिकरण, निर्वाचन न्यायाधिकरण आदि। उनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर प्रस्तुत न्यायाधिकरण में ऐसी क्या विशेषता है जो इसका निर्णय अन्तिम माना जाये। इस न्यायाधिकरण में एक ही जज होगा जो साक्ष्य तथा तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर अपना निर्णय देगा। उसका मूल्यांकन गलत भी हो सकता है। अतः उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गुंजाइश होनी चाहिये। मंत्री महोदय 3 जजों से बने न्यायाधिकरण के सुझाव को अस्वीकार कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक विकल्प रह जाता है। वह यह है कि प्रभावित संगठन को संविधान 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान किया जाये। जनतन्त्र तथा न्याय की यह मांग है कि अपील का लाभ मिलना चाहिये। इस आधार पर मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : किसी भी विधि के द्वारा मौलिक अधिकार नहीं छीना जाना चाहिये। परन्तु अपील के अधिकार की व्यवस्था न होने से प्रस्तुत विधेयक मौलिक अधिकार पर कुठाराघात करता है। यदि सरकार अपील की व्यवस्था कर देती है, तो इससे विधिविरुद्ध गतिविधियों को रोकने के सरकार के मार्ग में कोई बाधा न आयेगी। न्यायालय भी तो उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही यह निर्णय करेगा कि अमुक जज का निर्णय गलत है या ठीक है।

फिर इसको मानने में गृह-कार्य मंत्री को क्या आपत्ति है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अतः मेरा अनुरोध है कि अपील के अधिकार की बात सरकार को मान लेनी चाहिये।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): Our judicial system is such as provides the right of appeal to the party which is not satisfied with the order of the lower courts. If this right is given in civil cases, why should it not be given in these cases of serious nature, where the existence of an organisation is involved? I, therefore, appeal the Home Minister that he should reconsider the matter and a provision of appeal should be made in the Bill.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि गृह मंत्री अपील की व्यवस्था का विरोध क्यों कर रहें हैं। यदि किसी एक व्यक्ति को अपील का अधिकार न देना अनैतिक है, न्याय के विरुद्ध है तो फिर पूरे संगठन को इस अधिकार से वंचित रखना तो और भी अधिक बुरा है। यदि सरकार किसी संगठन को इस आधार पर अवैध घोषित करना चाहती है कि उसकी गतिविधियां राष्ट्र-विरोधी हैं, तो सरकार को ऐसा करने से पहले एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना चाहिये ताकि अवैध घोषित किया जाने वाला संगठन अपने पक्ष को भली भांति प्रस्तुत कर सके। अतः विधेयक में अपील की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : इस खण्ड के बारे में एक गलत धारणा बन गई है। यह ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है। किसी संगठन के बारे में पहले सरकार यह निर्णय लेती है कि अमुक संगठन अवैध है फिर यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जाता है जो दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय देता है। इस प्रकार न्यायाधिकरण भी न्यायालय की भांति ही कार्य करता है। दूसरे, अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय इस बारे में अपील सुन सकता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखपत्तनम्) : यह कहना कि यह न्यायाधिकरण न्यायालय के समान कार्य करेगा, गलत है। सरकार किसी संगठन के बारे में पहले यह निर्णय लेती है कि वह अवैध है और फिर न्यायाधिकरण से उसका अनुमोदन करा लेती है। स्थिति यह है। सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से सब अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। वह किसी संगठन को अवैध घोषित कर सकती है, उसका धन जब्त कर सकती है, उसके सदस्यों को नजरबन्द कर सकती है। फिर यह न्याय के विरुद्ध है कि उनको अपील करने का अधिकार भी न दिया जाये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमारे यहां जो न्याय व्यवस्था है उसके अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जाता है कि वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध कर सके, चाहे उस पर देश-द्रोही होने का ही अभियोग क्यों न लगाया गया है। दूसरे, मजिस्ट्रेट को निरंकुश शक्ति प्रदान करने से उसके न्याय की पवित्रता समाप्त हो जायेगी। इन दोनों दृष्टियों से अपील के अधिकार की बात मान ली जानी चाहिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि यह उपबन्ध न्याय के विरुद्ध है। यदि ऐसा होता तो मैं अपील के अधिकार की बात मान लेता, यदि न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया जायेगा तो विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। देश की असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है, दूसरी और तीसरी अपील का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20, 102, 103 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The Amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 142, विपक्ष में 68

Ayes 142; Noes 68

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 10 - (विधिविरुद्ध संगठन के सदस्यों के लिए दंड)

श्री जार्ज फारनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 21 और 22 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 57, 58 और 59 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं संशोधन संख्या 60 और 76 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो संगठन अवैध घोषित किया जाये उसके सदस्य को सफाई देने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि वह निर्दोष है, तो उसे दंडित न किया जाये और इस धारा के उपबन्ध उस पर लागू न समझे जायें। इससे जो व्यक्ति निर्दोष है या जिसे यह पता नहीं है कि संगठन का कोई अन्य सदस्य राष्ट्र-विरोधी कार्य कर रहे हैं, उसे कोई दंड न मिले। यदि वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध न कर सके तो उसे दंडित किया जाये। इस व्यवस्था से लोग अपने आपको सुरक्षित समझेंगे।

Shri Shri Chand Goel: The purpose of my amendments is that the term of imprisonment should continue for two years or for a period upto which the notification issued under section 3 remains in force. Suppose an organisation is declared unlawful and its members are put behind the bars for two years, but the notification declaring it unlawful is revoked by Government before the expiry of two years. In such a case why its members should continue to be in the jail. They should be released as soon as the organisation is made lawful again.

Shri George Fernandes : I want that the term of the imprisonment should be reduced because there should be difference between a member of the organization and a citizen who occasionally goes to attend the meeting of or gives financial help to that organization. Every member should be given chance to prove himself ignorant of the unlawful activities of the organization. Moreover, Government should take care of the families of those; who were sentenced to imprisonment, during the period of their imprisonment. Amendments to these effects should be accepted by Government.

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 57,58 और 59 प्रस्तुत करता हूं । मेरा निवेदन यह है कि किसी संगठन को अवैध घोषित करते समय जो उसके सदस्य हों, उन सबको दंडित न किया जाये बल्कि उनको दण्डित किया जाये जो उस संगठन के अवैध घोषित किये जाने के बाद भी इसके सदस्य बने रहते हैं । जो व्यक्ति उसकी सदस्यता को तत्काल त्याग देते हैं, उन्हें निर्दोष समझा जाना चाहिये । अवैध गतिविधि का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक है कि कुछ भी कार्य इसके अधीन लाया जा सकता है । इसलिये केवल वे सदस्य दण्ड के भोगी होने चाहिये, जो यह जानते हुए कि अमुक संगठन राष्ट्रविरोधी कार्य या अवैध गतिविधियां कर रहा है, उसका सदस्य बना रहे या उसे सहायता दे । जो उससे पृथक हो जायें वे दण्डित नहीं किये जाने चाहिये । दूसरे कारावास की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 6 महीने करनी चाहिये, ताकि निर्दोष व्यक्तियों को दण्ड कम मिले ।

Shri Randhir Singh: I want that the period of imprisonment provided in the clause should be increased to more than two years, because severe punishment should be given to persons charged with treason. In no case, it should be reduced to less than two years.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं श्री नम्बियार के संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं । परन्तु उन्हें संशोधन इस प्रकार रखना चाहिये : "is and continues to be" (है और रहता है) । जहां तक कारावास की अवधि कम करने की बात है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता । दो वर्ष की अवधि अधिक से अधिक समय है । इससे कम भी हो सकती है ।

श्री नम्बियार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 20 में 'is' (है) के पश्चात् 'and continues to be' (और रहता है) जोड़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न है कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 20 में 'is' (है) के पश्चात् 'and continues to be' (और रहता है) जोड़ दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21, 22, 57, 58, 59, 60, और 76 सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

'खण्ड 10 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया
Clause 10, as amended, was added to the Bill

खण्ड 11-(विधिविरुद्ध संगठन के धन का उपयोग करने वाले को दण्ड)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 23 और 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं संशोधन संख्या 62 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राममूर्ति : मैं संशोधन संख्या 104 और 105 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे इनके बारे में कोई नई बात नहीं कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23, 24, 61, 62, 104 और 105

मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।
The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12—(अधिसूचित स्थान के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश के उल्लंघन के लिये दण्ड)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 25, 26, 27 और 28 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 63 और 65 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं संशोधन संख्या 64 और 66 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राममूर्ति : मैं संशोधन संख्या 106, 107 और 108 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को जो इनके सम्बन्ध में कहना है, वे कह चुके हैं । इसलिये इन पर मतदान लिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25, 26, 27, 28, 63, 64, 65, 66, 106, 107 और 108 सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13—(गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए दण्ड)

उपाध्यक्ष महोदय इस विषय पर बहुत से संशोधन हैं मैं उनको पढ़ता हूं। **श्री जार्ज फरनेन्डीज** के संशोधन संख्या 29, 30, 31, 32, 33, **श्री नम्बियार** के संशोधन संख्या 67, 68, 71, 109, 110, 111, 112, 113 और **श्री श्रीचन्द गोयल** के संशोधन संख्या 69, 70, 72 हैं ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I want that Clause 13 (3) may be removed. The Government is not imposing these restrictions on their own parties whereas it is imposing these restrictions on other parties. Government is not free to surrender any part of the country's territory to any other country. In that case any person is free to take the matter to the court.

I hope that the Government will apply this law with honesty.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : Congress surrendred Beruwari to Pakistan with out consulting the Parliament. It has been the past history of Congress. During the Indo-Pak conflict, India conquered Hazipeer and other areas, but they were later surrendered to Pakistan without the consent of Parliament under Tashkent spirit. In such circumstances the consent of Parliament must be obtained.

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : किसी भी विशेष संधि के लिये सब दलों की सहमति की आवश्यकता है । हम लोकतन्त्र में रह रहे हैं । चाहे कोई संधि भारत के पक्ष में हो, परन्तु उस पर यहां चर्चा की जानी चाहिए ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिये मेरे विचार से 7 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष का दण्ड दिया जाना चाहिये । विधि विरुद्ध गतिविधियों के लिये एक संघ को दो वर्ष के लिये गैर-कानूनी घोषित किया जाता है, परन्तु जो यह अपराध करता है उसके लिये 7 वर्ष के दण्ड की व्यवस्था है । अतः मेरा संशोधन बहुत तर्क पूर्ण है ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर): खंड 13 (ख) में 7 वर्ष के दण्ड का उपबन्ध है। इससे कार्य-पालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त होता है और पुलिस अन्य उपबन्धों को जैसा चाहे प्रयोग कर सकती है। किसी व्यक्ति को भड़काने वाली कार्यवाही करने के अपराध में 7 वर्ष का कारावास दिया जाना बहुत अधिक सजा होगी। इस प्रकार का झूठमूठ का मामला बनना बहुत आसान है। अतः यह उचित नहीं है। जब आपके हाथ में यह शक्ति आ जायेगी तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे।

उपखण्ड (3) भेदभावपूर्ण है। अतः मैं यह कहूंगा कि इसे निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री राममूर्ति (मदुरै): महान्यायवादी ने विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते समय कहा है कि विधेयक में लगाये गये प्रतिबन्ध उचित हैं। 1952 में यह कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय इस सम्बन्ध में उदार रवैया अपनायेगा। उसका रवैया कठोर था। मुझे मुख्य उचित प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में पूछना है। अतः इसके अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी काम का सौदा किसी भी देश से कर सकती है। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार से इस कार्य को उचित न समझ कर उसके विरुद्ध जनता में जाग्रति पैदा करता है तो क्या यह अनुचित है ? यदि सरकार लोकतन्त्र में जनता के विचारों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो वह कहां तक ठीक है।

काश्मीर के मामले को संयुक्तराष्ट्र में सौंपने और चीन से ऐसे सम्बन्ध स्थापित किये जाने का दायित्व भारत सरकार पर ही है। ऐसी स्थिति के लिये भारत सरकार ही जिम्मेदार है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

हम किसी भी देश को दावा करने से नहीं रोकते। भारत सरकार को समझौता करने का अधिकार है। राजनीतिक समझौते का अभिप्राय कुछ देना तथा कुछ लेना है। इससे आप समस्या का समाधान कर सकते हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम्) : एक ही बात के लिये 2 खंड हैं। एक खंड 10 और दूसरा खंड 13 के दो उप-खंड पर मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार न्यायाधीश पर इस विषय में निर्णय ले कि वह इस सम्बन्ध में खण्ड 10 या खण्ड 13 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : खंड 13 के उप-खण्ड 3 की मुख्यता आलोचना की गई है। सरकार का विचार है कि इस असाधारण कानून को थोड़ी अवधि के लिये ही जारी रखा जाये क्योंकि इस समय देश में असाधारण स्थिति है। जैसाकि गृह-कार्य मंत्री ने बताया, स्थिति सामान्य हो जाने पर सरकार अवश्य ही इस असाधारण अधिनियम को समाप्त कर देगी। खंड 2 के अन्तर्गत अधिकतम सजा 2 वर्ष की रखी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं खंड 13 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा आज ही समाप्त की जानी चाहिये क्योंकि कल वित्तीय मामलों और दूसरे मदों पर भी चर्चा की जायेगी ।

खंड 15, 16, 17 और 19 के सभी संशोधन प्रस्तुत हुए मान लिये जायं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं संशोधन संख्या 34, 35 और 36 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजदेव सिंह : मैं संशोधन संख्या 171 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 73 और 74 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राममूर्ति : मैं संशोधन संख्या 114 और 115 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सेक्वीरा : मैं संशोधन संख्या 172 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 34, 35, 36, 171, 73, 74, 114, 115 और 172 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बाकी खंडों को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"खंड 14 से 21 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 14 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 14 to 21 were added to the Bill

खंड 1 विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न यह है कि :

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The Bill provides wide powers to the Government. It will even deprive the people of some of the fundamental rights. To pass the Bill is one thing and to implement is another thing. I am sorry that the Government have not agreed to the suggestion of increasing the membership of the tribunal to three and allowing an appeal against the decision of the tribunal.

I think it would have been better if the Bill had been circulated for eliciting public opinion thereon. It is an extraordinary legislation. When the Government is taking such extraordinary powers, they should have issued a 'white paper' explaining the situation. This Bill could not be justified without explaining these things.

The Government is fond of taking more and more powers, but can not make use of them. Policy of the Government is not clear and therefore, it is not in a position to enforce the provision of the Bill. The provision of the Bill should be strictly enforced.

The Bill should not be utilised for party interest. It should rather be used for the interest of the country as a whole.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : आरम्भ से अन्त तक यह विधेयक बेहूदा है । इस पर की गई चर्चा से यह पता लगता है कि सरकार इसमें कुछ ऐसे भी संशोधन नहीं करना चाहती जिससे इस विधेयक में कुछ सुधार हो जायें । इस विधेयक का उद्देश्य केवलमात्र लोगों को डराने के अलावा कुछ भी नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का विधान सरकार ने किस बात से प्रेरित होकर बनाया । क्या देश की अखंडता को कोई खतरा है ? क्या सभा में कोई दल देश की अखंडता को बनाये रखने में सरकार की सहायता नहीं कर रहा है । हम यह जानना चाहते हैं कि इस समय देश को क्या वास्तविक खतरा है ?

गृह-कार्य मंत्री ने बार-बार सभा में बताया था कि जहां तक नागा और मिजो लोगों की मांग का प्रश्न है हमें इस समस्या का राजनीतिक हल ढूंढना होगा ।

सरकार के वर्तमान रवैये को देखते हुए और विशेषकर पश्चिमी बंगाल में जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें देखते हुए विरोधी दल को पूरा सन्देह है कि यह विधेयक अत्यधिक निराशाजनक और घृणित है । यदि इसे काला विधेयक भी कहा जाये तो कोई आश्चर्य नहीं ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : नक्सलबाड़ी की घटनाओं के सम्बन्ध में बार-बार उल्लेख किया जाता है । उदाहरण के तौर पर 20 जून को साम्यवादी मार्क्सवादी दल के राजनीतिक ब्यूरो ने एक संकल्प पास किया था जिसमें कहा गया था कि पोलिटिकल ब्यूरो ने कुछ दल के सदस्यों की गतिविधियों, विशेषरूप से पश्चिमी बंगाल के सदस्यों की गतिविधियों पर विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे किसी दल की राजनीतिक प्रवृति नहीं हैं । कुछ व्यक्तियों ने दल विरोधी ग्रुप बना लिये हैं और वे दल के कार्यक्रम को चुनौती दे रहे हैं ।

कुछ जिला और राज्य समितियों का पुनर्गठन किया गया है । यदि कुछ व्यक्ति अपने को मार्क्सवादी कहते हैं और सभाएं करते हैं तो उसके लिये हम कैसे उत्तरदायी हो सकते हैं । इस

देश का कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति को अपने को कुछ भी कहने और सभाएं करने से नहीं रोक सकता। मुझे याद है जब 1965 में सरकार ने हम लोगों को नजरबन्द किया तो गृह-कार्य मंत्री ने हमारे संकल्प का हवाला देते हुए अपने इस कार्य को उचित करार दिया। संकल्प में सरकार से यह निवेदन किया गया था कि वह बातचीत करने के लिये पहल करे। किन्तु इसे राष्ट्रविरोधी गतिविधि समझा गया। 'चेगोडी' के श्वेत-पत्र में कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं।हम इस पत्र का और इसके सम्पादक का पहले ही बहिष्कार कर चुके हैं। यदि सरकार का व्यवहार अच्छा होता तो स्थिति कुछ और ही होती।

हमारे विरुद्ध लोगों को भड़काया जा रहा है। सरकार हमें अपनी नीतियों का सबसे बड़ा विरोधी समझती है। परन्तु हमें इन बातों का डर नहीं हैं। हम इन बातों के आदी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी लोगों ने हमें समझ लिया है और वे ठीक ही समझते रहेंगे। यदि आप इन्हीं कारणों से हमारे विरुद्ध फिर कार्यवाही करेंगे तो मैं आपको यह चेतावनी दे दूं कि हम इससे कमज़ोर नहीं होंगे।

Shri George Fernandes (Bombay-South): It is clear from the discussion on this Bill that the Government's views towards its party are somewhat favourable as compared to its views towards the opposition parties. If there has been the question of integrity of the country, it was necessary to accept these two amendments.

On the one hand the Government wants to impose restrictions on other parties, on the other hand it still wants to enjoy those facilities provided to it sometime 20 years ago. Congress is losing people's confidence, I am not prepared to accept that they are the representatives of the people.

This legislation has been brought with the intent that the Congress may be able to use its force in case it may be necessary. We therefore, oppose this legislation.

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : आज यह काला विधेयक पास होने जा रहा है। यह काला अधिनियम अन्य राजनीतिक दलों को कुचलने के लिए कांग्रेस दल के हाथों में एक हथियार होगा। इस विधेयक को पास करने का अभिप्राय यह होगा कि कांग्रेस दल राजनीतिक स्तर पर दूसरे राजनीतिक दलों से संघर्ष करने के लिये तैयार नहीं है।

गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक को द्रविड़ मुनेत्र कषगम के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। हमारे विधि मंत्री की टेलीफोन पर की जाने वाली बातें सुनी जाती हैं। मद्रास राज्य जहां कांग्रेस शासन समाप्त हो गया है इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है।

यह विधेयक पास किया जायेगा। परन्तु मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि यदि कांग्रेस इस विधेयक को दूसरे राजनीतिक दलों के विरुद्ध प्रयोग करेगी तो हम उसका तीव्र विरोध करेंगे। मुझे आशा है कि अपने दिये गये आश्वासनों के अनुसार सरकार राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं करेगी। यदि मजदूर संघ इससे प्रभावित हुआ तो मजदूर संघ और मजदूर समुदाय दूसरे हिंसक तरीका अपनायेंगे। सरकार को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि वह इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं करेगी।

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : The Government is not happy to bring forward this legislation. It has been brought inorder to tackle the difficult situation arisen in the country. It will be greatly helpful to safeguard the territorial integrity of the country. Therefore, to call this Bill as a 'Black Act' is not proper. In the end I would like to say that Government should ensure that this Bill may not be abused ?

श्री सेक्वीरा (गोवा, दमण तथा दीव) : इस विधेयक का उद्देश्य शायद सरकार के अधिकारों को बढ़ाकर देश की कठिनाइयों को कम करना है। मेरे विचार से यह उद्देश्य उचित नहीं है। सरकार जिन अधिकारों की मांग कर समस्या को हल करना चाहती है, वे अनुपयुक्त हैं। ये अधिकार देश में लोकतन्त्र को बनाये रखने के लिये भी खतरनाक हैं। यदि सरकार का विचार इस आन्दोलन को समाप्त करना है तो उसे इन दलों पर रोक न लगाकर या लोगों को जेल भेजने की बजाय राजनीतिक ढंग से इस समस्या का हल ढूंढना चाहिये।

हमसे कहा जाता है कि यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो आपात्कालीन स्थिति को, समाप्त कर दिया जायेगा।

मेरे विचार से ये अधिकार खतरनाक सिद्ध होंगे क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कार्यकारी को समस्त संगठन को समाप्त करने का अधिकार होगा।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : श्रीमान्, मानवीय इतिहास से यह पता चलता है कि जो सरकार लड़खड़ा रही होती है और जिसका पतन होना है, वह अधिक से अधिक अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। विश्व के इतिहास में यह उदाहरण पहला नहीं है, न ही यह अन्तिम उदाहरण होगा। किसी जिम्मेदार, लोकप्रिय तथा स्थायी सरकार द्वारा ऐसा कानून नहीं बनाया जाता है। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के एक टोले को सुरक्षित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त की जा रही हैं जिनसे अब देश ऊब गया है।

विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इस देश में भी ऐसी ही स्थिति आ रही है। यह सरकार अधिक से अधिक एक या दो वर्ष तक और सत्तारूढ़ रह सकती है। सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि इस विधि का प्रयोग किसी दिन वर्तमान सरकार के विरुद्ध किया जा सकता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : श्रीमान, गृह-कार्य मंत्री ने यह बात मानी है कि यह विधि बहुत सख्त है परन्तु वर्तमान स्थिति में इसकी आवश्यकता है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि वह स्थिति क्या है। दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने कारण बताये बिना किसी सम्पूर्ण संस्था को गैर-कानूनी ठहराने का अधिकार या तो स्वयं ले लिया है या हस्तगत कर लिया है।

हमने अपील करने का साधारण अधिकार मांगा है परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि यह अधिकार दिया जाये तो इससे अच्छा यही है कि इस विधेयक को पारित न किया जाये। इससे पता लगता है कि सरकार किस दिशा में सोच रही है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस विधेयक का विरोध करने से पहले मैंने इसके गुण ढूंढ़ने का भरसक प्रयत्न किया है। इसे ऐसे लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिनका भारत की जनता में कोई विश्वास नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि देश में चिन्ता तथा भय उत्पन्न करने वाली घटनायें हो रही हैं। परन्तु क्या पुलिस का डंडा ही इस देश की स्वतन्त्रता तथा एकता का अन्तिम संरक्षक होगा ? यदि देश के समक्ष कुछ खतरे हैं तो क्या कांग्रेस ने यह निश्चय कर लिया है कि वह भारत की जनता पर विश्वास नहीं कर सकती ? यदि उसका भारत की जनता में विश्वास है तो इस विधेयक की लेशमात्र आवश्यकता भी नहीं रह जाती।

भारत सरकार के पास इतनी अधिक शक्तियां हैं कि वह भारत की प्रादेशिक अखण्डता अथवा स्वतन्त्रता अथवा लोकतन्त्र को बने सभी खतरों का सामना कर सकती है। हममें से कुछ लोगों को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस दल इस बहाने से किसी भी प्रतिपक्षी दल को समाप्त करने का प्रयत्न करता है कि वह दल भारत राज्य का विरोधी है। राज्य तथा दल दोनों बिल्कुल मित्र हैं।

हमें देश में राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की बजाय निर्धनता, बेकारी और दुखों को, जो हमारे लोकतन्त्र की जड़ों को खोखला बना रहे हैं, समाप्त करना चाहिये। इस विधेयक से लोकतन्त्र सुदृढ़ होने की बजाय देश में कुछ भ्रान्त धारणायें उत्पन्न हो जायेंगी और वह भ्रान्त धारणा यह है कि इस सरकार का भारत की जनता पर विश्वास समाप्त हो रहा है। श्री चह्वाण को इस बात पर विचार करना चाहिये।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि इस विधि से घबराने की क्या बात है। साम्यवादी दल को इससे नहीं घबराना चाहिये क्योंकि भारत सरकार अपने सभी मित्रों को निराश करने का कोई कार्य नहीं करेगी। इसका प्रयोग किसी दल अथवा व्यक्तिविशेष के विरुद्ध होने नहीं जा रहा है। वास्तव में किसी को भी इस सरकार द्वारा पारित किये गये कानूनों से विचलित नहीं होना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री नाथ पाई ने इस विषय पर एक साहित्यकार का दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसा लगता है कि यदि वह सत्तारूढ़ हो जायें तो पुलिस तथा सेना को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि कोई सरकार पुलिस तथा सेना के बिना चल सकती है। जैसाकि पहले स्पष्ट कर दिया गया है, यह विधेयक लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता तथा देश की अखण्डता के लिये अनिवार्य है। इस विधेयक के अन्तर्गत मांगी गई शक्तियां असाधारण हैं परन्तु उनका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

कल कुछ सदस्यों ने तर्क दिया है कि निर्धनता के कारण लोग सम्बन्ध विच्छेद के बारे में सोचते हैं। यह तो ठीक है कि भारत में निर्धनता है परन्तु यदि कोई इस कारण भारत से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहे तो वह भारतमाता का पुत्र नहीं हो सकता।

मैं बार-बार सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि साम्यवादी (मार्क्सवादी)

अथवा स्वतन्त्र दल के विरुद्ध कोई राजनैतिक द्वेष नहीं है। ये दोनों दल अतिवादी हैं। हमें किसी दल के विरुद्ध द्वेष नहीं है।

यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह विधेयक इसलिये पारित किया जा रहा है कि हम सुदृढ नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम कितने सुदृढ़ हैं।

श्री राममूर्ति : हम इस विधेयक की चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम भी इस विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते।

Shri George Fernandes: We are quiting the House as a protest.

उपाध्यक्ष महोदय : आप जैसा चाहें, कर सकते हैं।

इसके पश्चात् श्री राममूर्ति, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री जार्ज फरनेन्डीज तथा कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

At this stage Shri P. Ramamurti, Shri H. N. Mukerjee, Shri George Fernandes and some other Hon. Members left the House

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 117 ; विपक्ष में 15

Ayes 117 ; Noes 15

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बारहवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुये** / **Shri G. S. Dhillon in the Chair**]

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं संसद्-कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि अपने दल के सदस्यों से कहें कि आधे घंटे की चर्चा के दौरान गणपूर्ति का प्रश्न न उठायें। इसके लिये

या तो नियमों में परिवर्तन किया जाये या परम्परा स्थापित की जाये कि आधे घंटे की चर्चा के दौरान गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I would like to know from the Minister of Parliamentary Affairs that who is responsible for maintaining quorum in a parliamentary system. I urge you to ask him to maintain the quorum till the proceedings are over.

Dr. Ram Subhag Singh: I admit that it is our responsibility to maintain quorum but the whole House is also responsible for it.

Mr. Chairman: Whereas it is the responsibility of the Minister of Parliamentary Affairs to maintain quorum. I am sorry to say that the opposition benches are also vacant.

परादीप पत्तन प्रन्यास सम्बन्धी नियम के बारे में प्रस्ताव
MOTION Re: PARADIP PORT TRUST RULES

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं.....

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : अब मेरे लिये इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि घंटी बजाई जाये ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : हमें खेद है कि यहां इस प्रकार की बातें होती हैं इसलिये मैं विरोध प्रकट करने के लिए सभा से बाहर जाता हूं ।

(श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी सभा-भवन से बाहर चले गये)
Shri S. S. Kothari left the House

सभापति महोदय : घंटी बजाई जाये । गणपूर्ति नहीं है। मेरे लिये सभा को स्थगित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है ।

इसके पश्चात लोक-सभा वृहस्पतिवार, 21 दिसम्बर, 1967/30 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 21, 1967/Agrahayana 30, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 12-8-68—600.